

Furthering Financial Inclusion वित्तीय समावेशन का विस्तार

Banking the Unserved and the Underserved
वंचित एवं पिछड़े लोगों के लिए बैंकिंग



Annual Report 2018-19

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



इंडिया पोस्ट
पेमेन्ट्स बैंक

India Post
Payments Bank

आपका बैंक, आपके द्वार





Furthering Financial Inclusion

The essence of financial inclusion is to ensure delivery of financial services to all sections of the society to meet their needs of savings, payments, credit and insurance in an affordable, fair and transparent manner.

Ever since the launch of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana and the National Mission on Financial Inclusion in 2014, substantial progress has been made in expanding universal access to financial services, especially for low-income groups and weaker sections. This progress is corroborated by World Bank's 2017 Global Findex Database according to which the share of adults with a bank account in India has more than doubled to 80 per cent. While this growth is remarkable, the focus of financial inclusion is now on currently deepening the access to banking channels and creating a digital less cash economy. The vast postal network of India Post provides a readymade channel for distribution of financial services and expanding the ambit of financial literacy.

As India Post Payments Bank embarks on its next phase of growth, our efforts and initiatives in furthering financial inclusion will gather further momentum with the objective of making a difference in the lives of all those who are deprived of basic financial services. India will prosper when every citizen will have equal opportunity to become financially secure and empowered.



3rd ANNUAL REPORT

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट

(2018-19)

Index अनुक्रमणिका

● IPPB at a Glance आईपीपीबी पर एक नजर	01 / 91
a. About India Post Payments Bank इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के बारे में	
b. Vision विजन	
c. Mission मिशन	
d. Guiding Principles मार्गदर्शी सिद्धान्त	
e. Service Elements सेवा घटक	
f. Comprehensive Suite of Products & Services उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक समूह	
g. Customer Segments ग्राहक खंड	
h. Expanding Footprint बढ़ते कदम	
● Major Business Highlights मुख्य कारोबारी उपलब्धियां	13 / 103
● Key Milestones and Achievements मुख्य माइलस्टोन एवं उपलब्धियां	14 / 104
● Board of Directors निदेशक मंडल	16 / 106
● Message from Chairman अध्यक्ष का संदेश	17 / 107
● Message from MD & CEO प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	18 / 108
● Director's Report निदेशक की रिपोर्ट	20 / 110
● Secretarial Audit Report साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	37 / 127
● Independent Auditor Report स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट	41 / 132
● Annual Accounts for Financial Year ended March 31, 2019 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे	49 / 140
● CAG Audit Report कैग लेखापरीक्षा रिपोर्ट	82 / 172
● Management Reply on Comments of Statutory Auditors of the Company कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	85 / 174

About India Post Payments Bank

A New Era in Financially Inclusive Banking

India Post Payments Bank (IPPB) has been setup with the vision to build the most **accessible, affordable and trusted bank** for the common man in India. The fundamental mandate of India Post Payments Bank is to remove barriers for the unbanked & under-banked and reach the last mile leveraging the vast reach of the postal network.

Since its nation-wide launch on September 1, 2018, IPPB has enabled more than **136,000 Post Offices** to provide a complete suite of banking services, out of which **110,000 are in rural India**, thereby increasing the rural banking infrastructure by almost **2.5 times**. Over **195,000 Postmen & Gramin Dak Sevaks** have been equipped with smartphones and biometric devices to provide **Doorstep Banking Services**.

KEY MILESTONES

- Over 1 crore customers
- Digital Transactions valued at more than Rs 5,700 crore
- First Payments Bank to receive Scheduled Bank status
- Services available across 136,000+ Post Offices of which 110,000 are in rural India
- Over 195,000 Postmen & Gramin Dak Sevaks providing Interoperable Doorstep Banking Services
- All service channels available in 13 languages

With the launch of **Aadhaar Enabled Payment System (AePS)** Services, IPPB has now also become the single largest platform in the country for providing **Interoperable Doorstep** banking services to **ANY BANK CUSTOMER**, leveraging the last mile unprecedented reach of the Postal network. The enablement of Post Offices to provide banking services has brought down the average 'distance to a rural banking service point' from 5-6 kms (rural bank branch infrastructure) to 2.5 km (average distance to a Post Office). The sheer ability of the last mile doorstep banking service providers (Postmen/ GDS) to reach every village on an almost daily basis has brought down the distance to access banking services to '0 kms', thus truly capturing the essence of **Aapka Bank, Aapke Dwaar**.

The Jan-Dhan program was instrumental in bringing millions of Indians into the fold of Financial Inclusion. There are 36 crore Jan-Dhan

account holders in our country, of which 22 crore are in rural India. With AePS services, IPPB now has the ability to serve all customer segments, including the 36 crore Jan-Dhan account holders, giving a fresh impetus to the inclusion of customers facing accessibility challenges in the traditional banking eco system.

IPPB has also introduced unique solutions to make digital adoption easier at the last mile for the underbanked and unbanked and towards enabling an assisted banking model:

- QR Card – A tangible account identity to customers which doesn't require them to remember account numbers and reducing data entry errors by agents
- Assisted UPI – Removing the entry barriers for customers' on-boarding to UPI and facilitating UPI transactions even by those without a smartphone and a debit card

By leveraging frugal innovation and top of the line technology infrastructure, IPPB has delivered simple and affordable banking solutions in **13 languages** across all self-service channels (Mobile App, Merchant App) and assisted channel (Micro-ATM). IPPB has implemented one of the largest ever digital financial literacy program by investing over 1 crore man hours in training and certifying more than **250,000 Postal Assistants, Postmen and Grameen Dak Sevaks (GDS)** as Banking Service providers.

IPPB now brings the ability for the Department of Posts customers to enjoy interoperable banking services and connects them with the banking ecosystem. IPPB has digitized all the post office counters through a simple QR Code to accept electronic payments and also enabled direct payments into various post office saving schemes and purchase of postal products. IPPB is committed to provide a fillip to a less cash economy and contribute to the vision of Digital India. Our motto stands true - **Every customer is important, every transaction is significant and every deposit is valuable.**



**Building the Most
Accessible, Affordable and
Trusted Bank for the
Common Man**


Vision



**Spearheading Financial Inclusion
By Removing Barriers and
Reducing Cost for
Accessing Banking Services**

Mission





Guiding Principles

Universal Banking Reach

Postal Network

- 155,000 (130,000 in rural areas) post offices
- 300,000 postal employees

IPPB Network

- Over 136,000 (110,000 in rural areas) Banking Access Points
- 195,000 plus Doorstep Bankers

Last Mile Challenges

- 49,000 rural branches
- Avg. distance to bank 10 km
- 36 Cr Jan-Dhan a/cs
- 53 Cr BSBDA a/cs

Leveraging AEPS

- Single Largest Platform in Country to Provide Interoperable Banking Services
- Increased Rural Banking Infra by 2.5 times
- Doorstep Banking Access to 36 Cr Jan-Dhan accounts

Post Office Savings Bank Customers

DoP Pioneer in Financial Inclusion

- 34 Cr Post Office Savings Bank customers
- 17 Cr POSA holders

Challenge

- Excluded from Interoperable Banking Ecosystem

Connecting POSB Customers to Interoperable Banking Ecosystem Through IPPB Account

Digitizing DoP Ecosystem

- 25,000 Mail Product Counters
- Post Office Schemes (RD/ TD/ SSY/ PPF) with 34 Cr Post Office Customers


Challenge

- Cash Dominant Transactions

Providing Ability for Digital Payments at DoP Counters for India Post products



Service Elements



Accessibility

Traditional Banking:

49,000 Bank Branches in Rural India
Average distance travelled
to reach the branch 5-6 kms

IPPB Banking:

IPPB adds its presence in 130,000 post offices (out of 1,55,000 post offices) in Rural India

Average distance now
reduced to 2.5 kms

2.5
kms

0
km

2.5 kms further reduces to 0 kms
due to Doorstep Banking offered by
3,00,000 Postmen & GDS

making it truly

Aapka bank, aapke dwaar



Affordability

Traditional Banking:

Cost incurred by Rural Farmers

- Transit costs
- Fees charged by BCs
- Cost incurred by Rural Labourers
- Loss of wages



IPPB Banking: Affordable & Convenient banking



Building upon
Robust Digital Ecosystem

- leading to lower transactional cost



Authentication with
Aadhaar

- leading to lower transactional cost

**Wealth creates
Wealth**

Customers make smaller
withdrawals and earn
more interest



Customers Access
Government
benefits at
Lower Cost

Ease of Banking



Traditional Banking: Barriers in Banking



People without smartphones in rural areas find it difficult to make quick banking transactions



People in rural areas have to travel far to reach their bank



Senior citizens have to travel to their bank to collect pension



People are not informed about banking procedures through smartphones

IPPB Banking: Simple & Intuitive

QR Card :



- Tangible Account Identity
- Convenience



For customers:
No need to remember long account numbers



For end users:
Reduces manual input

Assisted UPI:



- **Seamless Onboarding:**
Pre-configured
Virtual Private Address (VPA)
- **Assisted Remittance:**
No Smartphone
required by the customer




Frictionless integration with Post Office Savings Account

- Interoperable
- Assisted and self-service channels



Digital Ecosystem

IPPB Built on the
Strong Foundations



IPPB Banking – A New Paradigm

IPPB's platform enables,

**CASHLESS
PAPERLESS
PRESENCELESS**
Onboarding/Transactions



IPPB's service delivery
architecture based on
Ubiquitous & Open
mobile technology



CUSTOMERS



MERCHANTS



GDS /POSTMEN

Financial Literacy

Traditional Banking: Financial Illiteracy



Is financial literacy a myth?

Who will lend money for my business?

Can I transfer money to those in need?

- Many people in rural areas do not have smartphones
- Even if they do have a smartphone they don't know how to bank with it
- Many are afraid of banks and hesitate to approach them
- Many don't know the benefits of earning interest on their savings

IPPB banking: Enhanced Financial Literacy



Doorstep Banking



Multilingual Support



QR Card



Paperless Banking



Instant Account Opening




Assisted UPI

Educating customers on how insurance secures the unsecured, how wealth grows from wealth and how a little savings can go a long way towards building a better future

- People without smartphones can also bank smartly with IPPB, thanks to the postman
- Trusted postman provides financial literacy to the underbanked
- Post offices are more approachable as rural citizens are acquainted with them since ages




Comprehensive Suite of Products & Services



Customer Segments

A step towards financial inclusion and digital economy...

Focus Customer Segments




Expanding Footprint

 **650**

No. of IPPB Branches


 **136078**

Banking Access Points



Major Business Highlights

(As of March 31, 2019)



Key Milestones and Achievements

- FY 2018-19

- Recruitment of 1900+ staff at branches, circles, corporate office
- 15,000 End-users trained & certified
- 800,000 training hours across 800 + locations

Apr 18 – Jun 18



- IPPB National launch by Hon'ble PM Shri Narendra Modi
- 34 crore post office customers now provided ability to become part of interoperable banking ecosystem

Sep 18



Jul 18 – Aug 18



- RBI Approvals for IT systems and branch expansion
- Controlled testing of systems

Oct 18



Launch of Assisted UPI
Digital payments enabled for DoP financial Products



Procurement of approx. 2,00,000 + smartphones and biometric devices enabling devices GDS & Postman to become banker

Dec 18



1 Million IPPB mobile app downloads

Feb 19



Jan 19

- Rollout of 1,25,000 banking access points
- 1 Crore + man hours of training



Mar 19

- 5 million customers
- 100 % Digitization of 23,000 DoP Mall counters
- 250,000 + certified banking service providers



Board of Directors



Mr. ANSHUMAN SHARMA
Nominee Director



Mr. GUARI SHANKAR
Independent Director



Dr. K. G. KARMAKAR
Independent Director



Mrs. SUSHAMA NATH
Independent Director



Mr. VISHNU R. DUSAD
Independent Director



Mr. P. SATISH
Independent Director



Mr. SANJAY PRASAD
Nominee Director



Mr. T. Q. MOHAMMAD
Nominee Director



Mr. SURESH SETHI
Managing Director & CEO

Registered Office:

Speed Post Centre Building, Bhai Veer Singh Marg,
New Delhi 110 001

Company Secretary: Mrs. Priyanka Bhatnagar

Statutory Auditor: V.K. Sehgal & Associates

Secretarial Auditor: Sadhna Sharma & Associates



Message from Chairman Shri. Anant Narayan Nanda

Dear Shareholders,

It is with immense pleasure that I present before you the Annual Report of your Bank's performance and initiatives for the financial year 2018-19. In the growth and evolution of India Post Payments Bank (IPPB), 2018-19 was a watershed year marking the first year of full-scale operations.

It has been our belief that access to finance has a transformational impact on the lives of people and communities. For a significant majority of these people, the postman and Grameen Dak Sevak (GDS) are the most important and trustworthy channel for delivery of various financial services at the last mile, making IPPB the most accessible, affordable and trusted bank for them.

The Department of Posts (DoP) has been a pioneer in financial inclusion and provides various financial services to over 34 crore Post Office Savings Bank (POSB) customers. During the year, we have achieved a key milestone by making the POSB interoperable with the entire banking ecosystem through IPPB. Through a seamless integration between IPPB and POSB, DoP customers can now open an IPPB account and link their POSA account to avail complete bouquet of banking services including bill payments, remittances and incremental services offered by IPPB in partnership with other financial institutions. It becomes a win-win proposition for us as POSA account becomes a sweep-out

destination for an IPPB account with balances above Rs. 1 lakh at the end of the day. It also provides the ability to IPPB customers to invest directly into Postal savings schemes such as RD, TD, SSY and PPF. Another key achievement during financial year 2018-19 is that IPPB has digitized all the Post Office counters through a simple QR Code to accept electronic payments for purchase of postal mail products.

I'm also delighted to share a significant development on launch of **Aadhaar Enabled Payment System (AePS)** Services by IPPB recently that gives a strong boost to its efforts in expanding access to financial services. The rollout of AePS enhances the last mile interoperable banking infrastructure by 2.5 times. The network brings doorstep banking access to millions of unbanked and underbanked customers, and gives a fresh impetus to inclusion of customers facing accessibility challenges in the traditional banking ecosystem.

As we move forward on this exciting and challenging journey, the banking landscape in the country is witnessing unprecedented changes and transformation. Amidst the winds of change, IPPB is committed to provide a fillip to a less cash economy and contribute to the vision of Digital India.

Thank you
A.N. Nanda
Chairman, IPPB





Message from MD & CEO Shri Suresh Sethi

Dear Shareholders,

I am delighted to present before you the Annual Report of India Post Payments Bank (IPPB) for FY 2018-19.

On September 1, 2019, your Bank completed its first full year of successful operations and as we mark our 1st Anniversary, IPPB is poised to 'Change the way India Transacts'. While announcing the launch of IPPB, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi had envisioned an institution that takes banking to the last mile, promotes financial inclusion, and creates economic transformation at the grassroots.

IPPB's primary objective is to create Universal Banking Reach across the length and breadth of the country by setting up a robust infrastructure. IPPB's services are now available across more than 136,000 Post Offices, out of which 1,10,000 are in rural India, thereby increasing the rural banking infrastructure by almost 2.5 times. Over 195,000 Postmen & Gramin Dak Sevaks have been equipped with smartphones and biometric devices to provide Doorstep Banking Services. The ability of the Postmen and GDS to reach every village on an almost daily basis has brought down the distance to access banking services to '0 kms', truly capturing the essence of Aapka Bank, Aapke Dwaar.

This was accomplished through the largest ever digital financial literacy program investing over 1 crore training man-hours. This was also one of the fastest Access Point ramp-ups in the banking history at the rate of over 1,000 access points being rolled out every day over a period of 4 months.

Today, IPPB is well positioned to provide interoperable doorstep banking services to ANY BANK CUSTOMER, leveraging the last mile unprecedented reach of the postal network. Through AePS, IPPB is now able to serve customers by simply using their fingerprints right at their doorstep through the Postmen and GDS even without the need of owning a phone - thus bringing forth the dawn of a 'Truly Inclusive Financial System'.



The frictionless integration between IPPB and Post Office Savings Bank (POSB) provides fresh impetus to 34 crore POSB customers by connecting them to the interoperable banking ecosystem. By providing the ability to accept digital payments for mail products at almost 23,000 post offices through a QR code and Postal Savings Schemes such as RD, TD, SSY & PPF, IPPB is contributing towards digitization of DoP ecosystem and a less-cash economy.

IPPB focusses on creating simple and affordable solutions for the masses. A tangible account identity in the form of an IPPB QR Card enables secure digital payments and offers convenience to both the customers and Postmen/ GDS. The Assisted UPI solution enables remittance on UPI rails for customers without a debit card and a mobile phone and provides interoperable payment acceptance capability to small merchants.

As we celebrate the trust of over 1 crore customers in a span of less than a year, we believe that IPPB will play a pivotal role to further strengthen the Direct Benefit Transfer model by becoming the preferred banker for last mile subsidy distribution. With the launch of the IPPB RuPay Virtual Card, we are poised to take e-Commerce to the rural masses to meet their needs and aspirations in the evolving marketplace ecosystem.

We have laid a strong foundation and IPPB is committed to provide a fillip to a less cash economy and contribute to the Digital India mission, thus ensuring inclusive growth for each and every citizen.

ACKNOWLEDGEMENT

On behalf of your Company's Board of Directors, I wish to convey my deep gratitude to you, as our valued shareholder for your continued support and trust. This motivates us to excel in all our pursuits and constantly create value for you as well as for the nation. I appreciate the unstinted support and valuable guidance received from Ministry of Communications and Department of Posts, Government of India.

Thank you very much.

SURESH SETHI

MANAGING DIRECTOR & CEO



Director's Report

To,
The Members,

Your Directors are pleased to present the Third Annual Report of the Company ("IPPB") together with the audited financial statements for the financial year ended 31st March, 2019 together with the report of the Auditors and Review of the Comptroller & Auditor General of India thereon.

FINANCIAL RESULTS

The Company's financial performance for the year under review along with previous year's figures are given hereunder:

	Amount in Rs.	
	Financial year ended	Financial year ended
	31st March, 2019	31st March, 2018
Total Revenue	48,28,02,322	39,80,53,249
Total Expenditure	2,13,38,09,812	38,78,28,643
Extraordinary Items prior period Expenditure	-	1,99,78,311
Net Profit/Net Loss	(1,65,10,07,490)	(97,53,705)
Balance Carried to Balance Sheet	69,09,501	1,66,63,206
Profit available for absorption	(1,64,40,97,989)	(69,09,501)
Earning Per Share(Basic)	(3.41)	(0.03)
Earning Per Share (Diluted)	(3.41)	(0.03)
Shareholding of Govt. of India (%)	100%	100%

PERFORMANCE HIGHLIGHTS AND OVERVIEW

During the period, the Company has recorded a total revenue of Rs. 48,28,02,322 and total expenditure of Rs. 2,13,38,09,812. Total loss during the year is Rs.1,65,10,07,490. In the previous year Company has incurred a loss of Rs. 97,53,705.

PUBLIC DEPOSIT

	(Rs. In 000)	
Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Deposit of Twenty Largest depositors	2000	1828
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	00.21%	15.18%

DIVIDEND

The Board of Directors of the Company had not declared any dividend during the year.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors would like to assure the Members that the financial statements for the year under review conform in their entirety to the requirements of the Companies Act, 2013.

The Directors confirm that:

- The Annual Accounts have been prepared in conformity with the applicable Accounting Standards;
- The Accounting Policies selected and applied on a consistent basis, give a true and fair view of the affairs of the Company and of the profit for the financial year;
- Sufficient care has been taken that adequate accounting records have been maintained for safeguarding the assets of the Company; and for prevention and detection of fraud and other irregularities;
- The Annual Accounts have been prepared on a going concern basis;
- The systems devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws were adequate and operating effectively.

STATUTORY AUDITORS

The Statutory Auditors of your Company, M/s. V.K. Sehgal & Associates Co., Chartered Accountants (FRN – 011519N) were appointed as Statutory Auditors of your Company for the financial year 2018-19 by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG of India) in terms of Section 139 of the Companies Act, 2013. Statutory Auditors have audited the Financial Statements of the Company for the period ended 31st March, 2019.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Independent Auditors' Report on the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2019 and the Management's Replies thereon and the comments of Comptroller & Auditor General of India on Financial Statements for the period ended 31st March, 2019 under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 along with the Management's Replies thereon are enclosed to the Board's Report.

SECRETARIAL AUDIT

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company has appointed M/s Sadhna Sharma & Associates, Company Secretaries, New Delhi to undertake the Secretarial Audit of the Company. The Report of the Secretarial Audit for the Financial Year ended 31st March, 2019 is annexed as **Annexure C** to the Report. There are no qualifications, reservations or adverse remarks made by Secretarial Auditor in their report.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As required by the Companies Act 2013, read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 the relevant data pertaining to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo is given in the prescribed format and is annexed to this Report as **Annexure B**.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility Policy of the Company was approved by the Board of Directors on 19th January, 2107. CSR provisions are yet not applicable on the Company.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors are broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Companies Act 2013 and Banking Regulation Act 1949. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focused governance in the important functional area of the Bank.



RELATIONSHIP BETWEEN DIRECTORS INTER-SE

None of the Directors on your Bank's Board is related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

QUORUM FOR THE BOARD MEETINGS

The quorum for the Board Meetings shall be one-third of the total strength or two Directors, whichever is higher subject to at least one Director being a nominee of the Central Government.

Board of Directors of the Company as on 31st March 2019:

S.No	Name of the Director	Designation	Period of occupancy with effect
1	ANANTA NANDA NARAYAN	CHAIRMAN & DIRECTOR	25/05/2017
2	ANSHUMAN SHARMA	DIRECTOR	17/08/2016
3	T.Q. MOHAMMAD	NOMINEE DIRECTOR	12/10/2018
4	SURESH KUMAR SETHI	MD & CEO	27/10/2017
5	KRISHNA GOPAL KARMAKAR	INDEPENDENT DIRECTOR	28/06/2017
6	GAURI SHANKAR	INDEPENDENT DIRECTOR	28/06/2017
7	SANJAY PRASAD	NOMINEE DIRECTOR	05/12/2018
8	VISHNU RAMPRATAP DUSAD	INDEPENDENT DIRECTOR	30/01/2018
9	PILLARISSETTI SATISH	INDEPENDENT DIRECTOR	30/01/2018
10	SUSHAMA NATH	INDEPENDENT DIRECTOR	30/01/2018

The following persons were appointed as Director/ Key Managerial Personnel (KMP) during the year / from the date of last AGM to till date under report:

S.No	Name of the Director	Designation	Period of occupancy with effect
1	T.Q. MOHAMMAD	NOMINEE DIRECTOR	12/10/2018
2	SANJAY PRASAD	NOMINEE DIRECTOR	05/12/2018

The following persons ceased to be Director/KMP during the year under report / from the date of last AGM to till date:

S.No	Name of the Director	Designation	Date of appointment	Date of Resignation
1	PRAMOD KUMAR DAS	NOMINEE DIRECTOR	01/12/2017	16/10/2018
2	MADHUMITA G DAS	DIRECTOR	17/08/2016	02/07/2018

The following persons were designated as KMP as per provisions of the Companies Act, 2013 during the period under report:

S.No	Name of the Person	Designation	Period of occupancy with effect
1	SAVITA GUPTA	CHIEF FINANCIAL OFFICER	01/03/2017
2	PRIYANKA BHATNAGAR	COMPANY SECRETARY	16/01/2017

BOARD MEETINGS

During the year 2018-19 the Board of Directors of the Company met Nine (09) times on: -

20 TH Board Meeting 09 th May, 2018	21 st Board Meeting 11 th May, 2018	22 nd Board Meeting 20 th July, 2018	23 rd Board Meeting 12 th October, 2018
24 th Board Meeting 24 th October, 2018	25 th Board Meeting 05 th December, 2018	26 th Board Meeting 07 th January 2019	27 th Board Meeting 20 th February, 2019
28 th Board Meeting 29 th March, 2019			

Director's Attendance at the Board Meeting

Name of The Director	Attendance at your Bank's Board Meeting (Total No. of Meetings held- 09)
ANANTA NANDA NARAYAN	08 out of 09
SURESH KUMAR SETHI	09 out of 09
KRISHNA GOPAL KARMAKAR	08 out of 09
GAURI SHANKAR	07 out of 09
SANJAY PRASAD	02 out of 04
VISHNU RAMPRATAP DUSAD	07 out of 09
PILLARISETTI SATISH	07 out of 09
SUSHAMA NATH	08 out of 09
T.Q.MOHAMMAD	05 out of 06
ANSHUMAN SHARMA	02 out of 09

COMMITTEES

The Board of Directors of the Bank has constituted various sub-committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under:

- 1) Audit Committee of the Board (ACB)
- 2) Nomination & Remuneration Committee
- 3) Risk Management Committee
- 4) Customer Service Committee
- 5) Stakeholders Relationship Committee
- 6) Recruitment Advisor Committee
- 7) IT Steering Committee of the Board

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of the Company has been constituted on 28th June, 2017 and consists of three Independent Director and one Nominee Director along with MD & CEO as permanent special Invitee. During the year 2018-19 four (o4) Audit Committee meetings were held.



5th Audit Committee 19th July, 2018	6th Audit Committee 12th October, 2018	7th Audit Committee 04th December, 2018	8th Audit Committee 29th March, 2019
--	---	--	---

The Terms of Reference of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013. The few list of functions inter-alia includes the following:

1. recommendations for remuneration of Auditors of the Company;
2. review and monitor the Auditor's independence and performance, and effectiveness of the audit process;
3. examination of the financial statements and the auditors' report thereon;
4. approval or any subsequent modification of transactions of the Company with related parties;
5. scrutiny of inter-corporate loans and investments;
6. valuation of undertakings or assets of the Company, wherever considered necessary;
7. evaluation of internal financial controls and risk management systems;
8. monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.
9. any other responsibilities as may be assigned by the Board from time to time.

VIGIL MECHANISM

The Company has in place a vigil mechanism in the form of Whistle Blower Policy. It aims at providing avenues for employees to raise complaints and to receive feedback on any action taken and seeks to reassure the employees that they will be protected against victimization and for any whistle blowing conducted by them in good faith. The policy is intended to encourage and enable the employees of the Company to raise serious concerns within the organization rather than overlooking a problem or handling it externally.

The Company is committed to the highest possible standard of transparency, probity and accountability. It contains safeguards to protect any person who uses the Vigil Mechanism by raising any concern in good faith. The Company protects the identity of the whistle blower if the whistle blower so desires, however the whistle blower needs to attend any disciplinary hearing or proceedings as may be required for investigation of the complaint. The mechanism provides for a detailed complaint and investigation process.

If circumstances so require, the employee can make a complaint directly to the Chairman of the Audit Committee. The Company also provides a platform to its employees for having direct access to the Managing Director. The confidentiality of those reporting violations is maintained and they are not subjected to any discriminatory practice.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee of the Company has been constituted on 28th June, 2017 and consists of two Independent Directors, one Nominee Director, MD & CEO and Lead Risk and Compliance Officer as a special Invitee. The Company has duly implemented Risk Management Policy. During the year 2018-19 Two (02) Risk Management Committee meetings were held.

2nd RMC 24th September, 2018	3rd RMC 20th February, 2019
---------------------------------	--------------------------------

Nomination & Remuneration Committee

The Nomination Remuneration Committee of the Company has been constituted on 28th June, 2017 and consists of two Independent Directors and two Nominee Directors. During the year 2018-19 no Committee meetings were held.

Customer Service Committee

The Customer Service Committee of the Company has been constituted on 28th June, 2017 and consists of two Independent Directors, one Nominee Director, MD & CEO and Lead Customer Service Officer as a special Invitee. During the year 2018-19 One (01) Customer Service Committee meetings was held.

3rd CRC

24th September, 2018

Recruitment Advisory Committee

The Recruitment Advisory Committee of the Company has been constituted on 01st December, 2017 and consists of two Independent Directors, one Nominee Director, MD & CEO and Chief Human Resource Officer as a special Invitee. During the year 2018-19 Five (05) Recruitment Advisory Committee meetings were held.

3rd RAC 8th May, 2018	4th RAC 21st June, 2018	5th RAC 16th August, 2018	6th RAC 04th December, 2018
7th RAC 18th March, 2019			

Stakeholders Relationship Committee

The Stakeholders Relationship Committee of the Company has been constituted on 28th June, 2017 and consists of One Independent Director, one Nominee Director and MD & CEO. During the year 2018-19 no meetings of this committee was held.

IT Steering Committee

The IT Steering Committee of the Board has been constituted on 05th December, 2018 and consists of Two Independent Directors, one Nominee Director and MD & CEO. CTO is the permanent invitee to the committee. During the year 2018-19 no meetings of this committee was held.

INDEPENDENT DIRECTORS DECLARATION

The Company has received the necessary declaration from each Independent Director in accordance with Section 149(7) of the Companies Act, 2013, that he meets the criteria of independence as laid out in sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013 and in the opinion of the Board they fulfil the conditions specified in the Act and the Rules made thereunder and are independent of the management

INFORMATION UNDER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014



REGARDING EMPLOYEES REMUNERATION

IPPB being a Government Company, the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013 and relevant rules shall not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The terms and conditions of the appointment of Functional Directors is decided by the Government of India. The salary, terms and conditions of the appointment of Company Secretary, KMPs of IPPB, is in line with the parameters prescribed by the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3)(p) OF THE COMPANIES ACT, 2013 REGARDING FORMAL ANNUAL EVALUATION MADE BY BOARD OF ITS OWN PERFORMANCE AND THAT OF ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

IPPB being a Government Company, the provisions of section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 and relevant Rules shall not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

There are no related party contracts, arrangements or transactions undertaken by the Company during the year and hence the no disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in form AOC 2.

HOLDING & SUBSIDIARY COMPANY

There is no Holding or Subsidiary Company.

CHANGES IN AUTHORIZED AND PAID SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

(I) AUTHORIZED CAPITAL: 1,00,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/-each.

(II) PAIDUP CAPITAL: 70,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- Each

RIGHT ISSUE OF EQUITY SHARES

The Company has made right issue of 30,00,00,000 Equity Shares to President of India through Secretary Department of Posts, existing equity shareholder in proportion of existing shareholding of the Shareholders.

EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN

An extract of Annual Return in Form MGT 9 as on 31st March, 2019, pursuant to subsection (3) of section 92 of the Companies Act, 2013 and forming part of this report is annexed to this report as Annexure A.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

There were no loans, guarantees or investments made by the Company exceeding the limits specified under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review and hence, the said provision is not applicable.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT AFFECTING FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Company which has occurred during the period of this report.

**RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005**

Your Company has set up an elaborate mechanism throughout the Organization to deal with the requests received under the Right to Information (RTI) Act, 2005. To assist and facilitate the citizen in obtaining information, detailed guidelines have been placed on IPPB's website, spelling out the procedure for securing access to information and filing of first appeals under the Act. Proactive disclosures have been made on IPPB's website in line with Section 4(1)(b) of the Act, disseminating various categories of information so that citizens have minimum need to resort to the Act for the purpose of obtaining information.

RAJBHASHA (OFFICIAL LANGUAGE)

Your Company makes concerted efforts to spread and promote the Official Language (Rajbhasha Hindi). In pursuance of Official Language Policy/ Act/ Rules/ Orders of the Govt. of India, efforts are continuing towards increasing the use of Hindi in official work. Some of the important steps taken in this regard during the year i.e. Hindi Pakhwada was organized in the Company in order to increase the usages of Hindi in day to-day official correspondence using simple & colloquial words in writing. The Company has launched its website both in Hindi and English.

INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(q) OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH RULE 8(5) (viii) OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014 REGARDING ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL-CONTROLS

The Company's internal control system is designed to ensure operational efficiency, protection and conservation of resources, accuracy and promptness in financial reporting and compliance with laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for reviewing the adequacy and efficacy of the Company's internal controls, including its systems and processes and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the Management.

STATUTORY DISCLOSURE BY DIRECTORS:

None of the Directors of your Company is disqualified as per provisions of Section 164 of the Companies Act, 2013. Your Directors have made necessary disclosures as required under various provisions of the Companies Act, 2013.

RISK MANAGEMENT

The Company has in place a risk management policy which aims to have balance between risk and return. It entails the identification, measurement and management of risks in the business of the Company. As per the policy monitoring and corrective actions are taken on a continuous basis.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year under review, the relations between the Management and the employee/staff were highly cordial. Human resources initiatives such as skill up gradation, training, and productivity improvement were the key focus areas for development of the employees of the Company.



DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company is committed to provide a healthy environment and thus does not tolerate any discrimination and/ or harassment in any form. The Company has adopted an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Internal Complaints Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All women employees (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy. During the year 2018-19, no complaints were received by the Company.

Your Directors further state that during the year' under review, there were no cases filed Pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors acknowledges with deep sense of appreciation for the cooperation received from the Government of India, particularly the Ministry of Communications (Department of Posts), Financial Institutions, Banks, Customers and all other stakeholders. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued cooperation received from C&AG and the Statutory Auditors, Secretarial Auditors. The Directors take this opportunity to express their thanks for the valuable contribution, hard work and dedication of every employee. The Board is confident that with the employees' continued and dedicated efforts, your Company will be able to face the new challenges and achieve improved performance.

ADDENDA: The following documents are annexed:

1. "Extract of Annual Return" of the Company is attached to this report as ANNEXURE - A .
2. "Secretarial Audit Report" of the company is attached to this report as B.
3. "Independent Auditor Report" of the company is attached to this report as Annexure - C.
4. "Annual Accounts" for the Financial Year 2017-18 is attached to this report as Annexure - D.
5. "CAG Audit Report Annexure E"
6. Comment and observation of the Comptroller and Auditor General of India U/s 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March,2018 and the Management reply on the same.
7. Management Reply on Comments of Auditors of the Company - Annexure - F.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Place: Delhi
Date: 12.09.2019
A.N. NANDA
CHAIRMAN
DIN- 07810425
C-1 Block 6,
New MotiBagh,
New Delhi

Sd/-
SURESH SETHI
MANAGING DIRECTOR& CEO
DIN -06426040
C/901, Lodha Bellissimo,
Appolo Mills Compound
N.M. Joshi Marg,
Mahalaxmi, Mumbai

Annexure - A
FORM NO. MGT. 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on March 31, 2019
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

I REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i) CIN	U74999DL2016GOI304561
ii) Registration Date	17th August, 2016
iii) Name of the Company	India Post Payments Bank Limited
iv) Category/ Sub-Category of the Company	Company limited by shares / Union Government Company
v) Address of the Registered office and contact details	Post Office, Speed Post Centre Building, Market Road, New Delhi – 110001
vi) Whether listed company	No

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Payments Bank	Group 649	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY / ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	NA				

V. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year	No. of Shares held at the end of the year	% Change during the year



	De- mat	Physical	Total	% of Total Shares	De- mat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Individual/ HUF (Nominee of President of India)	-	6	6	.01%	-	6	6	.01%	-
b) Central Govt State Govt (s)	-	399999994	399999994	99.99%	-	699999994	699999994	99.99%	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) Foreign	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) NRIs – Indi- viduals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other – Indi- viduals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total(A) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1)+(A) (2)	-	40,00,00, 000	40,00,00, 000		100	-	70,00,00, 000	70,00,00, 000	
B. Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt/ State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f) FII's	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Foreign	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Non-Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual* shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Foreign	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Bodies Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Directors	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Non Resident Indians	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Overseas Corporate Bodies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Clearing members	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) Trusts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Grand Total (A+B+C)		40,00,00, 000	40,00,00, 000	100		70,00,00, 000	70,00,00, 000	100	-
------------------------	--	------------------	------------------	-----	--	------------------	------------------	-----	---

*6 individuals holding 01 shares each as nominee of President of India

ii. Shareholding of Promoters (Equity)

Sn. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	President of India through Secretary of Posts	39,99,99,994*	100	-	69,99,99,994*	100	-	-
2	Madhumita Gudduru Das (Nominee of President of India)	1	0.000	-	0	0.000	-	-
3	Neelam Sanghi (Nominee of President of India)	1	0.000	-	0	0.000	-	-
4	Usha Chandra Shekhar (Nominee of President of India)	1	0.000	-	0	0.000	-	-
5	Ajay Kumar Roy (Nominee of President of India)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
6	B.P. Sridevi (Nominee of President of India)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
7	Sachin Kishore (Nominee of President of India)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
8	T.Q. Mohammad (Nominee of President of India)	0	0.000	-	1	0.000	-	-
9	Vineet Mathur (Nominee of President of India)	0	0.000	-	1	0.000	-	-
10	Alok Pande (Nominee of President of India)	0	0.000	-	1	0.000	-	-
	Total	40,00,00,000	100	-	70,00,00,000	100	-	-

*Includes 06 equity shares held by nominees of President of India

iii. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year	Cumulative Shareholding during the year
---------	--	---	---

	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	40,00,00,000	100		
2	Date wise Increase in Promoters Share holding during the year by right issue	30,00,00,000			
3	At the end of the Year	70,00,00,000*	100		
	Total	40,00,00,000*	100		

*Includes 06 equity shares held by nominees of President of India

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the Beginning of the year	NIL	NIL	NIL	NIL
2	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer/ bonus / sweat equity etc):	NIL	NIL	NIL	NIL
3	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	NIL	NIL	NIL	NIL

v. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1	Madhumita G. Das	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the Beginning of the year	01	.01%	-	-
	On 5/12/2018 shares got transferred to T.Q.Mohammad	-	-	-	-
	At the end of the year	00	00%	-	-
2	T.Q. Mohammad	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	00	00%	-	-
	On 5/12/2018 shares got transferred from Madhumita G. Das	01	.01%	-	-
	At the end of the year	01	.01%	-	-

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
--	----------------------------------	-----------------	----------	--------------------



Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	-	-	-
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
• Addition				
• Reduction				
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year	-	-	-	-
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WT/ Manager	Total Amount
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Mr. Suresh Sethi	27.67 lacs pa
2	Stock Option	-	-
3	Sweat Equity	-	-
4	Commission - as % of profit - others, specify...	-	-
5	Others, please specify (Performance Incentive)	-	-

B. Remuneration to other directors: (as on 31/3/2019)

Sn. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WT/ Manager Total Amount (Rs.)					Total Amount(Rs.)
1	Independent Directors	Mr. Gauri Shankar	Dr. K.G. Karmakar	Mr. Vishnu Dusad	Mr. P. Satish	Ms. Susha- ma Nath	
	• Fee for attending board /committee meetings • Commission • Others, please specify	Rs. 2,10,000/- plus GST - -	Rs. 2,50,000/- plus GST - -	Rs. 1,70,000/- Plus GST - -	Rs. 1,50,000/- Plus GST - -	Rs. 2,00,000/- Plus GST - -	Rs. 9,80,000/- plus GST - -
	Total (1)	2,10,000	2,50,000	1,70,000	1,50,000	2,00,000	9,80,000
2	Other Non-Executive Directors	Mr. A. N. Nanda	Mr. T. Q. Mohammad	Mr. Sanjay Prasad	Mr. Anshu- man Sharma	-	-
	Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Total (2)		-	-	-		-

	Total (B) = (1 + 2)		-	-	-	-	-
	Total Managerial Remuneration	-	-	-	-	-	-
	Overall Ceiling as per the Act		-	-	-	-	-

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTd

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	11.89 Lacs pa	23.75 Lacs pa	-
2	Stock Option	-	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-	-
4	Commission - as % of profit - others, specify...	-	-	-	-
5	Others, please specify (Performance Incentive)	-	-	-	-

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment/Compounding fees imposed	Authority [RD/NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY	-	-	-	-	-
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS	-	-	-	-	-
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT	-	-	-	-	-
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

For and on behalf of Board of Directors

Place: Delhi
Date: 12.09.2019

Sd/-
A.N. NANDA
CHAIRMAN
DIN- 07810425

Sd/-
SURESH SETHI
MANAGING DIRECTOR & CEO
DIN -06426040



Pursuant to clause (m) of sub-section 3 of section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014

(A) Conservation of energy:

Steps taken for conservation of energy	Installation of Energy efficient equipment
Steps taken for utilisation of alternate sources of energy	The Company does not have any alternate sources of energy
Capital Investment on energy Conversation	Investment is considered from time to time whenever it is deemed necessary, in order to reduce consumption of energy

(B) Technology absorption:

- (i) the efforts made towards technology absorption: NIL
- (ii) the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution: NIL
- (iii) in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year): N.A
 - (a) the details of technology imported
 - (b) the year of import
 - (c) whether the technology been fully absorbed
 - (d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and
 - (iv) the expenditure incurred on Research and Development: NIL

(C) Foreign exchange earnings and Outgo:

Foreign Exchange used: Rs. Nil

Foreign Exchange earned: Rs. Nil



Annexure - B
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members
India Post Payments Bank Limited
Post Office, Speed Post Centre Building
Market Road New Delhi-110001

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by India Post Payments Bank Limited (hereinafter called 'the Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Management's Responsibility for Secretarial Compliances

The Company's Management is responsible for preparation and maintenance of secretarial records and for devising proper systems to ensure compliance with the provisions of applicable laws and regulations.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns and other records maintained by India Post Payments Bank Limited for the financial year ended on 31st March, 2019 in accordance with the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under, as applicable;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
(Not Applicable during the Audit Period)
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; **(Not Applicable during the Audit Period)**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable during the Audit Period)**
- (v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') viz. :- **(Not Applicable during the Audit Period)**
- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;



- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

(vi) The Management has also identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the company;

- (a) Banking Regulation Act, 1949;
- (b) Reserve Bank of India Act, 1934 and the rules and regulations made there under;

We have also examined compliance with the applicable clauses of Secretarial Standards with regard to meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India.

We report that:

1. The compliance of applicable Financial Laws & matters including Direct and Indirect Tax laws by the Company has not been reviewed in this Audit since the same has been subject to review by the Statutory Auditors and other designated professionals.
2. The Company has filed all required forms with the Registrar of Companies/Central Government during the period under review. No form has been filed with the Regional Director, the Tribunal Court or other Authorities.

Auditor's Observation

During the Period under review the company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. The Company has allotted 30,00,00,000 shares to President of India through Secretary, Department of Post on right issue basis on 05th December, 2018 in this respect some of the provisions of Section 62 of the Companies Act, 2013 for issue and allotment of shares has not been complied with.
2. The Company has not recorded the change in promoter's Shareholding during the F.Yr-17-18 in Form MGT-9 (Extracts of Annual Return) filed with the RoC in Form AOC-4 XBRL.
3. As a good governance practice it is suggested that Company be incorporate explanation/comments in its Board Report for the remarks made by the Secretarial Auditors in their Report.
4. Some of the compliance with respect to the requirements of website disclosures under the Companies Act, 2013 has not been complied with.



We Further Report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For **Sadhna Sharma & Associates**
(Company Secretaries)

Sd
Sadhna Sharma
(Proprietor)
Membership No: A46639
COP No: 17870

New Delhi, 12th August, 2019

Note: This report is to be read with our letter of even date, which is annexed as Annexure A and forms integral part of this report.



To,
The Members
India Post Payments Bank Limited
Post Office, Speed Post Centre Building
Market Road New Delhi-110001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as we were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **Sadhna Sharma & Associates**
(Company Secretaries)

Sd
Sadhna Sharma
(Proprietor)
Membership No: A46639
CoP No: 17870

12th August, 2019
New Delhi,

Annexure - C
INDEPENDENT QUALIFIED AUDITOR'S REPORT

TO THE PRESIDENT OF INDIA**Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements Opinion**

We have issued an audit report along with the signed balance sheet standalone financial statements of India Post Payment Bank Limited ("the Company") on May 27, 2019. It has been directed to us by the CAG Office to include the directions issued to us under section 143(5) of the Companies Act, 2013 in the said report as well hence we are issuing a revised audit report as on the date.

We have audited the accompanying standalone financial statements of India Post Payment Bank Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019, the profit and total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr. No.	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	Accuracy of recognition, measurement, presentation and disclosures of revenues and other related balances	Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:



		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluated the design of internal controls relating to implementation of the revenue recognition policy adopted by the company. • Selected a sample of revenue items and tested the operating effectiveness of the internal controls and the inbuilt system controls relating to identification of the revenue items and treatment of the same in the books of accounts. We carried out a combination of procedures involving enquiry and observation, performance and inspection of evidence in respect of operation of these controls. • Tested the relevant information technology systems' access and change management controls relating to revenue and related information used in recording and disclosing revenue • Considered the table of charges to determine the transaction price including any variable consideration to verify the transaction price used to compute revenue and to test the basis of estimation of the variable consideration.
2	Accuracy of recognition, measurement, presentation and disclosures of expenses and other related balances	<p>Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluated the design of internal controls relating to implementation of the expenses recognition policy adopted by the company. • Selected a sample of expense items and tested the operating effectiveness of the internal controls and the inbuilt system controls relating to identification of the expense items and treatment of the same in the books of accounts. We carried out a combination of procedures involving enquiry and observation, performance and inspection of evidence in respect of operation of these controls. • Tested the relevant information technology systems' access and change management controls relating to revenue and related information used in recording and disclosing revenue

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Qualification on the matters

1. IPPB/ DOP (out of IPPB funds) had remitted an amount of Rs 66.28 crore in FY 2017-18 to 23 DOP Circles for furnishing 650 IPPB Branches (Rs 16.81 crore) & branding at all DOP access points viz H.O., S.O. & B.O. (Rs 49.47 crore). All IPPB Branches have since gone live on launch w.e.f. September 1, 2018. As such, the entire amount of Rs 16.81 crore provided for furnishing of IPPB Branches was capitalised w.e.f. September 1, 2018. However the Bank has received bills amounting to Rs. 6.25 crore only as against the expenses of Rs. 16.81 crore as on 31.03.2019. In absence of the adequate invoices we are unable to comment on the said capitalisation of furniture and fixture. Similarly the depreciation charged on such capitalised amount is also subject to verification of bills.

2. The bank had envisaged to open 1,54,480 DOP access points by the end of the financial year. As against, 1,54,480 DOP access points 1,12,923 access points have gone live as on March 31, 2019. The percentage of access points going live was 73.10%. Accordingly the bank has appropriated 73.10% of Rs.49.47 crore advanced for branding as expenses as on March 31, 2019 on estimated basis. The balance amount of Rs 13.31 crore have been shown as DOP (Capital Commitment). Bank has received bills amounting to Rs.4.98 crore only as against the amount appropriated as expenses of Rs. 36.16 Crore as on 31.03.2019. In absence of the adequate invoices we are unable to comment on the said expenditure debited to Profit and Loss account of the bank.

3. IPPB had also remitted an amount of Rs 9.10 crore to 23 DOP Circles to organise simultaneous launch function across 650 IPPB Branches and 3250 access points on September 1, 2018. As on date, bills received for an amount of Rs 10.11 crore. Considering that the launch event has already taken place on September 1, 2018, the entire amount of Rs 10.11 crore has been expensed in the financial year ended March 31, 2019.

4. Since DOP got the entire work done related to furnishing, branding and managing the launch events some of the vendors have raised the bills in the name of DOP. Taking into consideration that the DOP is their parent, IPPB has acknowledged the said bills in the name of the DOP as if the bills belonging to it and has accounted for them in its books of accounts.

5. IPPB has awarded the contract for implementation of its dedicated and customised technology platform for an amount of Rs. 801 crore (including GST). The life of the contract is 5 years effective from August 14, 2017. During the financial year 2018-19 the bank has made payment of Rs. 229.91 crores (based on mile stone achievement) to the vendor which includes payments towards Hardware, Software, AMCs Fees, implementation and customisation etc.

6. IPPB has capitalised the entire amount of hardware procured (till the date of GO LIVE) aggregating to Rs. 106.32 crores against which the bills received were for 96.84 crores. It has also capitalised the entire amount of software procured (till the date of GO LIVE) aggregating to Rs. 240.46 crores against which the bills received were for 173.64 crores.

7. The insurance policy for the hardware is yet to be transferred in the name of IPPB by the vendor. The vendor has assured to transfer the same in banks name by 15th June 2019.

8. In absence of the adequate invoices we are unable to comment on the said capitalisation of hardware and software. Similarly the depreciation charged on such capitalised amount is also subject to verification of bills.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account.

d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2019 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2019 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:



In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements.
- ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, is not applicable to the Bank.

3. As directed by CAG under Section 143(5) of the Act, based on our audit we report that:

- a. The company has a system in place to process all the accounting transactions through IT Systems.
- b. There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by the lender to the company due to the company's inability to repay the loan.
- c. The funds received for specific schemes from Central Government were properly accounted for/ utilised as per its terms and conditions.

For V.K. Sehgal & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 011519N)

Anuj Maheshwari
Partner
(Membership No.096530)

New Delhi: August 7, 2019

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 1(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of India Post Payment Bank Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of India Post Payment Bank Limited ("the Company") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial



statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For V.K. Sehgal & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 011519N)

Anuj Maheshwari
Partner
(Membership No.096530)

New Delhi: August 7, 2019

Annexure - D
BALANCE SHEET OF
INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED AS ON 31ST MARCH 2019

(₹ in Rs)			
<u>CAPITAL & LIABILITIES</u>	<u>Schedule</u>	<u>As on 31.03.2019</u>	<u>As on 31.03.2018</u>
Capital	1	7,000,000,000	4,000,000,000
Reserves & Surplus	2	-1,257,015,363	3,999,978,207
Deposits	3	947,591,666	12,042,943
Borrowings	4	-	-
Other Liabilities and Provisions	5	2,179,415,987	106,466,830
TOTAL		8,869,992,290	8,118,487,980
ASSETS		=====	=====
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	109,028,399	3,340,292
Balances with Banks & Money at call & short notice	7	1,467,774,224	897,876,208
Investments	8	3,112,788,269	6,437,877,634
Loans & Advances	9	-	-
Fixed Assets	10	2,948,696,101	67,439,438
Other Assets	11	1,231,705,297	711,954,408
TOTAL		8,869,992,290	8,118,487,980
		=====	=====
Contingent Liabilities	12	2,500,000	2,500,000
Bills for Collection		-	-



Sd/-
(Priyanka Bhatnagar)
Company Secretary
(PAN No. AQKPB7572L)
R/o C-8 Flat No. 9, Chander
Nagar Ghaziabad, UP

Sd/-
(Seema Singh)
Chief Financial Officer
(PAN No. AHSPS3813Q)
E 75, Anand Niketan,
New Delhi-110021

Sd/-
(Suresh Sethi)
Managing Director & CEO
(DIN no. 06426040)
R/o, C/901, Lodha Bellissimo,
N M Joshi Marg Apollo Mill
Compound, Mahalaxmi, Mumbai

Sd/-
(Tanweer Qamar Mohammad)
Director (Din no. 08238554)
R/o, B-32, Type 5B, Nivedita Kunj,
R K Puram, Sector 10, Delhi 110022

Sd/-
(Anant Narayan Nanda)
Chairman (DIN no. 07810425)
R/o, C1, Block 6, New Moti Bagh, New Delhi

As per our report of even date

For V K Sehgal & Associates
Chartered Accountants - FRN No. 011519N

Sd/-
(Anuj Mahesheari)
Parthner
Membership No. 096530

Dated: 27/05/2019
Place: New Delhi

**PROFIT & LOSS ACCOUNT OF
INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019**

		(₹ in Rs)	
	Schedule	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
I. INCOME			
Interest earned	13	464,209,331	395,265,857
Other Income	14	18,592,991	2,787,392
TOTAL		482,802,322	398,053,249
		=====	=====
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	8,537,467	386,486
Operating expenses	16	2,704,051,809	386,317,223
Provisions and Contingencies		-578,779,464	1,124,934
TOTAL		2,133,809,812	387,828,643
		=====	=====
Extraordinary Items			19,978,311
Prior Period Expenditure			
Net Profit/Net Loss		-1,651,007,490	-9,753,705
Balance in Profit & Loss Account (Carried Forward)		6,909,501	16,663,206
Profit available for Appropriation		-1,644,097,989	6,909,501
APPROPRIATIONS			
Transfer to Reserves (Net) :			
Statutory Reserve		-	-
Capital Reserve		-	-
Investment Fluctuation Reserve		-	-
Other Reserve		-	-
Special Reserve		-	-
Balance carried over to Balance Sheet		-1,644,097,989	6,909,501
TOTAL		-1,644,097,989	6,909,501
		=====	=====



Sd/-
(Priyanka Bhatnagar)
Company Secretary
(PAN No. AQKPB7572L)
R/o C-8 Flat No. 9, Chander
Nagar Ghaziabad, UP

Sd/-
(Seema Singh)
Chief Financial Officer
(PAN No. AHSPS3813Q)
E 75, Anand Niketan,
New Delhi-110021

Sd/-
(Suresh Sethi)
Managing Director & CEO
(DIN no. 06426040)
R/o, C/901, Lodha Bellissimo,
N M Joshi Marg Apollo Mill
Compound, Mahalaxmi, Mumbai

Sd/-
(Tanweer Qamar Mohammad)
Director (Din no. 08238554)
R/o, B-32, Type 5B, Nivedita Kunj,
R K Puram, Sector 10, Delhi 110022

Sd/-
(Anant Narayan Nanda)
Chairman (DIN no. 07810425)
R/o, C1, Block 6, New Moti Bagh, New Delhi

As per our report of even date

For V K Sehgal & Associates
Chartered Accountants - FRN No. 011519N

Sd/-
(Anuj Mahesheari)
Parthner
Membership No. 096530

Dated: 27/05/2019
Place: New Delhi

SCHEDULES TO THE ACCOUNTS (INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED)

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Rs)

	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Authorised Capital	10,000,000,000	10,000,000,000
100,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each		
Issued & Subscribed		
70,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	7,000,000,000	4,000,000,000
Paid up Capital		
	7,000,000,000	4,000,000,000
70,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each		
TOTAL	7,000,000,000	4,000,000,000
	=====	=====

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS**I. Statutory Reserve**

Opening Balance	5,554,402	5,554,402
Addition during the year	-	-
	5,554,402	5,554,402

II. Capital Reserve**a). Revaluation Reserve**

Opening Balance	-	-
Addition during the year	-	-
Deduction during the year	-	-
(being Depreciation on revalued portion of Property)		



b. Others (Grant A/c)

Opening Balance	3,987,514,304	237,514,304
Addition during the year	-	3,750,000,000
Deduction (used) during the year	3,605,986,080	-
	-----	-----
	381,528,224	3,987,514,304

III. Revenue and Other Reserve

a. Investment Reserve

Opening Balance	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Trf to P & L Account	-	-
	-----	-----
	-	-

b. Other Reserve

Opening Balance	-	-
Addition during the year	-	-
	-----	-----
	-	-

c. Exchange Fluctuation Reserve

Opening Balance	-	-
Add: Addition during the year (Net)	-	-
Less: Withdrawn during the year (Net)	-	-
	-----	-----
	-	-

IV. Share Premium

Opening Balance	-	-
Addition during the year	-	-
	-----	-----
	-	-

V. Special Reserve

Opening Balance	-	-
Addition during the year	-	-
Deduction during the year	-	-
	-----	-----
	-	-

VI. Balance in Profit & Loss Account

	-1,644,097,989	6,909,501
	-----	-----
Total I,II,,III,IV,V,VI	-1,257,015,363	3,999,978,207
	=====	=====

SCHEDULES TO THE ACCOUNTS (INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED)

	(₹ in Rs)	
	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
A. I DEMAND DEPOSITS		
(i) From Banks	-	-
(ii) From Others	16,427,894	-
	16,427,894	-
II SAVINGS BANK DEPOSITS	931,163,772	12,042,943
III TERM DEPOSITS		
(i) From Banks	-	-
(ii) From Others	-	-
	-	-
TOTAL of I, II, III	947,591,666	12,042,943
B. (i) Deposits of branches In India	947,591,666	12,042,943
(ii) Deposits of branches outside India	-	-
TOTAL of i, ii	947,591,666	12,042,943
SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. Borrowings in India		
(i) Reserve Bank of India	-	-
(ii) Other Banks	-	-
(iii) Other Institutions and Agencies	-	-
(iv) Bonds (including Tier-I, Tier-II, Subordinate Debts)	-	-
II. Borrowings Outside India	-	-
TOTAL of I, II	-	-
Secured Borrowings included in I & II above	-	-



SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. Bills payable	-	-
II. Inter-office adjustments (net)	-	-
III. Interest accrued	-	-
IV. Deffered Tax Liability (Net)	-	-
V. Others (including Provisions)	2,179,415,987	106,466,830
TOTAL OF I, II, III, IV & V	2,179,415,987	106,466,830
	=====	=====

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	-	142,792
II. Balance with Reserve Bank of India		
(i) Current account	109,028,399	3,197,500
(ii) in Other Accounts	-	-
	-----	-----
	109,028,399	3,197,500
TOTAL Of I, II	109,028,399	3,340,292
	=====	=====

SCHEDULES TO THE ACCOUNTS (INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED)

(₹ in Rs)

SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

As on 31.03.2019

As on 31.03.2018

I. In India

(i) Balance with Banks:

(a) In Current accounts	58,765,853	41,638,820
(b) In Other Deposit accounts	1,409,008,371	856,237,388

1,467,774,224

897,876,208

(ii) Money at Call and Short Notice:

(a) with Banks	-	-
(b) with Other Institutions	-	-

-

-

TOTAL (i & ii)

1,467,774,224

897,876,208

II. Outside India

(i) In Current accounts	-	-
(ii) In Other Deposit accounts	-	-
(iii) Money at Call & Short Notice	-	-

TOTAL

-

-

GRAND TOTAL (I & II)

1,467,774,224

897,876,208

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

I. Investments in India in

(i) Government Securities	3,112,788,269	6,437,877,634
(ii) Other approved securities	-	-



(iii) Shares	-	-
(iv) Debentures and Bonds	-	-
(v) Investment in Associates/ Subsidiaries	-	-
(vi) Others	-	-
(Various Mutual Funds & Commercial Paper etc.)		

TOTAL of I	3,112,788,269	6,437,877,634
II. Investments outside India		
(i) Government Securities	-	-
(ii) Investment in Associates/Subsidiaries	-	-
(iii) Other investments	-	-
TOTAL of II	-	-
III. Investments in India		
I) Gross value of Investments	3,112,788,269	6,437,877,634
ii) Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	-	-
iii) Net Investment	3,112,788,269	6,437,877,634

IV. Investments outside India

I) Gross value of Investments	-	-
ii) Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	-	-
iii) Net Investments	-	-
GRAND TOTAL of (I), (II)	3,112,788,269	6,437,877,634

	(₹ in Rs)	
SCHEDULE 9 - ADVANCES	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
A. i) Bills Purchased and discounted	-	-
ii) Cash Credits, overdrafts and loans repayable on demand	-	-
iii) Term Loans	-	-
Total	-	-

B. i) Secured by Tangible Assets	-	-
(including advances against book debts)		
ii) Covered by Bank/Govt.Guarantees	-	-
iii) Unsecured	-	-
	-----	-----
Total	-	-
	=====	=====
C. (I) Advances in India		
i) Priority Sector	-	-
ii) Public Sector	-	-
iii) Banks	-	-
iv) Others	-	-
	-----	-----
Total	-	-
	=====	=====
C. (II). Advances outside India		
i) Due from banks	-	-
ii) Due from others		
(a) Bills purchased & discounted	-	-
(b) Term Loans	-	-
(c) Others	-	-
	-----	-----
Total	-	-
	=====	=====
	-----	-----
GRAND TOTAL of C (I) & C (II)	-	-
	=====	=====



SCHEDULES TO THE ACCOUNTS (INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED)

	(₹ in Rs)	
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
I. Premises (including Land)		
-At cost as on 1st April of the year	-	-
-Additions during the year	-	-
Less :Deductions during the year	-	-
-Revaluation	-	-
Less : Depreciation to date	-	-
	-	-
II. Other Fixed Assets (including furniture & fixtures)		
-At cost as on 1st April of the year	30,669,190	2,870,859
-Additions during the year	3,245,376,023	27,798,331
Less : Deductions during the year from Grants	1,881,572,669	-
Less : Depreciation to date	39,695,352	2,044,133
	1,354,777,192	28,625,057
III. Computer Software		
-At cost as on 1st April of the year	38,854,552	46,835,969
- Additions during the year	2,602,387,974	12,768,180
- Deductions during the year	1,000,000,000	20,749,597
Less: Amortised to date	47,323,617	8,686,781
	1,593,918,909	30,167,771
IV. Leased Assets		
-At cost as on 1st April of the year	-	-
-Additions during the year	-	-
-Deductions during the year	-	-
Less:Depreciation to date	-	-
	-	-
V. Work in Progress	-	8,646,610
TOTAL OF I, II, III, IV, V	2,948,696,101 =====	67,439,438 =====

SCHEDULES TO THE ACCOUNTS (INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED)

	(₹ in Rs)	
	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. Interest accrued	77,117,395	6,532,252
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	26,162,516	-
III. Stationery and Stamps	-	-
IV. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
V. Deferred Tax asset (net)	579,693,199	9,13,735
VI. Incorporation Expenses Capitalized	-	-
VII. Security Deposits	16,127,773	5,778,600
VIII. Grant held with DOP	-	-
IX. DOP Capital Commitment	133,075,622	656,042,091
X. Others	399,528,792	42,687,730
TOTAL of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X	1,231,705,297 =====	711,954,408 =====

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

I. (i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	-	-
I. (ii). Disputed income tax and interest tax demands under appeal, references, etc.	-	-
II. Liability for partly paid investments	-	-
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	-	-



IV. Guarantees given on behalf of constituents

(a) In India	-	-
(b) Outside India	-	-
V. Acceptance, Endorsements and Other obligations	-	-
VI. Other items for which the Bank is contingently liable	2,500,000	2,500,000
TOTAL of I, II, III, IV, V, VI	2,500,000 =====	2,500,000 =====

(₹ in Rs)

SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED

	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
I. Interest/discount on Advances/Bills	-	-
II. Income on Investments	197,463,349	378,840,915
III. Intt on balances with Reserve Bank of India & other inter-bank funds	266,745,982	16,424,942
IV. Others	-	-
TOTAL of I, II, III, IV	464,209,331 =====	395,265,857 =====

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

I. Commission, Exchange & Brokerage	4,295,999	-
II. Profit on sale of land, buildings and other assets	-	-
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	182,961	-
	<u>-182,961</u>	<u>-</u>
III. Dividend Income from Mutual Fund	-	-

IV. Profit on Exchange Transaction	-	-
Less: Loss on Exchange Transaction	-	-
	-----	-----
V. Profit on sale of Investments	376,286	-
Less: Loss on sale of investments	-	-
	-----	-----
VI. Recruitment Income	8,215,328	2,238,326
VII. Recovery from employee on separation	4,986,651	-
VIII. Miscellaneous Income	9,01,688	5,49,066
	-----	-----
TOTAL of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII	18,592,991	2,787,392
	=====	=====

	(₹ in Rs)	
	-----	-----
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended	Year Ended
	31.03.2019	31.03.2018
	-----	-----
I. Interest on Deposits	8,537,467	386,486
II. Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	-	-
III. Others	-	-
	-----	-----
TOTAL of I, II, III	8,537,467	386,486
	=====	=====

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

I. Payment to and provisions for employees	1,994,868,043	149,535,701
II. Rent, Taxes and Lighting	6,669,168	2,243,183
III. Printing & Stationery	19,651,122	1,149,345
IV. Advertisement & Publicity	169,113,674	5,181,772



V. Depreciation on Fixed asset	76,361,271	9,655,728
Less: Adjusted with Revaluation Reserve	-	-
	-----	-----
	76,361,271	9,655,728
VI. Directors' Fees, allowances and expenses	1,179,800	560,000
VII. Auditors' fees and expenses (including statutory auditor of subsidiaries, branch auditors' fees & expenses)	1,000,000	104,600
VIII. Law charges	203,802	114,576
IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	39,861,527	1,282,261
X. Repairs & Maintenance	741,428	83,202
XI. Insurance	23,888,199	719,800
XII. Professional Fee	202,825,980	72,369,809
XIII. GST Expenses	31,680,829	
XIV. Recruitment Expenditure	6,262,709	9,038,466
XV. Training Expenditure	7,310,597	26,959,810
XVI. Outsourcing Expenses	70,611,417	1,445,293
XVII. Travelling and Conveyance	36,693,596	16,973,283
XVIII. Incentive to DOP Staff	3,027,317	-
XIX. Other expenditure	12,101,330	66,898,306
XX. Incorporation Expenditure Write Off	-	22,002,088
	-----	-----
TOTAL of I to XX	2,704,051,809	386,317,223
	=====	=====

Cash Flow Statement for the year ended 2018-19

Particulars		Amount (in Rs) (2018-19)	Amount (in Rs) (2017-18)
A. Cash Flow from Operations			
i) Net Profit After Tax		-1,651,007,490	-9,753,705
Add: Provision for Tax (inculding deffered Tax)		-578,779,464	1,124,934
Profit before Tax	i)	-2,229,786,954	-8,628,771
ii) Adjustments:			
Depreciation on Fixed Assets		76,361,271	9,655,728
Incorporation Expenses Written Off		-	22,002,088
Prior Period Item Written Off		-	19,978,311
Less: Amount Utilized from Grants		3,605,986,080	-
Total Adjustments	ii)	-3,529,624,809	51,636,126
Operating profit before changes in Operating Assets & Liabilities (i)+(ii)		-5,759,411,763	43,007,356
iii) Adjustments for net change in Operating Assets & Liabilities			
Decrease in Investments (Net)		3,325,089,364	-4,882,435,658
Decrease in Other Assets (Net)		59,028,575	-687,894,921
Increase in Deposits (Net)		935,548,723	9,672,864
Increase in Other Liabilities (Net)		2,072,949,158	-7,484,759
Total adjustment for net change in Operating Assets & Liabilities	(iii)	6,392,615,820	-5,568,142,474
Cash Flow used from Operations (i)+(ii)+(iii)		633,204,057	-5,525,135,118
Tax Paid		-	-3,936,226
Net Cash Flow used from Operations	A	633,204,057	-5,529,071,344
B. Cash Flow used in Investing Activities			
Purchase of Fixed Assets		-2,957,617,934	-49,213,121
Net Cash Flow used in Investing Activites	B	-2,957,617,934	-49,213,121



C. Cash Flow generated from Financing Activities

Issue of Share Capital		3,000,000,000	1,250,000,000
Receipt of Grants		-	3,750,000,000
Net Cash Generated from Financing Activities	C	<u>3,000,000,000</u>	<u>5,000,000,000</u>
Net Changes in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C')	D	<u>675,586,123</u>	<u>-578,284,465</u>
Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year			
Cash and Balance with RBI		3,340,292	247,757
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice		897,876,208	1,479,253,208
		901,216,500	1,479,500,965
Cash and Cash Equivalent at the end of the year			
Cash and Balance with RBI		109,028,399	3,340,292
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice		1,467,774,224	897,876,208
		<u>1,576,802,623</u>	<u>901,216,500</u>
		675,586,123	-578,284,465

Sd/-
(Priyanka Bhatnagar)
Company Secretary
(PAN No. AQKPB7572L)
R/o C-8 Flat No. 9, Chander
Nagar Ghaziabad, UP

Sd/-
(Seema Singh)
Chief Financial Officer
(PAN No. AHSPS3813Q)
E 75, Anand Niketan,
New Delhi-110021

Sd/-
(Suresh Sethi)
Managing Director & CEO
(DIN no. 06426040)
R/o, C/901, Lodha Bellissimo,
N M Joshi Marg Apollo Mill
Compound, Mahalaxmi, Mumbai

Sd/-
(Tanweer Qamar Mohammad)
Director (Din no. 08238554)
R/o, B-32, Type 5B, Nivedita Kunj,
R K Puram, Sector 10, Delhi 110022

Sd/-
(Anant Narayan Nanda)
Chairman (DIN no. 07810425)
R/o, C1, Block 6, New Moti Bagh, New Delhi

As per our report of even date

For V K Sehgal & Associates
Chartered Accountants - FRN No. 011519N

Sd/-
(Anuj Maheshwari)
Partner
Membership No. 096530

SCHEDULE 17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India unless otherwise stated encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. Revenue Recognition

Income & Expenditure are accounted for as under;



3.1 Income on Investments is accounted as below;

- a) Interest on Treasury Bills is recognised as income on time proportionate basis.
- b) Profit on sale of Investments is recognised as income on the date of sale of investment

3.2 Interest on Term Deposits is accounted for on time proportionate basis

3.3 Commission, Exchange and Brokerage is recognised as income as and when the underlying transaction is executed

3.4 Recruitment Income is recognised as and when the same is received

3.5 Recovery from employees and Miscellaneous Income is recognised as and when it is received.

3.6. All interest expenses relating to deposits accepted and borrowings are recognised on accrual basis.

3.7 All other operating expenses are accounted on accrual basis.

4. Investments

4.1 The banks follow the trade date method of accounting for purchase and sale of investments, except for Government of India and state government securities where settlement date method of accounting is being followed in accordance with RBI guidelines.

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.3 Investments have been categorized into "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading in terms of RBI guidelines.

4.4 In determining acquisition cost of an investment

- a. Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.
- b. Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted in interest accrued but not due account.
- c. Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investment.

4.5 Investments are valued as per RBI/FIMMDA guidelines

4.6 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve) is appropriated to "Capital Reserve Account"

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortisation, wherever applicable.

5.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets (Computer Software) in Fixed Assets schedule.

5.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

5.4.DEPRECIATION

- A. Since no rates of depreciation on fixed assets have been prescribed by the Banking Regulation Act, 1949, the provisions of Schedule II to the Companies Act, 2013 will be followed by IPPB

Asset	Estimated useful life specified under Schedule II of the Companies Act, 2013
Owned Premises	60 years
Computers (including Mobile Phones, Biometric Devices and Software)	3 years
Servers, routers, network and related IT equipment	6 years
Automated Teller Machines ('ATMs')	15 years
Electrical equipment	10 years
Office equipment	5 years
Furniture and fittings	10 years
Motor Vehicles	8 years

- B. Depreciation is being charged over the estimated useful life of the asset on a straight-line basis.
 C. In case of acquisition or disposal of assets, depreciation will be charged proportionately based on the number of days the asset has been used during the year.
 D. Assets costing up to Rs.5,000/- will be fully depreciated in the year of purchase, keeping a nominal value of Re.1 for identification.
 E. In case of revalued/impaired assets, depreciation will be provided over the remaining useful life of the assets with reference to revised assets values.

6. EMPLOYEE BENEFITS

Regular employees are covered in the group medical insurance, group term insurance and group accident insurance schemes.

Terminal Benefits

- Provident Fund: All eligible employees who joined up to 30.09.2018 are covered under the Employees Provident Fund.
- New Pension Scheme (NPS): All eligible employees who joined on or after 01.10.2018 are covered under Defined Contributory Pension Scheme (DCPS). In respect of such employees the bank contributes 10% of the Basic Pay plus Dearness Allowance and the expenditure thereof is charged to Profit and Loss account and the Bank has no further liability beyond the contribution to the fund on this account.
- Gratuity: The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days' basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972. Vesting occurs upon completion of five years of service.



7. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively.

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably/virtually certain.

8. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

9. Accounting for Government Grants

As per the mandate, the grant has been sanctioned by the Government for purpose of furthering financial inclusion by India Post Payments Bank Ltd through provision of ATMs/Micro-ATMs/PoS and for emerging technologies solution for providing cash-out facilities, capacity building of village post offices, strengthening cash management systems at village post offices, and conducting financial literacy camps. Board in terms of resolution dated July 17, 2017 approved broad guidelines and patterns for utilization of Grant. Accordingly, the Grant received has been treated as shareholders fund and credited to capital reserves. As such, the bank is adopting the Capital Approach method as per AS-12 on Government Grants. The Grant is utilised as per Board approved policy.

SCHEDULE 18 NOTES TO ACCOUNTS

1. Capital

(Rs in 000)

S No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i.	Common Equity Tier I Capital*	3180935	7968897
ii.	Common Equity Tier 1 Capital ratio (%)	124.72	767.99

iii.	Tier 1 Capital ratio (%)	124.72	767.99
iv.	Tier 2 Capital ratio (%)	0.00	0.00
v.	Total Capital ratio (CRAR) (%)	124.72	767.99
vi.	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	100.00%	100.00%
vii.	Amount of equity capital raised during the year	3000000	1250000
viii.	Amount of Additional Tier 1 Capital raised, of which: Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) Perpetual Debt Instrument (PDI)	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil
ix.	Amount of Tier 2 capital raised, of which: Debt Capital Instruments: Preference Share Capital Instruments: (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS))	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil

* After deducting incorporation expenditure not written off/deferred Tax Assets and computer software.

2. Investments

(Rs in 000)

S No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(1)	Value of Investments		
i	Gross value of Investments	3112788	6437878
a	In India	3112788	6437878
b	Outside India	0	0
ii	Provision for Depreciation	0	0
a	In India	0	0
b	Outside India	0	0
iii	Net Value of Investments	3112788	6437878
a	In India	3112788	6437878
b	Outside India	0	0
(2)	Movement of Provisions held towards depreciation on investments		
i	Opening Balance	0	0



ii	Add: Provision made during the year	0	0
iii	Less: Write Off/Write-back of excess provisions during the year (Net)	0	0
iv	Closing Balance	0	0

3. Repo Transactions (in face value Terms)

The Bank has not done any transactions in this segment and as such, no disclosure is required.

4. Non-SLR Investment Portfolio

a) Issuer composition of Non SLR Investments

The Bank does not have any transactions in the Non-SLR category during the year ended 31st March 2019. As such, no disclosure is required.

b) Non-performing Non-SLR Investments

The Bank is not holding any Non-SLR Investments as on 31st March 2019 and as such, nothing is to be reported under this segment

5. Sale and transfers to/from HTM category

During the year, there was no transfer of investments to/from HTM category and there was no sale of Investments from HTM category.

6. Derivatives

Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

b. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

c. Disclosure on risk exposure in Derivatives

The Bank has not done any transactions in Derivatives and as such, nothing is to be reported in this segment.

7. Asset Quality

a. Non-Performing Assets

b. Particulars of Accounts Restructured

c. Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company (SC/RC) for Assets Reconstruction

d. Details of non-performing financial assets purchased/sold from/to other bank.

e. Provision on Standard Assets

f. Break up of floating provisions

The Bank falls under the category of "Payment Banks" and is not allowed to do Lending. As such, disclosures requiring Assets Quality including Non-Performing Advances, Restructuring, Standard Assets and floating provisions are not applicable to the Bank.

8. Business Ratios

Particulars		31.03.2019	31.03.2018
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	5.47%	5.35%
ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	0.22%	0.04%
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	-26.28%	0.15%
iv)	Return on Assets	-19.46%	-0.13%
v)	Business (Deposit plus advances) per employee (Rs in lakhs)	4.30	0.11

vi)	Profit/ (Loss) per employee (Rs in lakhs)	(7.49)	(0.09)
-----	---	--------	--------

9. Asset Liability Management

Maturity Pattern	Deposits	Advances	Investment	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Next Day	6827 (86)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2-7 days	40963 (516)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
8-14 days	47790 (602)	NIL	NIL (499065)	NIL	NIL	NIL
15-30 days	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
31 days to 2 months	NIL	NIL	NIL (3996890)	NIL	NIL	NIL
Over 2 months to 3 months	NIL	NIL	NIL (1236195)	NIL	NIL	NIL
Over 3 months to 6 months	NIL	NIL	NIL (705728)	NIL	NIL	NIL
Over 6 months to 1 Year	NIL	NIL	3112788 (NIL)	NIL	NIL	NIL
Over 1 Year to 3 Years	852011 (10839)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Over 3 Years to 5 Years	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Over 5 Years	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	947592 (12043)	NIL	3112788 (6437878)	NIL	NIL	NIL

Figures given in the brackets are for the last year.

10. Exposures:

Exposure to Real Estate Sector

b. Exposure to Capital Market

c. Risk Category wise Country Exposure

d. Details of Single Borrower Limit and Group Borrower Limit exceeded by the bank

e. Unsecured Advances

The Bank falls under the category of "Payment Banks" and is not allowed to do Lending. As such, disclosures relating to Exposure is not applicable



11. Disclosure of penalties imposed by RBI:

RBI has not imposed any penalty on the Bank during the year ended 31st March, 2019

Other disclosures required by Accounting Standards

12. AS-6 Depreciation Accounting:

Break up of Total Depreciation for the year ended March 2019 for each class of the assets

(Rs in 000)

Class of Assets	31.03.2019	31.03.2018
Computer Software	38637	7771
Other Fixed Assets	37724	1885
Total	76361	9656

13. AS-9 Revenue Recognition:

Income & Expenditure are accounted for as under;

A. Income on Investments is accounted as below;

a) Interest on Treasury Bills is recognised as income on time proportionate basis.

b) Profit on sale of Investments is recognised as income on the date of sale of investment

B. Interest on Term Deposits is accounted for on time proportionate basis

C. Commission, Exchange and Brokerage is recognised as income as and when the underlying transaction is executed

D. Recruitment Income is recognised as and when the same is received

E. Recovery from employees and Miscellaneous Income is recognised as and when it is received.

F. All interest expenses relating to deposits accepted and borrowings are recognised on accrual basis.

G. All other operating expenses are accounted on accrual basis.

14. AS-11 Change in foreign exchange rates: The Bank has not undertaken any transactions in Foreign Currency. As such, nothing is to be reported under this segment.

15. AS-12 Government Grants Utilisation

The utilisation of the grant for the year ended 31st March 2019 is given below:

(Rs in 000)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening Balance	3987514	237514
Addition during the year	NIL	3750000
Utilised during the year	3605986	NIL
Closing Balance	381528	3987514

16. AS-15: Employee Benefits:**A) Gratuity:**

During the year, Bank has purchased annuities worth Rs.7.02 crore from Life Insurance Corporation of India based on actuarial valuation. This amount is debited to Profit and Loss account for the year ended 31st March 2019.

B) Leave Encashment:

During the year, Bank has made a provision of Rs.5 crore for encashment of Privilege Leave by employees based on best estimate basis. This amount is debited to Profit and Loss account for the year ended 31st March 2019.

17. Segment Reporting for the year ended 31st March 2019

(Rs in 000)

Part A: Business Segments			
S No	Particulars	Year Ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2018
i.	Segment Revenue		
	a) Treasury	464586	395266
	b) Corporate/Wholesale Banking	NIL	NIL
	c) Retail Banking	4113	2787
	d) Other Banking Operations	14103	NIL
	Total	482802	398053
ii.	Segment Results		
	a) Treasury	87966	32964
	b) Corporate/Wholesale Banking	NIL	NIL
	c) Retail Banking	-2318283	-21615
	d) Other Banking Operations	530	NIL
	Total	-2229787	11349
iii.	Unallocated Expenses	NIL	NIL
iv.	Operating Profit	-2229787	11349
v.	Provision for tax	-578779	1125
vi.	Extraordinary Item (Prior Period Expenditure)	NIL	19978
vii.	Net Profit	-1651007	-9754
Other Information:			



viii.	Segment Assets		
	a) Treasury	4630825	7338951
	b) Corporate/Wholesale Banking	NIL	NIL
	c) Retail Banking	4239167	779537
	d) Other Banking Operations	NIL	NIL
	Sub Total	8869992	8118488
	e) Unallocated Assets	NIL	NIL
	Total Assets	8869992	8118488
ix.	Segment Liabilities		
	a) Treasury	3493000	7242707
	b) Corporate/Wholesale Banking	NIL	NIL
	c) Retail Banking	5376992	875781
	d) Other Banking Operations	NIL	NIL
	Sub Total	8869992	8118488
	e) Unallocated Liabilities	NIL	NIL
	Total Liabilities	8869992	8118488

Part B – Geographic Segments

As the bank is operating only in India, geographic segment is not required to be reported.

18. Disclosure of Related parties as per AS-18 issued by ICAI: Nil

19. Accounting for leases – AS-19: Bank has not taken any Premises/ Assets on lease. As such, disclosures relating to Lease is not applicable

20. Earnings per share – AS-20

S No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
A	EPS – Basic/Diluted (in Rs)	-3.41	-0.03
B	Amount used as numerator Profit/(Loss) (after tax) (Rs in 000)	(1651007)	(9754)
C	Nominal Value of Share	Rs.10 each	Rs.10 each
D	Weighted average number of equity shares used as the denominator	483835616	369863014

21. Accounting for taxes on Income – AS 22:

The Bank has recognized deferred tax assets and liability as per accounting policy. Major components of which are set out below:

(Rs in 000)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Deferred Tax Assets		
Carry Forward Loss	650061	4249
Gratuity	18389	NIL
Leave Encashment	13000	NIL
Total	681450	4249
Deferred Tax Liabilities	-	-
Depreciation on Fixed Assets	101757	3335
Total	101757	3335
Deferred Tax Liabilities (Net)	NIL	NIL
Deferred Tax Assets (Net)	579693	914

22. Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements (AS-23)

The Bank does not have any Subsidiaries/ Associates and as such, no disclosure is required under this segment.

24. Impairment of Assets (AS-28)

There is no impairment of Assets during the financial year ended 31st March 2019.

26. Break up of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account is as follows:

(Rs in 000)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Provisions for depreciation on investment (net)	NIL	NIL
Provision towards NPAs (net)	NIL	NIL
Provision towards standard assets	NIL	NIL
Provision made towards Income Tax/ Deferred Tax	-578779	1125
Other Provisions & Contingencies	NIL	NIL
Total	-578779	1125

27. Draw Down from Reserves:

The Grant received has been treated as shareholders fund and was credited to capital reserves. The Grant is utilised as follows;

S.No	Usage of Grants	Actual Utilization of Grants during FY 2018-19
		Amount (Rs. Cr.)
1.	Provision of ATMs/Micro ATMs/ PoS	188.12



2.	I. Emerging technologies to provide cash out facilities (QR Cards) II. Catering to capacity building of village post offices(Training) III. Strengthening cash Management Systems at village post offices(Insurance) IV. Financial Literacy	7.31 5.94 0.48 58.75 72.48
3.	Technology Cost	100
	Total	360.06

28. Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman including customer complaints pertaining to ATM.

a. Customer Complaints

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	9	Nil
b)	No. of complaints received during the year	26719	75
c)	No. of complaints redressed during the year	25376	66
d)	No. of complaints pending at the end of the year	1352	9

b. Awards passed by the Banking Ombudsman

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
a)	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	Nil	Nil
b)	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	Nil	Nil
c)	No. of awards implemented during the year	Nil	Nil
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	Nil	Nil

29. Disclosure in respect of Insurance Business undertaken by the bank:

The Bank has not undertaken any Insurance business during the financial year ended 31st March 2019.

30. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs:

a) Concentration of Deposits:

(Rs in 000)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Deposit of Twenty largest depositors	2000	1828
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	00.21%	15.18%

b. Concentration of Advances c. Concentration of exposures d. Concentration of NPAs e. Provision Coverage Ratio	The Bank falls under the category of "Payment Banks" and is not allowed to do Lending. As such, disclosures relating to Concentration of Advances/ Exposures/ NPAs and Provision Coverage Ratio is Not Applicable
II. Sector-wise advances III. Movement of NPAs IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue	The Bank falls under the category of "Payment Banks" and is not allowed to do Lending. As such, disclosures relating to Sector wise Advances, Movement of NPA is Not Applicable

31. Reward Points of Credit Card & Debit Card

The Bank has not issued any Credit or Debit card. As such, the disclosure regarding Debit/ Credit card is not applicable

32. Disclosures relating to Securitization

The Bank falls under the category of "Payment Banks" and is not allowed to do Lending. As such, Bank has not undertaken any transactions relating to Securitization.

33. Credit Default Swaps (CDS)

The Bank falls under the category of "Payment Banks" and is not allowed to do Lending. As such, Bank has not undertaken any transactions relating to Credit Default Swaps

34. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

The Bank is in the initial years of operation. There are no unclaimed deposits which are matured and outstanding for more than 10 years. As such, no amount was transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) during the year.

35. Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

The Bank has not undertaken any foreign currency transactions during the period and does not have any unhedged exposure. As such, this disclosure is not applicable.

36. Intra-Group Exposures

The Bank falls under the category of "Payment Banks" and is not allowed to do Lending. As such, no disclosure is required under this segment.

Other Notes:**37. Amount given to DOP Circles for Furnishing/ Branding of IPPB Branches and Access Points**

IPPB/ DOP (out of IPPB funds) had remitted an amount of Rs 66.28 crore in FY 2017-18 to 23 DOP Circles for furnishing 650 IPPB Branches (Rs 16.81 crore) & branding at all DOP access points viz H.O., S.O. & B.O. (Rs 49.47 crore). All IPPB Branches have since gone live on launch w.e.f. September 1, 2018. As such, the entire amount of Rs 16.81 crore provided for furnishing of IPPB Branches was capitalised w.e.f. September 1, 2018. Bank has received bills amounting to Rs. 6.25 crore as on 31.03.2019.

Similarly, as against estimated 1,54,480 DOP access points, 1,12,923 access points have gone live as on March 31, 2019. The percentage of access points going live was 73.10%. Accordingly 73.10% of Rs.49.47 crore advanced for branding has been appropriated as expenses as on March 31, 2019. The balance amount of Rs 13.31 crore have been shown as DOP (Capital Commitment). Bank has received bills amounting to Rs.4.98 crore as on 31.03.2019.



IPPB had also remitted an amount of Rs 9.10 crore to 23 DOP Circles to organise simultaneous launch function across 650 IPPB Branches and 3250 access points on September 1, 2018. As on date, bills received for an amount of Rs 10.11 crore. Considering that the launch event has already taken place on September 1, 2018, the entire amount of Rs 10.11 crore has been expensed in the financial year ended March 31, 2019.

Since DOP got the entire work done related to furnishing, branding and managing the launch events some of the vendors have raised the bills in the name of DOP.

Taking into consideration that the DOP is our parent, IPPB has acknowledged the said bills in the name of the DOP as if the bills belonging to it and has accounted for them in its books of accounts.

38. SI Cost

IPPB has awarded the contract for implementation of its dedicated and customised technology platform for an amount of Rs. 801 crore (including GST). The life of the contract is 5 years effective from August 14, 2017. During the financial year 2018-19 the bank has made payment of Rs. 229.91 crores (based on mile stone achievement) to the vendor which includes payments towards Hardware, Software, AMCs Fees, implementation and customisation etc.

IPPB has capitalised the entire amount of hardware procured (till the date of GO LIVE) aggregating to Rs. 106.32 crores against which the bills received were for 96.84 crores. It has also capitalised the entire amount of software procured (till the date of GO LIVE) aggregating to Rs. 240.46 crores against which the bills received were for 173.64 crores.

The insurance policy for the hardware is yet to be transferred in the name of IPPB by the vendor. The vendor has assured to transfer the same in banks name by 15th June 2019.

39. Pilot Launch of IPPB fully depreciated

IPPB entered into an MOU with Punjab National Bank (PNB) to facilitate and operationalize pilot launch of IPPB in January 2017. IPPB national launch event was held on 01.09.2018 and the data from PNB system has since been migrated. Consequently, an amount of Rs 2.93 crore being the WDV of Software has been fully depreciated during the financial year ended March 31, 2019.

<p>Sd/- (Priyanka Bhatnagar) Company Secretary (PAN AQKPB7572L) R/o C-8 Flat No.9 Chander Nagar Ghaziabad, UP</p>	<p>Sd/- (Seema Singh) Chief Financial Officer (PAN AHSPS3813Q) E-75, Anand Niketan New Delhi – 110021</p>
<p>Sd/- Managing Director & CE (Suresh Sethi) (DIN 06426040) C/901, Lodha Bellissimo Kunj N M Joshi Marg Appollo Mill Compound Mahalaxmi, Mumbai</p>	<p>Sd/- (Tanweer Qamar Mohammed) Director (DIN 08238554) B-32, Type 5B, Nivedita R K Puram, Sector 10 Delhi - 110022</p>



Sd/-
(Anant Narayan Nanda)
Chairman (DIN 07810425)
C1, Block 6, New Moti Bagh
New Delhi

As per our note of even date
For V K Sehgal & Associates
Chartered Accountants (FRN 011519N)

Sd/-
(Anuj Maheshwari)
Partner, Membership No. 096530

Date: 27/05/2019

Place: New Delhi





क्रमांक: रिप.सी.एच.ए. - लेखापरीक्षा - 223/आई.पी.पी.बी./2018-19/264

No. कार्यालय

महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक व दूरसंचार

शम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली-110054

OFFICE OF THE

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, POST & TELECOMMUNICATIONS

SHAM NATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI-110054

दिनांक: 21/08/2019

Date

सेवा मे

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड,
आकाश, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग,
मार्केट बिल्डिंग, मार्केट रोड,
नई दिल्ली - 110001

विषय: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED (IPPB) for the year 31st March 2019.

महोदय,

I am to forward herewith 'Nil Comments' certificate under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED (IPPB) for the year ended 31st March 2019 for information and further necessary action.

कृपया पत्र की पावती भेजे।

संतोषक: यथोपरी।



भवदीय,
(सौरभ मोरचन)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(डाक एवं दूरसंचार)

दूरभाष / Telephone :
23814747 / 4823 / 2666

ई-मेल / E-mail :

फैक्स / Fax :

711 23814747

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED (IPPB) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of financial statements of **INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED (IPPB)** for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 7th August 2019 which supersedes their earlier Audit Report dated 27th May 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED (IPPB)** for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision(s) made in the statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the Statutory Auditors' report under Section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place: New Delhi


(Saurabh Narain)

Principal Director of Audit (P&T)



Annexure - F
Management's Reply to the Comments of the Secretarial Audit Report for the
Financial Year 2018-19

S.No.	Comments/Remarks	Management Reply
01	The Company has allotted 30,00,00,000 shares to the President of India through Secretary, Department of Post on right issue basis on 05th December, 2018 in this respect some of the provisions of Section 62 of the Companies Act, 2013 for issue and allotment of shares has not been complied with.	As per the provision of Section 62 read with section 42 of the Companies Act, allotment of shares should be done within 60 days of receiving the application money. IPPB is a Government Company and all the allotment of Equity are done on the basis of Government Orders. As per the provisions of the Act, share application money is transferred by the shareholders once the offer letter is accepted by the shareholder. But in our case money was deposited in the Bank's account and then the complete process of allotment was started and so we were not able to allot the shares within 60 days. We assure to comply allotment of shares in the stipulated time frame hereafter
02	The Company has not recorded the change in promoter's Shareholding during the F.Yr-17-18 in Form MGT-9 (Extracts of Annual Return) filed with the RoC in Form AOC-4 XBRL.	Change in Shareholding was recorded in form MGT 7 but inadvertently missed in form MGT 9. Also the details of current shareholders were mentioned in the form MGT 9. However the observation will be implemented in the current financial year.
03	As a good governance practice it is suggested that Company be incorporate explanation/comments in its Board Report for the remarks made by the Secretarial Auditors in their Report.	The observation is noted for future guidance.
04	Some of the compliance with respect to the requirements of website disclosures under the Companies Act, 2013 has not been complied with.	Noted for future compliance

**Management's Reply to the Comments of the Statutory Audit Report
for the Financial Year 2018-19**

S.No.	Auditors Qualification	Management Reply
01	<p>IPPB/ DOP (out of IPPB funds) had remitted an amount of Rs 66.28 crore in FY 2017-18 to 23 DOP Circles for furnishing 650 IPPB Branches (Rs 16.81 crore) & branding at all DOP access points viz H.O., S.O. & B.O. (Rs 49.47 crore). All IPPB Branches have since gone live on launch w.e.f. September 1, 2018. As such, the entire amount of Rs 16.81 crore provided for furnishing of IPPB Branches was capitalised w.e.f. September 1, 2018. However the Bank has received bills amounting to Rs. 6.25 crore only as against the expenses of Rs. 16.81 crore as on 31.03.2019. In absence of the adequate invoices we are unable to comment on the said capitalisation of furniture and fixture. Similarly the depreciation charged on such capitalised amount is also subject to verification of bills.</p> <p>The bank had envisaged to open 1,54,480 DOP access points by the end of the financial year. As against, 1,54,480 DOP access points 1,12,923 access points have gone live as on March 31, 2019. The percentage of access points going live was 73.10%. Accordingly the bank has appropriated 73.10% of Rs.49.47 crore advanced for branding as expenses as on March 31, 2019 on estimated basis. The balance amount of Rs 13.31 crore have been shown as DOP (Capital Commitment). Bank has received bills amounting to Rs.4.98 crore only as against the amount appropriated as expenses of Rs. 36.16 Crore as on 31.03.2019. In absence of the adequate invoices we are unable to comment on the said expenditure debited to Profit and Loss account of the bank.</p> <p>Since DOP got the entire work done related to furnishing, branding and managing the launch events some of the vendors have raised the bills in the name of DOP. Taking into consideration that the DOP is their parent, IPPB has acknowledged the said bills in the name of the DOP as if the bills belonging to it and has accounted for them in its books of accounts.</p>	<p>Sl Nos 1,2 and 4: Furniture and Branding:</p> <p>We have received bills/receipts for Rs.16.19 Crores from various DOP circles against total advance of Rs.49.47 Crores for branding of all IPPB branches / DOP access points.</p> <p>Against advance of Rs.16.81 Crores for furnishing of 650 IPPB branches, bills/receipts for Rs.9.69 Crores has been received yet.</p> <p>On the advice of Bank's Statutory Auditors, entire advance of Rs.16.81 Crores towards furnishing of 650 branches has been capitalized. Similarly, out of the advance of Rs.49.47 Crores against branding, Rs.36.16 Crores has been appropriated against the grant & remaining amount of Rs.13.31 Crores has been capitalized & shown as DOP Capital Commitment (under Other Assets).</p> <p>Since the amount was paid by debiting suspense account, based on the prudent accounting policies and advice of SA, IPPB could not keep it under suspense account and therefore was capitalized.</p> <p>All these issues were raised by CAG also and were replied by us on the aforesaid lines.</p> <p>This was also adequately disclosed by the Bank under Notes to Accounts as the same needs to be informed to the stakeholders. It was also mentioned by the Statutory Auditor in his report earlier and now reiterated only.</p> <p>We are regularly following up with DOP for submission of remaining bills/ receipts.</p> <p>It may be submitted that the issues referred above was discussed in the ACB/ Board meeting dated 27th May 2019. As per direction of the Board in its meeting held on 24th July 2019, we have already taken up with DOP authorities to expedite submission of all the information item-wise in the format approved. The information in the prescribed format along with authenticated bills/ receipts is required to be submitted duly authenticated by the DOP authorized signatory. The matter is under close follow up.</p> <p>Since taking up with DOP authorities we have received fresh bills/ receipts amounting to Rs.2.59 Crore till 31st August 2019 (Furniture Rs.0.84 crore and Branding Rs.1.75 Crore). Bills/ receipts for Rs.38.17 Crore is still pending submission</p>
2.	<p>IPPB had also remitted an amount of Rs 9.10 crore to 23 DOP Circles to organise simultaneous launch function across 650 IPPB Branches and 3250 access points on September 1, 2018. As on date, bills received for an amount of Rs 10.11 crore. Considering that the launch event has already taken place on September 1, 2018, the entire amount of Rs 10.11 crore has been expensed in the financial year ended March 31, 2019.</p>	<p>We have expensed out the entire expenditure as a prudent accounting policy and as advised by SA.</p> <p>In this case as rightly commented bills for Rs. 10.11 crore was received. The entire bills/ receipts were sent back to the IPPB circle offices for verification and certification for our records.</p>



5	<p>IPPB has awarded the contract for implementation of its dedicated and customized technology platform for an amount of Rs. 801 crore (including GST). The life of the contract is 5 years effective from August 14, 2017. During the financial year 2018-19 the bank has made payment of Rs. 229.91 crores (based on mile stone achievement) to the vendor which includes payments towards Hardware, Software, AMCs Fees, implementation and customisation etc.</p>	<p>SI Nos 5 – 8: Computer Hardware and Software:</p> <p>The Bank had entered into agreement with System Integrator (SI) for an amount of Rs. 800 crore for hardware and Software solutions. As per the agreement, the amount is payable based on milestones mentioned in the agreement during a period of 5 years while the project is scheduled for implementation in phases mentioned as release.</p>
6	<p>IPPB has capitalised the entire amount of hardware procured (till the date of GO LIVE) aggregating to Rs. 106.32 crores against which the bills received were for 96.84 crores. It has also capitalised the entire amount of software procured (till the date of GO LIVE) aggregating to Rs. 240.46 crores against which the bills received were for 173.64 crores.</p>	<p>IPPB has since launched all the 650 branches and around 80% of the access points have been rolled out. The Hardware and Software provided by SI is already put to use in terms of RFP.</p>
7	<p>The insurance policy for the hardware is yet to be transferred in the name of IPPB by the vendor. The vendor has assured to transfer the same in banks name by 15th June 2019.</p> <p>In absence of the adequate invoices we are unable to comment on the said capitalisation of hardware and software. Similarly the depreciation charged on such capitalised amount is also subject to verification of bills.</p>	<p>The vendor raises invoices on IPPB as and when the payment becomes due and the amount of invoice is limited to the extent of the amount payable on such instance.</p> <p>On the advice of Bank's Statutory Auditors, the cost of hardware and software (till go live) was capitalised during FY 2018-19 and depreciation thereon was charged to Profit and Loss account as a prudent accounting practice. The amount payable to vendor thereon was shown under Other Liabilities as "Payable to Vendors". Future payments will be against fresh invoice to be raised by the vendor as per milestones achieved as per RFP by debiting this account.</p>
8		<p>This has been done in line with the standard industry practice.</p> <p>We are closely following with SI to provide us the Insurance policy for the hardware to be transferred in the name of IPPB</p>

"Our Government introduced millions of households to banking through Jan-Dhan and today with this initiative IPPB would usher in economic transformation by bringing bank to the doorsteps of the villagers and the poor. Aapka bank aapke dwaar is not just a mere slogan, it is our pledge and commitment"

- Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi
(Sep 1st 18 - IPPB National Launch)



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

India Post
Payments Bank

Aapka bank, aapke dwaar

This anniversary we are changing the way
INDIA TRANSACTS

Access your account with **ANY BANK** using your fingerprint
for **Cash Withdrawal & Balance enquiry** through

136,000+
Post offices

195,000+
Postmen and Gramin Dak Sevaks
AT YOUR DOORSTEP



**CELEBRATING THE TRUST
OF 1 CRORE CUSTOMERS**

Powered by: **APS**

..... ENJOY SERVICES AT YOUR DOORSTEP
.....

- Cash Deposits
- Money Transfers
- Merchant Payments
- Cash Withdrawals
- Direct Benefit Transfers
- Bill Payments

Contact Us (Toll Free): 155299 / 18001807930 | Please visit www.jppbonline.com for more details | Available at:
Follow us on: @jppbonline @jppbonline @jppbonline India Post Payments Bank India Post Payments Bank







वित्तीय समावेशन का विस्तार

वित्तीय समावेशन का मुख्य लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को किफायती, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से उनकी सभी बचत, भुगतान, ऋण तथा बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन के प्रारम्भ होने से, विशेषकर निम्न आय समूहों तथा पिछड़े वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच में अत्यधिक प्रगति हुई है। इस प्रगति की पुष्टि विश्व बैंक के ग्लोबल फाइडेक्स डाटाबेस, 2017 द्वारा की गयी है, जिसके अनुसार भारत में बैंक खाता रखने वाले वयस्कों की संख्या दोगुने से अधिक बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है, यद्यपि यह वृद्धि उल्लेखनीय है, वित्तीय समावेशन का मौजूदा लक्ष्य बैंकिंग चैनलों की सर्वव्यापी पहुंच तथा कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। भारतीय डाक का विस्तृत नेटवर्क वित्तीय सेवाओं को वितरित करने तथा वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु एक बनी बनायी माध्यम प्रदान करता है।

जब इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक अपने विकास के अगले चरण में है, अब मूलभूत वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन के विस्तार के लिए हमारे प्रयासों और पहलों में और अधिक गति आयगी। भारत तभी समृद्ध होगा, जब प्रत्येक नागरिक को वित्तीय रूप से सुरक्षित एवं सशक्त होने का समान अवसर प्राप्त होगा।





इंडिया पोस्ट
पेमेन्ट्स बैंक



इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के बारे में वित्तीय समावेशी बैंकिंग में एक नया युग

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना देश के सामान्य नागरिक के लिए सबसे **सुलभ, किफायती एवं भरोसेमंद बैंक** का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक का मूल अधिदेश बैंक रहित एवं कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए बाधाओं को दूर करना तथा डाक विभाग के विस्तृत नेटवर्क का लाभ प्राप्त करते हुए अंतिम मील तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना है।

01 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रीय स्तर पर लोकार्पण के पश्चात, आईपीपीबी ने 136,000 से अधिक डाकघरों को सम्पूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है, जिसमें से 110,000 डाकघर केवल ग्रामीण भारत में हैं, जिससे ग्रामीण बैंकिंग संरचना में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 195,000 से अधिक डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस से लैस किया गया है।

मुख्य उपलब्धियां

- एक करोड़ से अधिक ग्राहक
- रु. 5,700 करोड़ से अधिक धनराशि के डिजिटल लेन-देन
- अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम पेमेन्ट्स बैंक
- 1,36,000 से अधिक डाकघरों में सेवाएं उपलब्ध, जिसमें से 1,10,000 ग्रामीण भारत में हैं
- 1,95,000 से अधिक डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवक अंतर-परिचालित डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं
- सभी सेवा माध्यम 13 भाषाओं में उपलब्ध

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवाओं के प्रारम्भ होने के साथ ही आईपीपीबी डाक विभाग की अंतिम मील तक अभूतपूर्व पहुंच का लाभ प्राप्त करते हुए **किसी भी बैंक ग्राहक को अंतर-परिचालित डोरस्टेप बैंकिंग** सेवाएं प्रदान करने वाला देश का अब एकमात्र सबसे बड़ा मंच भी बन गया है। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने सम्बंधित डाकघरों की क्षमता ने 'ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा केंद्र' की औसत दूरी को 5 से 6 किमी. (ग्रामीण बैंक शाखा संरचना) से घटाकर अब 2.5 किमी. (डाकघर से औसत दूरी) कर दिया है। आईपीपीबी के अंतिम मील तक बैंकिंग सेवा प्रदाताओं (डाकियों/ग्रामीण डाक सेवकों) की प्रत्येक गांव तक लगभग प्रतिदिन पहुंचने की क्षमता ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की दूरी को '0 किमी.' तक नीचे ला दिया है। इस प्रकार हम अपने कथन **आपका बैंक, आपके द्वार** के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

जन-धन कार्यक्रम लाखों भारतीयों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने में सहायक था। हमारे देश में 36 करोड़ जन-धन खाताधारक हैं, जिसमें से 22 करोड़ खाता धारक ग्राम

ीण क्षेत्रों से हैं। आईपीपीबी अब एईपीएस सेवाओं से, 36 करोड़ जन-धन खाताधारकों सहित सभी ग्राहक खंडों को सेवा देने की क्षमता रखता है तथा पारम्परिक बैंकिंग इकोसिस्टम में पहुंच सम्बंधित चुनौतियों का सामना करने वाले ग्राहकों का समावेश करने को नई गति प्रदान करता है।

आईपीपीबी ने बैंक रहित और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में सहायक बैंकिंग मॉडल सक्रिय करने तथा अंतिम मील तक डिजिटल प्रक्रिया सरल बनाने के लिए अद्वितीय समाधान भी प्रस्तुत किये हैं:

- **क्यूआर कार्ड** - ग्राहकों के लिए एक वास्तविक खाता पहचान है, जिससे उन्हें खाता संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है तथा एजेंट द्वारा डाटा प्रविष्टि करने में त्रुटियों की संभावना बहुत कम होती है।
- **सहायक यूपीआई** - यूपीआई में ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग हेतु प्रवेश सम्बंधित बाधाओं को दूर करना तथा स्मार्टफोन एवं डेबिट कार्ड के बिना यूपीआई लेन-देन की सुविधा प्रदान करना।

किफायती नवोन्मेष और उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी संरचना का लाभ प्राप्त करते हुए, आईपीपीबी सभी स्व-सेवा माध्यम (मोबाइल ऐप, मर्चेन्ट ऐप) एवं सहायक माध्यम (माइको एटीएम) द्वारा 13 भाषाओं में सरल एवं किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान कर रहा है। आईपीपीबी ने बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्यरत 250,000 से अधिक डाक सहायकों, डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन में एक करोड़ से अधिक मानव घंटे निवेश करके अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कियान्वित किया है।

अब डाक विभाग के ग्राहक आईपीपीबी की अंतर-परिचालित बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वयं को बैंकिंग इकोसिस्टम से भी जोड़ सकते हैं। सरल क्यूआर कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करने तथा विविध डाक विभाग बचत योजनाओं में सीधे भुगतान करने तथा डाक उत्पादों को खरीदने हेतु आईपीपीबी ने सभी डाकघर काउंटरों को डिजिटल बना दिया है। आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा डिजिटल इंडिया के विजन में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का विकास तभी होगा जब उसके प्रत्येक नागरिक को वित्तीय रूप से सुरक्षित एवं समृद्ध होने का समान अवसर प्राप्त होगा। हम अपने कथन **'प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लेन-देन अहम है और प्रत्येक जमा राशि बहुमूल्य है'** के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।



सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे
सुलभ, किफायती एवं भरोसेमंद
बैंक का निर्माण करना।




विजन



बैंकिंग सुविधाओं की प्राप्ति हेतु
बाधाओं को दूर करके एवं लागतों
को घटाकर वित्तीय समावेशन का
विस्तार करना।

मिशन



मार्गदर्शी सिद्धान्त

सर्वव्यापी बैंकिंग पहुंच

डाक नेटवर्क

- 1,55,000 डाकघर (1,30,000 ग्रामीण क्षेत्रों में)
- 3,00,000 डाक कर्मचारी

आईपीपीबी नेटवर्क

- 1,36,000 से अधिक बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट (1,10,000 ग्रामीण क्षेत्रों में)
- 195,000 से अधिक डोरस्टेप बैंकर

अंतिम मील सम्बन्धित चुनौतियां

- 49,000 ग्रामीण शाखाएं
- बैंक तक औसत दूरी लगभग 10 किमी.
- 36 करोड़ जन-धन खाते
- 53 करोड़ बीएसबीडीए खाते

ईपीएस का लाभ

- अंतर-परिचालित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला देश का सबसे बड़ा एकल मंच
- अंतिम मील तक बैंकिंग संरचना में दोगुना वृद्धि
- ग्रामीण बैंकिंग संरचना में 2.5 गुना वृद्धि
- 36 करोड़ जन-धन खातों को उनके द्वार पर बैंकिंग उपलब्धता

डाकघर बचत बैंक ग्राहक

वित्तीय समावेशन में डाक विभाग की अग्रणी भूमिका

- 34 करोड़ डाकघर बचत बैंक ग्राहक
- 17 करोड़ पीओएसए धारक

चुनौती

- अंतर-परिचालित बैंकिंग इकोसिस्टम से बाहर रहना।

आईपीपीबी खाते द्वारा पीओएसबी ग्राहकों को अंतर-परिचालित बैंकिंग इकोसिस्टम से जोड़ना

डाक विभाग इकोसिस्टम को डिजिटल बनाना

- 25,000 डाक उत्पाद काउंटर
- 34 करोड़ डाकघर ग्राहकों के लिए डाकघर योजनाएं (आरडी/टीडी/सुकन्या समृद्धि योजना/पीपीएफ)


चुनौती

- नकद प्रधान लेन-देन

डाकघर काउंटर्स पर भारतीय डाक उत्पादों के लिए डिजिटल भुगतानों को स्वीकार करने में सक्षम बनाना।



सेवा घटक



पहुंच

पारम्परिक बैंकिंग:

ग्रामीण भारत में 49,000 बैंक शाखाएं बैंक शाखा तक पहुंचने के लिए तय की गई औसत दूरी 5-6 किमी.

आईपीपीबी बैंकिंग:

आईपीपीबी ग्रामीण भारत में 130,000 डाकघरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है (155,000 डाकघरों में से)।

अब औसत दूरी घटकर 2.5 किमी. हो गई है।

2.5
किमी.

0
किमी.

300,000 डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा द्वार पर बैंकिंग सेवा प्रस्तुत करने के कारण अब यह दूरी 2.5 किमी. से और घटकर 0 किमी. हो गई है।

सही अर्थों में
आपका बैंक, आपके द्वार





किफायती

पारम्परिक बैंकिंग:

ग्रामीण किसानों द्वारा किया गया व्यय

- पारगमन व्यय
- कारोबारी प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया शुल्क
- ग्रामीण श्रमिकों द्वारा किया गया व्यय
- मजदूरी की हानि



आईपीपीबी बैंकिंग: किफायती एवं सुविधाजनक बैंकिंग



सुदृढ़ डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण

- लेन-देन की लागत में कमी आना



आधार द्वारा प्रमाणीकरण

- लेन-देन की लागत में कमी आना

धन से धन बढ़ता है

ग्राहक कम से कम राशि की निकासी करते हैं तथा अधिक ब्याज अर्जित करते हैं



ग्राहकों को न्यूनतम लागत पर सरकारी लाभों की प्राप्ति होती है

सरल बैंकिंग



पारम्परिक बैंकिंग:
बैंकिंग में बाधाएं



व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन के बिना शीघ्र बैंकिंग लेन-देन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।



ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंक तक पहुंचने में लम्बी दूरी तय करना।



वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु अपने बैंक तक यात्रा करनी पड़ती है।



लोगों को स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में सूचित नहीं किया जाता।

आईपीपीबी बैंकिंग: सरल एवं सहज

क्यूआर कार्ड:

- वास्तविक खाता पहचान
- सुविधाजनक



ग्राहकों के लिए:
लम्बी खाता संख्या याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं



इंड यूजर के लिए:
हस्त लिखित कार्यों में कमी



सहायक यूपीआई:

- परेशानी रहित ऑनबोर्डिंग पूर्व-समनस्रुत आभासी व्यक्तिगत पता (वीपीए)
- सहायक विप्रेषण: ग्राहक को किसी स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है



डाकघर बचत खाता के साथ बाधा रहित एकीकरण

- अंतर-परिचालित
- सहायक एवं स्व-सेवा माध्यम



डिजिटल इकोसिस्टम

सुदृढ़ आधार स्तम्भों पर
निर्मित आईपीपीबी



आईपीपीबी बैंकिंग - एक नया प्रतिमान
आईपीपीबी का मंच सक्षम बनाता है

नकद रहित
पेपर रहित
उपस्थिति रहित
ऑनबोर्डिंग/लेन-देन



आईपीपीबी सेवा सुपुर्दगी संरचना
सर्वव्यापी एवं सरल मोबाइल
प्रौद्योगिकी पर आधारित



ग्राहक



व्यापारी



जीडीएस/डाकिये

वित्तीय साक्षरता

पारम्परिक बैंकिंग:
वित्तीय निरक्षरता



क्या वित्तीय साक्षरता
एक कल्पना है?

मुझे अपने
व्यवसाय के
लिए कौन ऋण
देगा?

क्या मैं जिन्हें
आवश्यकता है, धन
अन्तरित कर
सकता हूँ?

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता है।
- स्मार्टफोन होने पर भी उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि इसके द्वारा बैंकिंग कैसे की जाती है।
- अनेक लोग बैंक से घबराते हैं तथा उनसे सम्पर्क करने में संकोच करते हैं।
- अनेक लोगों को अपनी बचत राशि पर ब्याज अर्जित करने के लाभों के बारे में ज्ञान नहीं होता है।

आईपीपीबी बैंकिंग: विस्तृत वित्तीय साक्षरता



डोरस्टेप
बैंकिंग



बहुभाषिक
सहायता



क्यूआर
कार्ड



पेपर रहित
बैंकिंग



तत्काल खाता
खोलने की सुविधा



सहायक
यूपीआई

ग्राहकों को शिक्षित करना कि कैसे बीमा अरक्षितों को सुरक्षित करता है, कैसे धन से धन बढ़ता है तथा थोड़ी सी बचत भी बेहतर भविष्य बनाने में अत्यधिक सहायक हो सकती है।

- लोग स्मार्टफोन के बिना भी स्मार्ट तरीके से आईपीपीबी के साथ बैंकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए डाकिया को धन्यवाद।
- भरोसेमंद डाकिया कम बैंक सुविधा वालों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है।
- डाकघर अत्यधिक सुगम है, क्योंकि ग्रामीण नागरिक उनसे बहुत पहले से ही परिचित हैं।



उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक समूह

- बचत बैंक/चालू खाता
- धन अंतरण सेवाएं
 - सहायक यूपीआई ● आईएमपीएस
 - एनईएफटी/आरटीजीएस ● सीटीएस
- रुपये आभासी कार्ड
- बिल भुगतान (बीबीपीएस)

अंतर-परिचालित धन
अंतरण सेवाएं - एईपीएस

- माइक्रो एटीएम
- सीबीएस

गैर आईपीपीबी
ग्राहकों के लिए
बैंकिंग सेवाएं

खाता
प्रबंधन
सेवाएं

प्रत्यक्ष
लाभ
अंतरण

- सामाजिक लाभ वितरण
- लाभार्थी नामांकन एवं
खाता खोलने की सेवाएं
- भुगतान हेतु तैयार
समाधान
 - पीएफएमएस
 - एबीपीएस
 - एनएसीएच

मुख्य
कारोबारी
क्षेत्र

अंतर-परिचालित
व्यापारी
इकोसिस्टम

व्यापारी की दुकानों पर
डिजिटल भुगतान

- क्लोज्ड क्यूआर कोड
- सहायक यूपीआई द्वारा
समर्थित अंतर-परिचालित
स्वीकृति

तृतीय पक्ष उत्पादों
का वितरण

- जीवन बीमा
- ऋण

तृतीय
पक्ष
वितरण

डाक विभाग
सेवाओं का
डिजिटलीकरण

डाक विभाग के काउंटरों पर भारतीय डाक उत्पादों के
लिए डिजिटल भुगतान

- क्लोज्ड लूप क्यूआर आईपीपीबी
- डाकघर पोस्टल सेवा योजनाओं (पीपीएफ, सुकन्या
समृद्धि योजना, आवती जमा पर ऋण) को आईपीपीबी
ग्राहकों के लिए क्लोज्ड लूप भुगतान

ग्राहक खंड

वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम
मुख्य ग्राहक खंड




बढ़ते कदम

 **650**


आईपीपीबी शाखाओं की संख्या

 **136078**

बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स



मुख्य कारोबारी उपलब्धियां (31 मार्च, 2019 को)



मुख्य माइलस्टोन एवं उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2018-19

- शाखाओं, अंचलों, कॉरपोरेट कार्यालय के लिए 1900 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती
- 15,000 इंड-यूजर प्रशिक्षित एवं प्रमाणित
- 800 से अधिक स्थानों पर 800,000 घंटों का प्रशिक्षण

अप्रैल 18 - जून 18

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आईपीपीबी का राष्ट्रीय स्तर पर लोकार्पण किया गया
- डाकघर के 34 करोड़ ग्राहकों को अब अंतर परिचालित बैंकिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए सक्षम बनाया गया

सितम्बर 18



जुलाई 18 - अगस्त 18

- आईटी प्रणालियों तथा शाखा विस्तार हेतु भा.रि.बै. के अनुमोदन
- प्रणालियों का नियंत्रित परीक्षण

अक्टूबर 18

- सहायक यूपीआई का लोकार्पण
- डाक विभाग वित्तीय उत्पादों के लिए डिजिटल भुगतान सक्षम बनाये गये



जीडीएस एवं डाकिया को एक बैंकर के रूप में सक्षम बनाने के लिए लगभग 2,00,000 से अधिक स्मार्टफोन तथा बायोमेट्रिक डिवाइस की खरीद

दिसम्बर 18

1 मिलियन आईपीपीबी मोबाइल ऐप डाउनलोड किये गये

फरवरी 19

जनवरी 19

मार्च 19

- 1,25,000 बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट को तैयार किया गया
- एक करोड़ से अधिक मानव घंटे का प्रशिक्षण

- 5 मिलियन ग्राहक
- डाक विभाग के 23,000 काउंटरों को शत प्रतिशत डिजिटल बनाया गया
- 250,000 से अधिक प्रमाणित सेवा प्रदाता

लेए



निदेशक मंडल



श्री ए.एन. बंद,
अध्यक्ष, आईपीपीबी



श्री अंशुमान शर्मा
नामित निदेशक



श्री गौरी शंकर
स्वतंत्र निदेशक



डॉ. के. जी. कर्माकर
स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती सुषमा नाथ
स्वतंत्र निदेशक



श्री विष्णु आर. दुसाद
स्वतंत्र निदेशक



श्री पी. सतीश
स्वतंत्र निदेशक



श्री संजय प्रसाद
नामित निदेशक



श्री टी.व्यू. मोहम्मद
नामित निदेशक



श्री सुरेश सेठी,
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यकारी अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय:

स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, भाई वीर सिंह मार्ग
नई दिल्ली - 110001

कम्पनी सचिव: श्रीमती प्रियंका भटनागर

सांविधिक लेखापरीक्षक: वी.के. सहगल एवं एसोसिएट्स

साचिविक लेखापरीक्षक: साधना शर्मा एवं एसोसिएट्स



अध्यक्ष का संदेश श्री अनन्त नारायण नंद

प्रिय शेयरधारक,

मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके बैंक के कार्य निष्पादन एवं पहलों की वार्षिक रिपोर्ट अति प्रसन्नता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पूर्ण रूप से परिचालन के प्रथम वर्ष में ही वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से वर्ष 2018-19 इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था।

यह हमारा विश्वास है कि वित्तीय पहुंच लोगों तथा समुदायों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डालता है। इनमें से महत्वपूर्ण बहुसंख्यकों के लिए, डाकिया एवं ग्रामीण डाक सेवक सुदूर क्षेत्र तक विभिन्न वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण एवं भरोसेमंद माध्यम हैं, जो आईपीपीबी को उनके लिए सबसे सुलभ, किफायती एवं विश्वसनीय बैंक बनाते हैं।

डाक विभाग वित्तीय समावेशन में अग्रणी रहा है तथा 34 करोड़ से भी अधिक डाक विभाग बचत बैंक (पीओएसबी) ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, आईपीपीबी के माध्यम से पीओएसबी को सम्पूर्ण बैंकिंग इकोसिस्टम के साथ अंतर-परिचालित बनाकर, हमने अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की है। आईपीपीबी एवं डाक विभाग के मध्य बाधा रहित एकीकरण के माध्यम से, डाक विभाग ग्राहक आईपीपीबी खाता खोल सकते हैं तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी में आईपीपीबी द्वारा प्रस्तुत बिल भुगतान, विप्रेषण तथा वृद्धिशील सेवाओं सहित सम्पूर्ण बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति हेतु अपने पीओएसए खाता को आईपीपीबी खाता के साथ लिंक कर सकते हैं। यह हमारे लिए लाभकारी होता है, क्योंकि दिवस समाप्ति पर रु. 1 लाख से अधिक शेष राशि वाले खाते के लिए पीओएसए खास स्वीप-आउट लक्ष्य बन जाता है। इससे आईपीपीबी ग्राहक प्रत्यक्ष रूप से डाक

बचत योजनाओं जैसे - आरडी, टीडी, सुकन्या समृद्धि खाता और पीपीएफ में निवेश करने में भी सक्षम होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अर्जित अन्य मुख्य उपलब्धि यह है कि डाक उत्पाद खरीदने हेतु एक सरल क्यूआर कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करने के लिए आईपीपीबी ने डाक विभाग के सभी काउंटरों को डिजिटल रूप से सक्षम बना दिया है।

यह साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अभी हाल ही में आईपीपीबी द्वारा आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (आईपीएस) का शुभारम्भ किया गया जो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के प्रयासों को सशक्त रूप से बढ़ावा देती है। आईपीएस सेवा प्रारम्भ होने से अंतिम मील की अंतर-परिचालित बैंकिंग संरचना में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। यह नेटवर्क कम बैंक क्षेत्र वाले एवं बैंक रहित क्षेत्र वाले लाखों ग्राहकों के द्वार तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा पारम्परिक बैंकिंग इकोसिस्टम में पहुंच सम्बंधित चुनौतियों का सामना करने वाले ग्राहकों के समावेश को एक नई गति प्रदान करती है।

हम जैसे-जैसे इस रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे देश के बैंकिंग परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन एवं रूपांतरण हो रहा है। परिवर्तन की इस अवस्था के मध्य, आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने एवं डिजिटल इंडिया के विजन में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।

धन्यवाद

ए.एन. नन्द

अध्यक्ष, आईपीपीबी





प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश श्री सुरेश सेठी

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है।

01 सितम्बर, 2019 को आपके बैंक ने सफलतापूर्वक परिचालन का प्रथम वर्ष पूरा किया तथा जब हम अपनी प्रथम वर्षगांठ अंकित कर रहे हैं, आईपीपीबी 'भारत में लेन-देन के तरीकों के परिवर्तन' के लिए तैयार है। आईपीपीबी का शुभारम्भ करते समय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी संस्था की कल्पना की थी जो अंतिम मील तक बैंकिंग को पहुंचाए, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे, तथा निचले स्तर पर आर्थिक परिवर्तन लाये।

आईपीपीबी का प्राथमिक उद्देश्य एक सुदृढ़ बुनियादी संरचना द्वारा देश के प्रत्येक छोर तक बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करना है। आईपीपीबी की सेवाएं अब 1,36,000 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध हैं, जिसमें से 1,10,000 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे ग्रामीण बैंकिंग संरचना में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 195,000 से अधिक डाकिये एवं ग्रामीण डाक सेवक स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ तत्पर हैं। डाकियों तथा जीडीएस की प्रत्येक गांव में लगभग प्रतिदिन पहुंचने की क्षमता ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की दूरी को '0 किमी.' तक ला दिया है, तथा आपका बैंक, आपके द्वार के सार को वास्तव में आत्मसात किया है।

इसे एक करोड़ से भी अधिक प्रशिक्षण मानव घंटे निवेश करके, अब तक के सबसे बड़े डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम द्वारा पूरा किया गया। बैंकिंग इतिहास में यह अब तक का तीव्रतम एक्सेस प्वाइंट वृद्धि थी, चार माह की अवधि में प्रतिदिन 1,000 एक्सेस प्वाइंट तैयार किये गये।

आज, आईपीपीबी डाक नेटवर्क की अंतिम मील तक अभूतपूर्व पहुंच का लाभ प्राप्त करते हुए, किसी भी बैंक ग्राहक को अंतर-परिचालित डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु पूर्ण रूप से तत्पर है। ईपीएस द्वारा, आईपीपीबी अब डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से अपने फोन की आवश्यकता के बिना, केवल उंगलियों के निशान का उपयोग करके ग्राहकों के द्वार पर सेवा प्रदान करने में सक्षम है - इस प्रकार 'वास्तविक समावेशी वित्तीय प्रणाली' का शुभारम्भ हो रहा है।

आईपीपीबी और डाकघर बचत बैंक (पीओएसएबी) के मध्य बाधा रहित एकीकरण, 34 करोड़ पीओएसबी ग्राहकों को अंतर-परिचालित बैंकिंग इकोसिस्टम से जोड़कर एक नई गति प्रदान करता है। क्यूआर कोड के माध्यम से डाक उत्पादों तथा डाक विभाग बचत योजनाओं जैसे - आरडी, टीडी, सुकन्या समृद्धि योजना एवं पीपीएफ सम्बंधित डिजिटल भुगतान स्वीकार करने हेतु लगभग 23,000 डाकघरों को सक्षम बनाकर, आईपीपीबी डाक विभाग इकोसिस्टम को डिजिटल बनाने तथा कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान कर रहा है।

आईपीपीबी का मुख्य ध्यान जनता के लिए सरल एवं किफायती समाधानों के निर्माण करने पर है। वास्तविक खाता पहचान के रूप में आईपीपीबी क्यूआर कार्ड सुरक्षित डिजिटल भुगतानों को सक्षम बनाता है तथा ग्राहकों एवं डाकियों/जीडीएस दोनों के लिए सुविधाजनक है। सहायक यूपीआई समाधान ग्राहकों को डेबिट कार्ड एवं मोबाइल फोन के बिना यूपीआई रेल्स पर विप्रेषण हेतु सक्षम बनाता है तथा छोटे व्यापारियों को अंतर-परिचालित भुगतान स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है।

जब हमने एक वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ से अधिक ग्राहकों का विश्वास जीता है, तो अब हमारा यह विश्वास है कि आईपीपीबी अंतिम मील तक सब्सिडी वितरण हेतु पसंदीदा बैंक बनकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉडल को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आईपीपीबी स्वे आभासी कार्ड शुभारम्भ होने के साथ, हम ग्रामीण जनता को उनके पास ले जाने की आवश्यकताओं तथा विकसित होती हुई बाजार प्रणाली में उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ई-कामर्स के लिए तैयार हैं।

हमने एक सुदृढ़ बुनियाद रखी है और आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान देने हेतु प्रतिबद्ध है, इस प्रकार आईपीपीबी प्रत्येक नागरिक के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है।

आभार

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल की तरफ से, मैं हमारे सम्मानित शेयर धारक के रूप में आपके निरंतर सहयोग एवं विश्वास के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमें अपने सभी कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने तथा आप के साथ ही साथ राष्ट्र के लिए सतत उच्च प्रतिमान बनाने के लिए प्रेरित करता है। मैं संचार मंत्रालय और डाक विभाग, भारत सरकार से प्राप्त निरंतर सहयोग एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

सुरेश सेठी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



सेवा में,
सदस्यगण,

आपके निदेशकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा इस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कम्पनी (आईपीपीबी) की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित है:

राशि रुपये में

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष
कुल राजस्व	48,28,02,322	39,80,53,249
कुल व्यय	2,13,38,09,812	38,78,28,643
असाधारण मद्दे पूर्व अवधि व्यय	-	1,99,78,311
निवल लाभ/निवल हानि	(1,65,10,07,490)	(97,53,705)
तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि	69,09,501	1,66,63,206
आमेलन के लिए उपलब्ध लाभ	(1,64,40,97,989)	(69,09,501)
प्रति शेयर अर्जन (मूल)	(3.41)	(0.03)
प्रति शेयर अर्जन (डाइल्यूटेड)	(3.41)	(0.03)
भारत सरकार की शेयरधारिता (%)	100%	100%

निष्पादन की मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण

इस अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा कुल राजस्व रु. 48,28,02,322 तथा कुल व्यय रु. 2,13,38,09,812 अंकित किया गया। वर्ष के दौरान कुल हानि रु. 1,65,10,07,490 है। पिछले वर्ष कम्पनी को रु. 97,53,705 की हानि हुई थी।

सार्वजनिक जमा राशि

राशि रुपये में

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	2000	1828
बैंक की कुल जमा राशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशतता	00.21%	15.18%

लाभांश

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गयी थी।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकगण सदस्यों को आश्वासन देना चाहते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के वित्तीय विवरण अपनी सम्पूर्णता में कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

निदेशक सुनिश्चित करते हैं कि,

- वार्षिक लेखों को लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
- सुसंगत आधार पर चयनित तथा लागू की गई लेखांकन नीतियां, कम्पनी के मामलों एवं वित्तीय वर्ष के लाभ के सम्बंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।
- कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पहचान के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है।
- वार्षिक लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर बनाया गया है।
- सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से परिचालित थीं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स वी. के. सहगल व एसोसिएट्स कं., सनदी लेखाकार (एफआरएन - 011519एन) को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं उस पर प्रबंधन के उत्तर तथा कम्पनी, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं उस पर प्रबंधन के उत्तरों के साथ बोर्ड रिपोर्ट में संलग्न हैं।

साचिविक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रामिक) नियम 2014 के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स साधना शर्मा व एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में अनुलग्नक सी के रूप में संलग्न है। साचिविक लेखापरीक्षक द्वारा अपने रिपोर्ट में कोई अहंता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय से सम्बंधित प्रासंगिक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में दिये गये हैं तथा इस रिपोर्ट में अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2017 को कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को अनुमोदित किया गया। अभी तक कम्पनी पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बंधित प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशक मंडल

बैंक का निदेशक मंडल व्यापक आधार वाला है तथा इसका गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित है। निदेशक मंडल प्रत्यक्ष के साथ-साथ, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में केंद्रित अधिशासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।



निदेशकों के परस्पर सम्बंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य निदेशक से सम्बंधित नहीं है।

बोर्ड की बैठकों के लिए निर्दिष्ट संख्या

बोर्ड की बैठकों के लिए सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशक, जो भी अधिक हो, बशर्ते कि उसमें कम से कम एक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हो।

31 मार्च, 2019 को कम्पनी का निदेशक मंडल:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1.	अनंत नारायण नन्द	अध्यक्ष व निदेशक	25/05/2017
2.	अंशुमान शर्मा	निदेशक	17/08/2016
3.	टी. व्यू. मोहम्मद	नामित निदेशक	12/10/2018
4.	सुरेश कुमार सेठी	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	27/10/2017
5.	कृष्णा कुमार कर्माकर	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017
6.	गौरी शंकर	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017
7.	संजय प्रसाद	नामित निदेशक	05/12/2018
8.	विष्णु रामप्रताप दुसाद	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
9.	पी. सतीश	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
10.	सुषमा नाथ	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018

निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान / पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से रिपोर्ट तिथि तक, निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया गया।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1.	टी. व्यू. मोहम्मद	नामित निदेशक	12/10/2018
2.	संजय प्रसाद	नामित निदेशक	05/12/2018

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट वर्ष के दौरान / पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से आज की तिथि, तक निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नहीं रहे।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र की तिथि
1.	प्रमोद कुमार दास	नामित निदेशक	01/12/2017	16/10/2018
2.	मधुमिता जी. दास	निदेशक	17/08/2016	02/07/2018

निम्नलिखित व्यक्तियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट की अवधि के दौरान केएमपी के रूप में पदनामित किया गया:

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1.	सविता गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01/03/2017
2.	प्रियंका भटनागर	कम्पनी सचिव	16/01/2017

बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल की निम्न 9 बैठकें आयोजित हुई:

बोर्ड की 20 वीं बैठक, 09 मई, 2018	बोर्ड की 21 वीं बैठक, 11 मई, 2018	बोर्ड की 22 वीं बैठक, 20 जुलाई, 2018	बोर्ड की 23 वीं बैठक, 12 अक्तूबर, 2018
बोर्ड की 24 वीं बैठक, 24 अक्तूबर, 2018	बोर्ड की 25 वीं बैठक, 05 दिसम्बर, 2018	बोर्ड की 26 वीं बैठक, 07 जनवरी, 2019	बोर्ड की 27 वीं बैठक, 20 फरवरी, 2019
बोर्ड की 28 वीं बैठक, 29 मार्च, 2019			

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या - 09)
अनंत नारायण नन्द	09 में से 08
सुरेश कुमार सेठी	09 में से 09
कृष्णा गोपाल कर्माकर	09 में से 08
गौरी शंकर	09 में से 07
संजय प्रसाद	04 में से 02
विष्णु रामप्रताप दुसाद	09 में से 07
पी. सतीश	09 में से 07
सुषमा नाथ	09 में से 08
टी. वयू. मोहम्मद	06 में से 05
अंशुमान शर्मा	09 में से 02

समितियां

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट अधिशासन तथा जोखिम प्रबंधन के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में नीतिगत महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न उप-समितियों का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित हैं:

- 1) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- 2) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- 3) जोखिम प्रबंधन समिति
- 4) ग्राहक सेवा समिति
- 5) शेयरधारक सम्बंध समिति
- 6) भती सलाहकार समिति
- 7) बोर्ड की आईटी संचालन समिति

लेखापरीक्षा समिति:

कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति का गठन दिनांक 28 जून, 2017 को किया गया, जिसमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में तीन स्वतंत्र निदेशक एवं एक नामित निदेशक सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 04 बैठकें आयोजित हुई:



5वीं लेखापरीक्षा समिति 19 जुलाई, 2018	6वीं लेखापरीक्षा समिति 12 अक्तूबर, 2018	7वीं लेखापरीक्षा समिति 04 दिसम्बर, 2018	8वीं लेखापरीक्षा समिति 29 मार्च, 2019
--	--	--	--

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। अन्य के साथ कार्यों की कुछ सूची निम्नलिखित हैं:

1. कम्पनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु सिफारिशें;
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी;
3. वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परीक्षण;
4. सम्बंधित पक्षों के साथ कम्पनी के लेन-देन का अनुमोदन या कोई अनुवृत्ति संशोधन;
5. अंतर-कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
6. कम्पनी के उपक्रमों अथवा आस्तियों का मूल्यांकन जहां भी आवश्यक माना जाए;
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
8. सार्वजनिक प्रस्तावों द्वारा जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग तथा सम्बंधित मामलों की निगरानी;
9. बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुद्देशित किए जाने वाले अन्य उत्तरदायित्व;

निगरानी प्रणाली

कम्पनी में विहसल ब्लोअर नीति के रूप में एक निगरानी प्रणाली विद्यमान है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायतें उठाने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदान करना है और कर्मचारियों को आश्वस्त करना है कि अत्याचार के विरुद्ध तथा सद्भाव से उनके द्वारा किये गये किसी भी विहसल ब्लोइंग के लिए उनकी सुरक्षा की जायेगी। इस नीति का उद्देश्य कम्पनी के कर्मचारियों की किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने या उसे बाह्य रूप से संभालने के स्थान पर संगठन के अंदर गम्भीर चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करना है।

कम्पनी उदारता, ईमानदारी तथा जवाबदेही के उच्चतम संभव मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसमें सद्भाव के साथ चिंता उठा कर निगरानी प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उपाय सम्मिलित हैं। विहसल ब्लोअर की इच्छा के अनुसार, कम्पनी विहसल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखती है हालांकि विहसल ब्लोअर को अनुशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही कर निगरानी प्रणाली का उपयोग करने वाले जैसा भी शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो। यह प्रणाली एक विस्तृत शिकायत एवं जांच प्रक्रिया प्रदान करती है।

परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से शिकायत कर सकता है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को सीधे प्रबंध निदेशक से सम्पर्क करने हेतु भी व्यवस्था प्रदान करती है। उल्लंघनों की सूचना प्रदान करने वाले लोगों की गोपनीयता बनाये रखी जाती है और उनके साथ कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया है, जिसमें दो स्वतंत्र निदेशक एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रित के रूप में मुख्य जोखिम व अनुपालन अधिकारी सम्मिलित हैं। कम्पनी द्वारा उचित रूप से जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो (02) बैठकें आयोजित हुईं।

द्वितीय जोखिम प्रबंधन समिति 24 सितम्बर, 2018	तृतीय जोखिम प्रबंधन समिति 20 फरवरी, 2019
---	---

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक और दो नामित निदेशक सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

ग्राहक सेवा समिति

कम्पनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन दिनांक 28 जून 2017 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रित के रूप में मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, ग्राहक सेवा समिति की एक (01) बैठक आयोजित हुई।

तृतीय ग्राहक सेवा समिति
24 सितम्बर, 2018

भर्ती सलाहकार समिति

कम्पनी की भर्ती सलाहकार समिति का गठन 01 दिसम्बर, 2017 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रित के रूप में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान भर्ती सलाहकार समिति की पांच (05) बैठकें आयोजित हुईं।

तीसरी भर्ती सलाहकार समिति 08 मई, 2018	चौथी भर्ती सलाहकार समिति 21 जून, 2018	पांचवी भर्ती सलाहकार समिति 16 अगस्त, 2018	छठी भर्ती सलाहकार समिति 04 दिसम्बर, 2018
सातवीं भर्ती सलाहकार समिति 18 मार्च, 2019			

शेयरधारक सम्बंध समिति

कम्पनी की शेयरधारक सम्बंध समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया तथा इसमें एक स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक तथा प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान शेयरधारक सम्बंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

आईटी संचालन समिति

बोर्ड की आईटी संचालन समिति का गठन 05 दिसम्बर, 2018 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक तथा प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। मुख्य तकनीकी अधिकारी भी समिति में स्थायी आमंत्रित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार कम्पनी को प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई कि वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की उपधारा (6) में यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूर्ण करते हैं और बोर्ड के विचार से वे अधिनियम की शर्तों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को पूर्ण करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।



कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सम्बंध में कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 को नियम 5(2) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत सूचना

सरकारी कम्पनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान, इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक पर लागू नहीं होंगे। कम्पनी के कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के सम्बंध में नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। आईपीपीबी के कम्पनी सचिव व मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतन, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के निष्पादन के सम्बंध में औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन का विवरण

सरकारी कम्पनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक पर लागू नहीं होंगे।

सम्बंधित पक्षकार लेन-देन

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई भी सम्बंधित पक्षकार संविदा, अनुबंध या लेन-देन नहीं किया गया है, और इसीलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के अनुसार फार्म एओसी २ में संदर्भित सम्बंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये संविदाओं / अनुबंधों सम्बंधित विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

होल्टिंग एवं सहायक कम्पनी

कोई भी होल्टिंग अथवा सहायक कम्पनी नहीं है।

कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में परिवर्तन

- (i) प्राधिकृत पूंजी: 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/-
- (ii) प्रदत्त पूंजी: 70,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/-

इक्विटी शेयरों का अधिकार निर्गम

कम्पनी ने 30,00,00,000 इक्विटी शेयरों का अधिकार निर्गम भारत के राष्ट्रपति को सचिव, डाक विभाग, शेयरधारकों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में मौजूदा इक्विटी शेयर धारक, के माध्यम से किया है।

वार्षिक विवरण का निष्कर्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अनुसार 31 मार्च, 2019 के वार्षिक विवरण का निष्कर्ष फार्म एमजीटी ९ में है जोकि इस रिपोर्ट का एक भाग है, तथा अनुबंध ए के रूप में संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किये गये ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किये गये, इसीलिए उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होता है।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता:

इस रिपोर्ट अवधि के दौरान कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कम्पनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर कार्यवाही के लिए संगठन में व्यापक स्तर पर व्यवस्था की है। आईपीपीबी की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करने तथा अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हेतु नागरिकों की सहायता एवं सुविधा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अनुरूप आईपीपीबी की वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सक्रिय प्रकटीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम की कम से कम सहायता लेनी पड़े।

राजभाषा (आधिकारिक भाषा):

आपकी कम्पनी आधिकारिक भाषा के प्रचार-प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए अत्यधिक प्रयासशील है। भारत सरकार की राजभाषा नीति, अधिनियम, नियमावली, आदेशों के अनुसार कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को सतत बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा इस सम्बंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम यथा दैनिक कार्यालयीन पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। कम्पनी की वेबसाइट अंग्रेजी के साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है।

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 की नियम 8(5) (viii) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) व्यू के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के सम्बंध में सूचना

कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता एवं तत्परता तथा विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा विनियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन तथा साथ ही साथ इसकी पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है। प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की जाती है।

निदेशकों द्वारा सांविधिक प्रकटीकरण

आपकी कम्पनी का कोई भी निदेशक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है। आपके निदेशकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम एवं प्रतिफल के बीच संतुलन बनाये रखना है। इसमें कम्पनी के कारोबार में जोखिमों की पहचान, मापन तथा प्रबंधन सम्मिलित है। नीति के अनुसार सतत आधार पर निगरानी तथा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

औद्योगिक सम्बंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन तथा कामगारों के बीच अत्यधिक सौहार्दपूर्ण सम्बंध थे। कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों के विकास हेतु मानव संसाधन पहल जैसे- कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण एवं उत्पादकता प्रगति महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे।



कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कम्पनी स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसीलिए किसी रूप में कोई भी भेदभाव और/या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करती है। कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है। यौन उत्पीड़न के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी को इससे सम्बंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आपके निदेशक पुनः स्पष्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मंडल सीएंडएजी और सांविधिक लेखापरीक्षकों, साचिविक लेखापरीक्षकों से मिले अत्यधिक सहयोग को धन्यवाद के साथ अभिस्वीकृत करती है। इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी के विशेष सहयोग, कड़ी मेहनत तथा समर्पण के लिए भी निदेशकगण धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोर्ड का विश्वास है कि कर्मचारियों के अनवरत एवं समर्पित प्रयासों से आपकी कम्पनी नई चुनौतियों का सामना करने एवं बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगी।

परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

1. कम्पनी का 'वार्षिक विवरण का निष्कर्ष' इस रिपोर्ट के अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है।
2. कम्पनी की 'साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट' इस रिपोर्ट के अनुबंध-बी के रूप में संलग्न है।
3. कम्पनी की 'स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट' इस रिपोर्ट के अनुबंध-सी के रूप में संलग्न है।
4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 'वार्षिक लेखे' इस रिपोर्ट के अनुबंध-डी के रूप में संलग्न है।
5. 'कैंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट' अनुबंध - ई
6. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणी एवं अवलोकन तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर।
७. कम्पनी के लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर - अनुबंध एफ

कृते और निदेशक मंडल की तरफ से

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 12.09.2019

हस्ताक्षरित
ए. एन. नन्द
अध्यक्ष
(डीआईएन संख्या 07810425)
सी-1 ब्लाक 6,
न्यू मोती बाग
नई दिल्ली

हस्ताक्षरित
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन संख्या 06426040)
सी/901, लोधा बेल्लिसिमो,
अपोलो मिल कंपाऊंड
एन एम जोशी मार्ग
महालक्ष्मी, मुम्बई

अनुबंध- ए
फार्म संख्या एमजीटी. ९

वार्षिक विवरण का निष्कर्ष

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा
कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (१) के अनुसार

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i)	सीआईएन	U74999DL2016GOI304561
ii)	पंजीकरण तिथि	17 अगस्त, 2016
iii)	कम्पनी का नाम	इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
iv)	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा सीमित कम्पनी / संघ सरकार की कम्पनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा सम्पर्क विवरण	पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, मार्केट रोड, नई दिल्ली - 110001
vi)	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है?	नहीं

II. कम्पनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कम्पनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का वर्णन किया जायेगा:-

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1.	पेमेन्ट्स बैंक	गुप 649	100%

III. होल्डिंग, सहायक एवं एसोसिएट्स कम्पनियों का विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक / एसोसिएट्स	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1.	लागू नहीं				

IV. शेयर धारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी सम्बंधित आंकड़े)

i. श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रवर्तक									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-



अ) वैयक्तिक / एचयूएफ (भारत के राष्ट्रपति के नामित)	-	6	6	.01%	-	6	6	.01%	-
ब) केंद्र सरकार राज्य सरकार (सरकारें)	-	399999994	399999994	99.99%	-	699999994	699999994	99.99%	-
स) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
द) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
य) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (अ) (1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(२) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) एनआरआई - वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) अन्य - वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
द) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
य) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (अ) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (अ) = (अ)(1)+ (अ)(2)		40,00,00,000	40,00,00,000		100	70,00,00,000	70,00,00,000	100	
ब. सार्वजनिक शेयर धारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) केंद्र सरकार / राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
द) जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
य) बीमा कम्पनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
र) एफआईआईएस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ल) विदेशी जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-

व) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ब)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1):-									
2. गैर-संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक धारित अधिकृत शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक* शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रु. 1 लाख से अधिक धारित अधिकृत शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ब)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2):-									
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ब) = (ब)(1) + (ब)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (अ + ब + स)		40,00,00,000	40,00,00,000	100		70,00,00,000	70,00,00,000	100	

* भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 6 व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक 01 शेयर धारित करता है।



ii. प्रवर्तकों की शेयर धारिता (इक्विटी)

इक्विटी

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक रखे गये / ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक रखे गये / ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1	डाक सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	39,99,99,994*	100	-	69,99,99,994*	100	-	-
2	मधुमिता गुड्डलुरुदास (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	-	0	0.000	-	-
3	नीलम संघी (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	-	0	0.000	-	-
4	अजय कुमार राँय (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
5	रुषा चंद्र शेखर (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	-	0	0.000	-	-
6	बी. पी. श्रीदेवी (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
7	सचिन किशोर (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
8	टी. वयू. मोहम्मद (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	0	0.000	-	1	0.000	-	-
9	विनीत माथुर (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	0	0.000	-	1	0.000	-	-
10	आलोक पांडे (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	0	0.000	-	1	0.000	-	-
	कुल	40,00,00,000	100	-	70,00,00,000	100	-	-

* भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 06 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया उल्लेख करें):

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	शीर्ष 10 शेयर धारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में	40,00,00,000	100		
	अधिकार निर्गम द्वारा वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि	30,00,00,000			
	वर्ष की समाप्ति पर	70,00,00,000*	100		
	कुल	40,00,00,000*	100		

* भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 06 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

iv. शीर्ष 10 शेयर धारकों का शेयर धारिता स्वस्व (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अतिरिक्त अन्य):

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	शीर्ष 10 शेयर धारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %
१	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
२	वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे- आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेद इक्विटी इत्यादि) को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



v. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता:

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
1	मधुमिता जी. दास	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %
	वर्ष के प्रारम्भ में	01	.01%	-	-
	05/12/2018 को टी. व्यू मोहम्मद को शेयर अंतरित किया गया।	-	-	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर	00	00%	-	-
2	टी. व्यू मोहम्मद	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की संख्या का %
	वर्ष के प्रारम्भ में	00	00%	-	-
	05/12/2018 को मधुमिता जी. दास से अंतरित शेयर	01	.01%	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर	01	.01%	-	-

V. ऋणग्रस्तता:

कम्पनी की ऋणग्रस्तता, बकाया ब्याज /उपचित, किंतु भुगतान हेतु देय नहीं, ब्याज सहित

	जमा राशियों के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
i) मूलधन				
ii) देय किंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज				
iii) उपचित ब्याज किन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
● वृद्धि				
● कमी				
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
i) मूलधन				
ii) देय किंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज				
iii) उपचित ब्याज किन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूका. निदेशक/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
----------	---------------------	---	----------

1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	श्री सुरेश सेठी	27.67 लाख प्रतिवर्ष
2.	स्टॉक विकल्प	-	-
3.	स्वेद इक्विटी	-	-
4.	कमीशन लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन)	-	-

ब. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक: (31/03/2019 तक)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पू. का. निदेशक/प्रबंधक का नाम कुल राशि (रु.)					कुल राशि (रु.)
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री गौरी शंकर	डा. के. जी. कर्माकर	श्री विष्णु दुसाद	श्री पी. सतीश	सुश्री सुषमा नाथ	
	● बोर्ड/समिती की बैठकों में सम्मिलित होने हेतु शुल्क	रु. 2,10,000/- एवं जीएसटी	रु. 250,000/- एवं जीएसटी	रु. 1,70,000/- एवं जीएसटी	रु. 1,50,000/- एवं जीएसटी	रु. 2,00,000/- एवं जीएसटी	रु. 9,80,000/- एवं जीएसटी
	● कमीशन	-	-	-	-	-	-
	● अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
	योग (1)	2,10,000	2,50,000	1,70,000	1,50,000	2,00,000	9,80,000
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	श्री ए. एन. नन्द	श्री टी. व्यू. मोहम्मद	श्री संजय प्रसाद	श्री अंशुमन शर्मा	-	-
	● बोर्ड/समिती की बैठकों में सम्मिलित होने हेतु शुल्क	-	-	-	-	-	-
	● कमीशन	-	-	-	-	-	-
	● अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
	योग (2)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (बी) = (1 + 2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-	-



स. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्ण कालिक निदेशक के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मु. का. अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	11.89 लाख प्रतिवर्ष	23.75 लाख प्रतिवर्ष	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	स्वेद इविट्टी	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन)	-	-	-	-

VII. अपराधों के लिए अर्थदंड/ दंड/ समझौता: शून्य

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अर्थदंड/ दंड/ समझौता के लिए लगाये गये शुल्कों का विवरण	प्राधिकरण (आरडी /एनसीएलटी / न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
अ. कम्पनी	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ब. निदेशक	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
स. अधिकारियों द्वारा अन्य चूक	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-

कृते और निदेशक मंडल की तरफ से

हस्ताक्षरित
ए. एन. नन्द
अध्यक्ष
(डीआईएन संख्या 07810425)

हस्ताक्षरित
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकार
(डीआईएन संख्या 06426040)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 12.09.2019

अनुबंध - II

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (एम.) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार

(अ) ऊर्जा संरक्षण:

ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये प्रयास	प्रभावी ऊर्जा उपकरणों की स्थापना
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किये गये प्रयास	कम्पनी के पास ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है।
ऊर्जा संरक्षण के लिए पूंजीगत निवेश	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर निवेश हेतु विचार किया जाता है।

(ब) प्रौद्योगिकी समावेशन:

- (i). प्रौद्योगिकी समावेशन हेतु किया गया प्रयास: **शून्य**
- (ii). उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ: **शून्य**
- (iii). आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से परिगणित पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित):
लागू नहीं
 - (अ). आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण
 - (ब). आयात का वर्ष
 - (स). क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से समावेश हुई है
 - (द). यदि पूर्ण रूप से समावेश नहीं हुई है, तो वह क्षेत्र जहां समावेश नहीं हुई है, तथा उसका कारण;
और
- (iv). अनुसंधान एवं प्रगति पर किया गया व्यय: **शून्य**

(स) विदेशी विनिमय आय और व्यय:

- उपयोग किया गया विदेशी विनिमय: रु. **शून्य**
- अर्जित किया गया विदेशी विनिमय: रु. **शून्य**



अनुबंध- ब

फार्म संख्या एमआर-3

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी नियमावली, 2014
(कार्मिक नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम संख्या 9 के अनुसार

सेवा में,

सदस्यगण

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड,

पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग

मार्केट रोड, नई दिल्ली - 110001

हमने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (इसके पश्चात इसे 'कम्पनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का साचिविक लेखापरीक्षा किया है। साचिविक लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई, जिससे कि कॉर्पोरेट कार्यविधियों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु हमें उचित आधार प्राप्त हुआ।

साचिविक अनुपालनों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन साचिविक रिकार्डों की तैयारी एवं रखरखाव तथा लागू विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करने हेतु उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व साचिविक रिकार्डों, मानकों एवं साचिविक अनुपालनों के सम्बंध में कम्पनी द्वारा अनुसरित प्रक्रियाओं पर विचार व्यक्त करना है।

हमारा विश्वास है कि कम्पनी प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और सूचना हमारे लिए विचार व्यक्त करने हेतु पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड द्वारा रखे गये बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम, यथा लागू;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये विनियम और उपनियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए बनाये गये नियम एवं विनियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत वर्णित विनियम एवं दिशानिर्देश; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

- (ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- (बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार की रोकथाम) विनियम, 1992;
- (सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
- (डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टॉक कय योजना) दिशानिर्देश, 1999;
- (ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गमन एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
- (एफ) कम्पनी अधिनियम एवं ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के सम्बंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993
- (जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इबिटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009;
- (एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998;
- (vi) प्रबंधन ने भी कम्पनी को विशेष रूप से लागू होने वाली निम्नलिखित विधियों की पहचान एवं पुष्टि की है;
- (ए). बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- (बी). भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियम एवं विनियम;

हमने भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-१) तथा सामान्य बैठक (एसएस-२) के सन्दर्भ में साचिविक मानकों के लागू खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि;

1. कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर विधियों सहित लागू वित्तीय विधियों और मामलों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।
2. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी रजिस्ट्रार/केंद्र सरकार को सभी आवश्यक फार्म प्रस्तुत कर दिये हैं। क्षेत्रीय निदेशक, न्यायीकरण अदालत अथवा अन्य प्राधिकरणों को कोई फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षक की टिप्पणी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन कम्पनी द्वारा सामान्यतः उपरोक्त अधिनियमों, नियमों, नियमावलियों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है:

1. कम्पनी द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को भारत के राष्ट्रपति को सचिव, डाक विभाग के माध्यम से राइट इश्यू के आधार पर 30,00,00,000 शेयर आबंटित किये गए हैं, यहां शेयर जारी करने एवं आवंटन के सम्बंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।



2. कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 17-18 में फार्म एओसी-४ एक्सबीआरएल में आरओसी को प्रस्तुत फार्म एमजीटी-९ (वार्षिक विवरणी के निष्कर्ष) में प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन को रिकार्ड नहीं किया गया है।
3. सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली के लिए यह सुझाव दिया गया है कि साचिविक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों हेतु कम्पनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में स्पष्टीकरण/टिप्पणियों को सम्मिलित करना चाहिए।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वेबसाइट के प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के सम्बंध में कुछ अनुपालन नहीं किए गए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी के आकार एवं परिचालन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

कृते साधना शर्मा एवं एसोसिएट्स
(कम्पनी सचिव)

हस्ताक्षरित
साधना शर्मा
(स्वामी)
सदस्यता संख्या: ए46639
सीओपी संख्या: 17870
नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2019

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाये, जिसे अनुलब्धक ए के रूप में संलग्न किया गया है तथा जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।



सेवा में,
सदस्यगण
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग
मार्केट रोड, नई दिल्ली - 110001

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाये,

1. साचिविक रिकार्डों के रखरखाव का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकार्डों पर विचार व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो साचिविक रिकार्डों की विषय सूची की सत्यता के सम्बंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थीं। साचिविक रिकार्डों की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु सत्यापन को परीक्षण आधार पर किया गया। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया गया, वे हमें विचार व्यक्त करने हेतु उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा खाता बहियों की शुद्धता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक था, हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बंध में प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू विधियों के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी परीक्षा परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी के भविष्य की सक्षमता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के सम्बंध में आश्वासन देती है, जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते साधना शर्मा एवं एसोसिएट्स
(कम्पनी सचिव)

हस्ताक्षरित
साधना शर्मा
(स्वामी)
सदस्यता संख्या: E46639
सीओपी संख्या: 17870
नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2019



अनुबंध - सी स्वतंत्र सापेक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

एकल वित्तीय विवरण राय की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने 27 मई, 2019 को इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (कम्पनी) के हस्ताक्षरित तुलन पत्र एकल वित्तीय विवरणों के साथ एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत हमें जारी निदेशों को उक्त रिपोर्ट में भी सम्मिलित किया जाये, अतः हम इस तिथि को संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी कर रहे हैं।

हमने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन सम्बंधित विवरणी तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं (जिसे यहां आगे (एकल वित्तीय विवरण) संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय तथा सवीतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित रूप में देते हैं तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को कम्पनी के मामलों की स्थिति, लाभ एवं कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष विचार देते हैं।

सापेक्ष विचार का आधार

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व वाले अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह एकल वित्तीय विवरणों पर अपना लेखापरीक्षा विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायिक मतानुसार, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को हमारी पूर्ण रूप में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में उल्लिखित किया गया है और हम इन मामलों पर अलग विचार प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को निर्धारित किया है।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	राजस्वों एवं अन्य सम्बंधित शेष राशियों के निर्धारण, मापन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रकटीकरण की सटीकता	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा निम्नानुसार वास्तविक परीक्षण सम्मिलित है

		<ul style="list-style-type: none"> ● कम्पनी द्वारा अपनाई गई राजस्व निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। ● राजस्व मदों के नमूने का चयन किया गया और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा राजस्व मदों की पहचान एवं उन्हें खाता-बहियां में निरूपित करने सम्बंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। हमने इन नियंत्रणों के परिचालन के सम्बंध में सम्मिलित जांच एवं अवलोकन, निष्पादन तथा साक्ष्य के निरीक्षण सम्बंधित प्रक्रियाओं का संयोजन किया। ● राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में उपयोग की जाने वाली राजस्व तथा सम्बद्ध जानकारी से सम्बंधित सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच एवं प्रबंधन नियंत्रण परिवर्तन का परीक्षण किया गया। ● राजस्व की गणना हेतु प्रयुक्त लेन-देन को जांच तथा परिवर्ती प्रतिफल के आंकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी परिवर्ती प्रतिफल सहित लेन-देन कीमत को निर्धारित करने के लिए प्रभार तालिका पर विचार किया गया।
2.	व्ययों एवं अन्य सम्बंधित शेष राशियों के निर्धारण, मापन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रकटीकरण की सटीकता	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा निम्नानुसार वास्तविक परीक्षण सम्मिलित हैं,</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कम्पनी द्वारा अपनाई गई व्यय निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। ● व्यय मदों के एक नमूने का चयन किया गया और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा व्यय मदों की पहचान एवं उन्हें खाता-बहियां में निरूपित करने सम्बंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। हमने इन नियंत्रणों के परिचालन के सम्बंध में सम्मिलित जांच एवं अवलोकन, निष्पादन तथा साक्ष्य के निरीक्षण सम्बंधित प्रक्रियाओं का संयोजन किया। ● राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में उपयोग की जाने वाली राजस्व तथा सम्बद्ध जानकारी से सम्बंधित सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच एवं प्रबंधन नियंत्रण परिवर्तन का परीक्षण किया गया।



एकल वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षक की उन पर रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श एवं विवेचन में शामिल सूचनाएं बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंधों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन तथा शेयरधारक की सूचना सम्मिलित हैं, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार किन्हीं अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करते हैं तथा उन पर हम किसी भी रूप में आश्वासन अंतिम निष्कर्ष नहीं देते।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के सम्बंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना कि क्या अन्य सूचनायें एकल वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत हैं अथवा अपने लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त अपनी जानकारी के आधार पर या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती हैं।

यदि, हमारे द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, अन्य सूचनाओं की महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस सम्बंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कम्पनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के सम्बंध में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी के आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उनकी पहचान के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना एवं अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव सम्मिलित हैं, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण के सम्बंध में लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से परिचालनरत थे तथा जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने के लिए कम्पनी की क्षमता का निर्धारण करने, कार्यशील संस्था से सम्बंधित, यथा लागू मामलों का प्रकटीकरण करने और कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को परिनिर्धारित करने या परिचालन को बंद करने का विचार नहीं करता अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख हेतु उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से मुक्त हैं और लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्क संगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा सदैव महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों का पता लगायेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा यह तब महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यदि अकेले या समग्र में, ये इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गये आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हो।

एसएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं तथा पूरे लेखापरीक्षा में व्यवसायिक संशय बनाये रखते हैं। हम भी:

- एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों के जोखिमों की पहचान एवं निर्धारण करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को बनाते हैं तथा निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे विचार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार देते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ गांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गयी चूक, गलत बयानी अथवा आन्तरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।
- परिस्थितियों में लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को बनाने के क्रम में लेखापरीक्षा के अनुकूल आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत, हम कम्पनी के पास उपलब्ध पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणालियों तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष प्रदान किये तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, घटना या शर्तों से सम्बंधित किसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता की मौजूदगी के विषय में निष्कर्ष प्रदान करना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्बंधित प्रकटीकरण पर ध्यान दिलाने अथवा यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कम्पनी को कार्यशील संस्था बने रहने से रोकने का कारण हो सकती हैं।
- एकल वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुति, संरचना एवं विषय सूची का समग्र मूल्यांकन करना और क्या एकल वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाएं इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जो एक निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथनों के परिणाम की अहमियत है, क्योंकि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से यह संभाव्य बनाता है कि यथोचित रूप से जानकारी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्यों के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने तथा अपने कार्यों के परिणामों के मूल्यांकन हेतु और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गये किसी मिथ्याकथन के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक अहमियत एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अधिशासन के लिए प्रभारितों से, अन्य मामलों के साथ-साथ, आन्तरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के सुनियोजित ढांचे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम अभिशासन के साथ उन प्रभारितों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के सम्बंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा सभी सम्बंधों एवं अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने के लिए तर्कसंगत माने जा सकते हैं, तथा सम्बंधित सुरक्षा उपाय, जहां लागू हो, सूचित करते हैं।

अभिशासन के लिए प्रभारित को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो मौजूदा अवधि की एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इसीलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं, जब तक कि मामलों के बारे में विधि अथवा विनियम सार्वजनिक प्रकटीकरण मना करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से बहुत अधिक होंगे।



मामलों पर सापेक्षता

- 1- आईपीपीबी/डाक विभाग ने (आईपीपीबी निधियों से) वित्तीय वर्ष 2017-18 में 23 डाक विभाग अंचलों को 650 आईपीपीबी शाखाओं (रु. 16.81 करोड़) को सुसज्जित करने के लिए एवं डाक विभाग के सभी एक्सेस प्वाइंट जैसे- एच.ओ., एस.ओ. एवं बी.ओ. (रु. 49.47 करोड़) को प्रचार-प्रसार के लिए रु. 66.28 करोड़ राशि प्रेषित की थी। 1 सितम्बर 2018 से आईपीपीबी की सभी शाखाएं प्रारम्भ से सक्रिय हो चुकी हैं। अतः आईपीपीबी शाखाओं की सज्जा के लिए प्रदान की गई सम्पूर्ण राशि रु. 16.81 करोड़ 01 सितम्बर 2018 को पूंजीकृत हो गई। हालांकि रु. 16.81 करोड़ के व्यय मुकाबले, 31.03.2019 तक बैंक को केवल रु. 6.25 करोड़ के बिल प्राप्त हुए हैं। समुचित बीजकों के अभाव में हम फनीचर एवं फिक्सचर्स के उपरोक्त पूंजीकरण पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार, ऐसी पूंजीकृत राशि पर लगाया गया मूल्यहास प्रभार भी बिलों के सत्यापन के अधीन है।
- 2- बैंक ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 1,54,480 डाक विभाग एक्सेस प्वाइंट खोलने की परिकल्पना की थी। 31 मार्च 2019 तक 1,54,480 डाक विभाग एक्सेस प्वाइंट के मुकाबले 1,12,923 एक्सेस प्वाइंट सक्रिय हो चुके हैं। सक्रिय एक्सेस प्वाइंटों की प्रतिशतता 73.10% थी। तदनुसार, बैंक ने अनुमानित आधार पर प्रचार-प्रसार के लिए व्यय के रूप में 31 मार्च, 2019 तक रु. 49.47 करोड़ का 73.10% भाग विनियोजित किया है। शेष राशि रु. 13.31 करोड़ को डाक विभाग (पूँजीगत प्रतिबद्धता) के रूप में दर्शाया गया है। व्यय के लिए विनियोजित राशि रु. 36.16 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2019 तक बैंक को केवल रु. 4.98 करोड़ राशि के बिल प्राप्त हुए हैं। समुचित बीजकों के अभाव में हम बैंक के लाभ एवं हानि खाते से नामे डाले गए उपरोक्त व्यय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं।
- 3- आईपीपीबी ने 1 सितम्बर 2018 को 650 आईपीपीबी शाखाओं एवं 3250 एक्सेस प्वाइंटों पर एक साथ लोकार्पण समारोह आयोजित करने के लिए 23 डाक विभाग अंचलों को रु. 9.10 करोड़ की राशि प्रेषित की थी। आज की तिथि तक, रु. 10.11 करोड़ राशि के बिल प्राप्त हुए। यह मानते हुए कि लोकार्पण समारोह 01 सितम्बर, 2018 को हो चुका है, 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 10.11 करोड़ की समग्र राशि व्यय हो चुकी है।
- 4- चूंकि सज्जा, प्रचार-प्रसार तथा लोकार्पण समारोह प्रबंधन सम्बंधित सभी कार्य डाक विभाग द्वारा किये गये थे, इसीलिए कुछ विक्रेताओं ने डाक विभाग के नाम पर बिल प्रस्तुत किये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये डाक विभाग के अंतर्गत आते हैं, आईपीपीबी ने यह मान कर कि ये उसके बिल हैं, डाक विभाग के नाम में उक्त बिलों को स्वीकार कर लिया है और अपने बही खाते में उनको हिस्सा में ले लिया है।
- 5- आईपीपीबी ने अपने समर्पित एवं आवश्यकतानुसार तैयार प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन के लिए रु. 801 करोड़ (जीएसटी सहित) राशि का ठेका दिया है। संविदा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो 14 अगस्त, 2017 से प्रभावी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने विक्रेता को रु. 229.91 करोड़ (माइलस्टोन उपलब्धि के आधार पर) राशि का भुगतान किया है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एएमसी शुल्क, कार्यान्वयन तथा आवश्यकतानुसार तैयार करने आदि के लिए भुगतान सम्मिलित है।
- 6- आईपीपीबी ने (सक्रिय होने की तिथि तक) खरीदे गए हार्डवेयर की सम्पूर्ण राशि रु. 106.32 को पूंजीकृत किया है, जिसके मुकाबले रु. 96.84 करोड़ के बिल प्राप्त हुए थे। इसने (सक्रिय होने की तिथि तक) खरीदे गए सॉफ्टवेयर की सम्पूर्ण राशि रु. 240.46 करोड़ को भी पूंजीकृत किया गया है, जिसके मुकाबले रु. 173.64 करोड़ के बिल प्राप्त हुए थे।
- 7- विक्रेता द्वारा हार्डवेयर के लिए बीमा पॉलिसी को आईपीपीबी के नाम पर अंतरित किया जाना अभी शेष है। विक्रेता ने उसे 15 जून, 2019 तक बैंकों के नाम पर अंतरित करने हेतु आश्वासन दिया है।
- 8- समुचित बीजकों के अभाव में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के उपर्युक्त पूंजीकरण पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार, ऐसी पूंजीकृत राशि पर लगाया गया मूल्यहास प्रभार भी बिलों के सत्यापन के अधीन है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए. हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की तथा प्राप्त किया जो हमारी सवीतम जानकारी व विश्वास के आधार पर लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

- बी. हमारे विचारानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित कम्पनी द्वारा उचित खाता बहियों का रखरखाव किया गया है, जहां तक कि यह हमारे द्वारा उन बहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है।
- सी. तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन सम्बंधित विवरण तथा इस रिपोर्ट में दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण संगत खाता-बहियां के साथ तालमेल में हैं।
- डी. हमारे विचारानुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट एएस का अनुपालन करते हैं।
- ई. 31 मार्च, 2019 तक निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिये गए, निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2019 को निदेशक नियुक्त किये जाने के अयोग्य नहीं है।
- एफ. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के सम्बंध में हमारी अलग रिपोर्ट (अनुबंध) का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित विचार व्यक्त करती हैं।
- जी. अधिनियम की धारा 197 (16), यथा संशोधित की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के सम्बंध में:
- हमारे विचार एवं हमारी सवीतम जानकारी तथा हमें प्रदान किये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर, कम्पनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किये गये पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।
- एच. हमारे विचार एवं हमारी सवीतम जानकारी तथा हमें प्रदान किये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर, कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में यथा संशोधित सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के सम्बंध में:
- कम्पनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में लम्बित मुकदमों के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।
 - कम्पनी ने लागू विधि अथवा लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित, महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों, यदि कोई हैं, के लिए व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर प्रावधान किया है।
 - कम्पनी की निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित करने हेतु आवश्यक राशि के अंतरण में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के सम्बंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार, यह बैंक पर लागू नहीं होता है।
3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निदेशित अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- ए. आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन निष्पादित करने हेतु कम्पनी के पास एक प्रणाली उपलब्ध है।
- बी. कम्पनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण, ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये किसी मौजूदा ऋण की पुनर्चना अथवा कर्जी/ऋणों/ब्याज आदि में छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।
- सी. केंद्र सरकार द्वारा विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों का उनके नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया।

कृते वी के सह गल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 011519 एन)

अनुज माहेश्वरी
भागीदार
(सदस्यता संख्या 096530)

नई दिल्ली: 07 अगस्त, 2019



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

(इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 (एफ) में संदर्भित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (कम्पनी) के 31 मार्च, 2019 के 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण उसी तारीख के कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित सम्बंधित कम्पनी की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन रिकार्डों को सटीकता एवं पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की तैयारी के साथ ही समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव सम्मिलित हैं, जो इसके व्यवसाय का कमबद्ध एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावशाली रूप से परिचालित थे।

लेखापरीक्षक की उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के सम्बंध में विचार व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट (मार्गदर्शक नोट) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू, कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा, 143 (10) के अंतर्गत वर्णित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों एवं मार्गदर्शक नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाये गए और क्या इन नियंत्रणों ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली परिचालन किया, लेखापरीक्षा की योजना बनाएं एवं निष्पादित करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिमों का आकलन करना कि महत्वपूर्ण कमी मौजूद है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय के साथ ही वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों के जोखिम आकलन पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा विचार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बंधित तर्क संगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। किसी कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो (1) उचित विवरण, सटीक एवं निष्पक्ष रूप से कम्पनी लेन-देन और आस्तियों के निपटान को प्रतिबिम्बित करने वाले रिकार्डों के रखरखाव से सम्बंधित होती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेन-देन को रिकार्ड किया गया है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकृतियों के अनुसार किये जा रहे हैं; तथा (3) कम्पनी के आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के सम्बंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

सांठ गांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों का अनुचित प्रबंध उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के भविष्य के लिए पूर्वानुमानों का मूल्यांकन इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय अपर्याप्त हो जाएं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ जाए।

विचार

हमारी राय में, हमारी सवीतम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं तथा 31 मार्च, 2019 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली रूप से परिचालित थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में बताये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित हैं।

कृते वी के सह गल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 011519 एन)

अनुज माहेश्वरी
भागीदार
(सदस्यता संख्या 096530)
नई दिल्ली, 07 अगस्त, 2019



अनुबंध - डी
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक का 31 मार्च, 2019 का तुलनपत्र

पूंजी तथा देयताएं	अनुसूची	(रु में)	
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पूंजी	1	7,000,000,000	4,000,000,000
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	-1,257,015,363	3,999,978,207
जमा राशियां	3	947,591,666	12,042,943
उधार ली गई राशियां	4	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	2,179,415,987	106,466,830
	योग	8,869,992,290	8,118,487,980
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास	6	109,028,399	3,340,292
नकदी एवं शेष राशि			
बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और	7	1,467,774,224	897,876,208
अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
निवेश	8	3,112,788,269	6,437,877,634
ऋण एवं अग्रिम	9	-	-
अचल आस्तियां	10	2,948,696,101	67,439,438
अन्य आस्तियां	11	1,231,705,297	711,954,408
	योग	8,869,992,290	8,118,487,980
आकस्मिक देयताएं	12	2,500,000	2,500,000
वसूली के लिए बिल	-	-	-

हस्ताक्षरित
(प्रियंका भटनागर)
कम्पनी सचिव
(पैन संख्या AQKPB7572L)
निवासी - सी-8 फ्लैट सं. 9, चंदर नगर
गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश

हस्ताक्षरित
(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन संख्या AHSPS3813Q)
ई-75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021

हस्ताक्षरित
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन संख्या 06426040)
निवासी - सी/901, लोधा बेल्लिसिमो,
एन एम जोशी मार्ग
अपोलो मिल मैदान, महालक्ष्मी, मुम्बई

हस्ताक्षरित
(तनवीर क़मर मोहम्मद)
निदेशक
(डीआईएन संख्या 08238554)
निवासी - बी-32, टाइप 5बी, निवेदिता कुंज,
आर के पुरम
सेक्टर 10, दिल्ली 110022

हस्ताक्षरित
(अनंत नारायण नन्ड)
अध्यक्ष
(डीआईएन संख्या 07810425)
निवासी - सी1, ब्लॉक 6, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सह गल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार - एफआरएन संख्या 011519N

हस्ताक्षरित
(अनुज माहे शरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या- 096530

दिनांक: 27/05/2019
स्थान: नई दिल्ली



**इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड की
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता**

		(राशि ₹ में)	
	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31.03.2019	समाप्त वर्ष 31.03.2018
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	464,209,331	395,265,857
अन्य आय	14	18,592,991	2,787,392
	योग	482,802,322	398,053,249
II. व्यय			
ब्याज व्यय	15	8,537,467	386,486
परिचालन व्यय	16	2,704,051,809	386,317,223
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		-578,779,464	1,124,934
	योग	2,133,809,812	387,828,643
असाधारण मर्दे पूर्व अवधि व्यय		19,978,311	
निवल लाभ/निवल हानि		-1,651,007,490	-9,753,705
लाभ एवं हानि खातों में शेष राशि (आगे ले जाया गया)		6,909,501	16,663,206
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		-1,644,097,989	6,909,501
विनियोजन			
आरक्षित निधियों (निवल) को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षित निधि		-	-
आरक्षित पूंजी		-	-
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		-	-
अन्य आरक्षित निधियां		-	-
विशेष आरक्षित निधि		-	-
तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि		-1,644,097,989	6,909,501
	योग	-1,644,097,989	6,909,501



हस्ताक्षरित
(प्रियंका भटनागर)
कम्पनी सचिव
(पैन संख्या AQKPB7572L)
निवासी - सी-8 प्लैट सं. 9, चंद्र नगर
गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश

हस्ताक्षरित
(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन संख्या AHSPS3813Q)
ई-75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021

हस्ताक्षरित
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन संख्या 06426040)
निवासी - सी/901, लोधा बेल्लिसिमो,
एन एम जोशी मार्ग
अपोलो मिल मैदान, महालक्ष्मी, मुम्बई

हस्ताक्षरित
(तनवीर क्रमर मोहम्मद)
निदेशक
(डीआईएन संख्या 08238554)
निवासी- बी-32, टाइप 5बी,
निवेदिता कुंज, आर के पुरम
सेक्टर 10, दिल्ली 110022

हस्ताक्षरित
(अनंत नारायण नन्द)
अध्यक्ष
(डीआईएन संख्या 07810425)
निवासी - सी1, ब्लॉक 6, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सह गल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार - एफआरएन संख्या 011519N

हस्ताक्षरित
(अनुज माहेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या- 096530

दिनांक: 27/05/2019
स्थान: नई दिल्ली



खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)
अनुसूची 1 - पूंजी

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्राधिकृत पूंजी	10,000,000,000	10,000,000,000
100,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	-----	-----
निर्गत/अभिदत्त		
70,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	7,000,000,000	4,000,000,000
प्रदत्त पूंजी		
70,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	7,000,000,000	4,000,000,000
योग	7,000,000,000	4,000,000,000

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष
i. सांविधिक आरक्षित निधि

प्रारम्भिक शेष	5,554,402	5,554,402
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-----	5,554,402

ii. आरक्षित पूंजी
अ). पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि

प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(सम्पत्ति के पुनर्मूल्यन अंश का मूल्यहास होने पर)	-	-

ब). अन्य (अनुदान खाता)

प्रारम्भिक शेष	3,987,514,304	237,514,304
वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि	-	3,750,000,000
वर्ष के दौरान कटौती (प्रयुक्त)	3,605, 986,080	-
	-----	-----
	381,528,224	3,987,514,304

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

iii. राजस्व तथा अन्य आरक्षित		
अ. निवेश आरक्षित		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि	-	-
कमी: लाभ एवं हानि खाता को अंतरण	-	-
	-----	-----
ब. अन्य निधियां		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	-----	-----
सी. विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
प्रारम्भिक शेष	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन राशि (निवल)	-	-
घटाये: वर्ष के दौरान निकासी राशि (निवल)	-	-
iv. शेयर प्रीमियम		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
v. विशेष आरक्षित		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
vi. लाभ एवं हानि खाता में उपलब्ध शेष	-1,644,097,989	6,909,501
	-----	-----
i,ii,iii,iv,v,vi का योग	-1,257,015,363	3,999,978,207
	=====	=====

अनुसूची 3 - जमा राशियां

अ. ख मांग जमा राशियां

(i) बैंकों से	-	-
(ii) अन्य से	16,427,894	-
	-----	-----
	16,427,894	-



खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

ii बचत बैंक जमा	931,163,772	12,042,943
iii मीयादी जमा राशियां		
(i) बैंकों से	-	-
(ii) अन्य से	-	-
	-----	-----
i, ii, iii का योग	947,591,666	12,042,943
	=====	=====

ब. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां	947,591,666	12,042,943
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमा राशियां	-	-

i, ii, iii का योग	947,591,666	12,042,943
	-----	-----

अनुसूची 4 - उधार ली गई राशियां

I. भारत में उधार ली गई राशियां

(i) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-
(ii) अन्य बैंक	-	-
(iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
(iv) बांड (टियर-I, टियर-II गौण बांडों सहित)	-	-

II. भारत से बाहर उधार ली गई राशियां	-	-
--	----------	----------

I, II, का योग	-	-
	-----	-----

उपरोक्त I व II जमानती उधार राशियों सहित	-	-
---	---	---

अनुसूची- 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान

I. देय बिल - -		
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
III. उपचित ब्याज	-	-
IV. आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-	-
V. अन्य (प्रावधानों सहित)	2,179,415,987	106,466,830
	-----	-----
I,II,III,IV,V का योग	2,179,415,987	106,466,830
	-----	-----

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची- 6 भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष

I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	-		142,792
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि			
(i) चालू खाते में	109,028,399	3,197,500	
(ii) अन्य खातों में	-	-	
	-----	109,028,399	-----
			3,197,500
I, II का योग		109,028,399	3,340,292
		-----	-----

अनुसूची- 7 बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(राशि ₹ में)

31.03.2019 को

31.03.2018 को

ख. भारत में

(i) बैंकों के पास शेष राशि:

(ए) चालू खातों में	58,765,853	41,638,820
(बी) अन्य जमा खातों में	1,409,008,371	856,237,388
	-----	-----
	1,467,774,224	897,876,208

(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(ए) बैंकों के पास	-	-
(बी) अन्य संस्थानों के पास	-	-
	-----	-----
	-	-
i, ii का योग	1,467,774,224	897,876,208

II. भारत से बाहर

(i) चालू खातों में	-	-
(ii) अन्य जमा खातों में	-	-
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-	-
	-----	-----
योग	-	-
(I व II का कुल योग)	1,467,774,224	897,876,208
	-----	-----



खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची- 8 निवेश

I. भारत में निवेश

(i) सरकारी प्रतिभूतियां	3,112,788,269	6,437,877,634
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(iii) शेयर	-	-
(iv) डिबेंचर तथा बांड	-	-
(v) सह योगी/सहायक संस्थाओं में निवेश	-	-
(vi) अन्य (विविध म्युचुअल फंड एवं वाणिज्यिक पत्र इत्यादि)	-	-
I का योग	3,112,788,269	6,437,877,634

II. भारत से बाहर निवेश

(i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(ii) सह योगी संस्थाओं में निवेश	-	-
(iii) अन्य निवेश	-	-
II का योग	-	-

III. भारत में निवेश

(i) निवेश का सकल मूल्य	3,112,788,269	6,437,877,634
(ii) घटायें: मूल्यहास के लिए समग्र प्रावधान	-	-
(iii) निवल निवेश	3,112,788,269	6,437,877,634

IV. भारत से बाहर निवेश

(i) निवेश का सकल मूल्य	-	-
(ii) घटायें: मूल्यहास के लिए समेकित प्रावधान	-	-
(iii) निवल निवेश	-	-

(I व II का कुल योग)	3,112,788,269	6,437,877,634
----------------------------	----------------------	----------------------



खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची- 9 अग्रिम 31.03.2019 को 31.03.2018 को

(राशि ₹ में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकोती योग्य ऋण	-	-
iii) मीयादी ऋण	-	-
योग	-	-
बी i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋणों पर अग्रिमों सहित)	-	-
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	-	-
iii) अरक्षित	-	-
योग	-	-
सी. I) भारत में अग्रिम	-	-
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	-	-
योग	-	-
सी. II) भारत में बाहर अग्रिम	-	-
ii) बैंकों से प्राप्य	-	-
iii) अन्य से प्राप्य	-	-
(अ) खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
(ब) मीयादी ऋण	-	-
(स) अन्य	-	-
योग	-	-
सी (I) व सी (II) का कुल योग	-	-



खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची- 10 अचल आस्तियां 31.03.2019 को 31.03.2018 को

(राशि ₹ में)

	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I. परिसर (भूमि सहित)	-	-
- वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
घटायें : वर्ष के दौरान कटौतियां		
- पुनर्मूल्यांकन	-	-
घटायें: आज तक मूल्यहास		
II. अन्य अचल आस्तियां (फनीचर व फिक्सचर सहित)	-	-
- वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	30,669,190	2,870,859
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,245,376,023	27,798,331
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियां	1,881,572,669	-
घटायें: आज तक मूल्यहास	39,695,352	2,044,133
	1,354,777,192	28,625,057
III. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
- वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	38,854,552	46,835,969
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,602,387,974	12,768,180
- वर्ष के दौरान कटौतियां	1,000,000,000	20,749,597
घटायें: आज तक परिशोधित	47,323,617	8,686,781
	1,593,918,909	30,167,771
IV. पट्टे पर ली गई आस्तियां		
- वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
घटायें: आज तक मूल्यहास	-	-
V. जारी कार्य	-	8,646,610
I, II, III व IV का योग	2,948,696,101	67,439,438

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची- 11 अन्य आस्तियां 31.03.2019 को 31.03.2018 को

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I. उपचित ब्याज	77,117,395	6,532,252
II. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर कर की कटौती (प्रावधानों का निवल)	26,162,516	-
III. स्टेशनरी एवं स्टैम्प्स	-	-
IV. ढावों की संतुष्टि हेतु उपार्जित गैर - बैंकिंग आस्तियां	-	-
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल)	579,693,199	913,735
VI. पूंजीकृत निगमन व्यय	-	-
VII. प्रतिभूति जमाराशियां	16,127,773	5,778,600
VIII. डाक विभाग के पास अनुदान	-	-
IX. डाक विभाग की पूंजी प्रतिबद्धता	133,075,622	656,042,091
X. अन्य	399,528,792	42,687,730
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X का योग	1,231,705,297	711,954,408

अनुसूची- 12 आकस्मिक देयताएं

	(राशि ₹ में)	
I. (i) बैंक के विरुद्ध ढावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	-	-
(ii) अपील, संदर्भों, इत्यादि के अंतर्गत विवादित आयकर तथा ब्याज कर की मांग	-	-
II. आंशिक: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता	-	-
IV. संघटनों की ओर से दी गई गारंटियां	-	-
(ए) भारत में	-	-
(बी) भारत से बाहर	-	-
V. स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	-	-
VI. अन्य मदें जिसने लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	2,500,000	2,500,000
I,II,III,IV,V व VI का योग	2,500,000	2,500,000



खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची- 13 अर्जित ब्याज और लाभांश 31.03.2019 को 31.03.2018 को

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	-	-
II. निवेशों पर आय	197,463,349	378,840,915
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध शेष राशियों एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	266,745,982	16,424,942
IV. अन्य	-	-
I,II,III व IV का योग	464,209,331	395,265,857

अनुसूची- 14 अन्य आय 31.03.2019 को 31.03.2018 को

	(राशि ₹ में)	
	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I. कमीशन, विनिमय व दलाली	4,295,999	-
II. भूमि, इमारतों, तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	-	-
घटायें: भूमि, इमारतों, तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	182,961	-
	-----	-
III. म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ	-	-
घटायें: विनिमय लेन-देन पर हानि	-	-
V. निवेशों के विक्रय पर लाभ	376,286	-
घटायें: निवेशों के विक्रय पर हानि	376,286	-
VI. भती सम्बंधित आय	8,215,328	2,238,326
VII. विविध आय	4,986,651	-
I,II,III,IV,V,VI, VII का योग	18,592,991	2,787,392



खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची- 15 खर्च किया गया ब्याज 31.03.2019 को 31.03.2018 को

(राशि ₹ में)

I. जमा राशियों पर ब्याज	8,537,467	386,486
II. भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज/ अंतर-बैंक उधार राशियां	-	-
III. अन्य	-	-
I, II व III का योग	8,537,467	386,486



अनुसूची- 16 परिचालन व्यय

(राशि ₹ में)

I. कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	1,994,868,043	149,535,701
II. किराया, कर एवं बिजली	6,669,168	2,243,183
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	19,651,122	1,149,345
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	169,113,674	5,181,772
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	76,361,271	9,655,728
घटायें: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के साथ समायोजित	76,361,271	9,655,728
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता तथा व्यय	1,179,800	560,000
VII. लेखापरीक्षकों का शुल्क तथा व्यय (सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षक, शाखा लेखापरीक्षकों का शुल्क व व्यय सहित)	1,000,000	104,600
VIII. विधि प्रभार	203,802	114,576
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	39,861,527	1,282,261
X. मरम्मत एवं रखरखाव	741,428	83,202
XI. बीमा	23,888,199	719,800
XII. व्यवसाय शुल्क	202,825,980	72,369,809
XIII. जीएसटी व्यय	31,680,829	-
XIV. भत्ती व्यय	6,262,709	9,038,466
XV. प्रशिक्षण व्यय	7,310,597	26,959,810
XVI. आउटसोर्सिंग व्यय	70,611,417	1,445,293
XVII. यात्रा एवं वाहन व्यय	36,693,596	16,973,283
XVIII. डाक विभाग कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि	3,027,317	-
XIX. अन्य व्यय	12,101,330	66,898,306
XX. बट्टे खाते में डाले गये निगमन व्यय	-	22,002,088

I से XVI तक का योग

2,704,051,809

386,317,223

वित्तीय वर्ष 2018-19 का नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	(राशि रुपये में) (2018-19)	(राशि रुपये में) (2017-18)
अ. परिचालन से नकदी प्रवाह		
क) कर पश्चात निवल लाभ	-1,651,007,490	-9,753,705
बढ़ाये: कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	-578,779,464	1,124,934
कर पूर्व लाभ	i) -2,229,786,954	-8,628,771
क) समायोजन		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	76,361,271	9,655,728
बट्टे खाते में डाले गये निगमन व्यय	-	22,002,088
बट्टे खाते में डाले गये पूर्व अवधि मद	-	19,978,311
घटाये; अनुदानों में से उपयोग की गई राशि	3,605,986,080	-
कुल समायोजन	ii) -3,529,624,809	51,636,126
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ (i)+(ii)	-5,759,411,763	43,007,356
iii) परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन		
निवेशों में कमी (निवल)	3,325,089,364	-4,882,435,658
अन्य आस्तियों में कमी (निवल)	59,028,575	-687,894,921
जमा राशियों में वृद्धि (निवल)	935,548,723	9,672,864
अन्य देयताओं में वृद्धि (निवल)	2,072,949,158	-7,484,759
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में निवल परिवर्तन हेतु कुल समायोजन	(iii) 6,392,615,820	-5,568,142,474
परिचालन में से उपयोग किया गया नकदी प्रवाह (i)+(ii)+(iii)	633,204,057	-5,525,135,118
प्रदत्त कर	-	-3,936,226
परिचालन में से उपयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह	अ 633,204,057	-5,529,071,344
ब. निवेश कार्यक्रमों में उपयोग किया गया नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	-2,957,617,934	-49,213,121
निवेश कार्यक्रमों में उपयोग की गई निवल नकदी प्रवाह	-2,957,617,934	-49,213,121
स. वित्तीय कार्यक्रमों से अर्जित नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गम	3,000,000,000	1,250,000,000
अनुदानों की प्राप्ति	-	3,750,000,000
वित्तीय कार्यक्रमों से अर्जित निवल नकदी	स 3,000,000,000	5,000,000,000



नकद एवं नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (अ)+(ब)+(स)	द	675,586,123	-578,284,465
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य			
भा.रि.बैंक के पास नकद एवं शेष राशि		3,340,292	247,757
बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प		897,876,208	1,479,253,208
सूचना पर प्रतिदेय राशि		901,216,500	1,479,500,965
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य			
भा.रि. बैंक के पास नकद एवं शेष राशि		109,028,399	3,340,292
बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प		1,467,774,224	897,876,208
सूचना पर प्रतिदेय राशि		1,576,802,623	901,216,500
		675,586,123	-578,284,465

हस्ताक्षरित
(प्रियंका भटनागर)
कम्पनी सचिव
(पैन संख्या AQKPB7572L)
निवासी - सी-8 प्लैट सं. 9, चंदर नगर
गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश

हस्ताक्षरित
(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन संख्या AHSPS3813Q)
ई-75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021

हस्ताक्षरित
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन संख्या 06426040)
निवासी - सी/901, लोधा बेल्लिसिमो, एन एम जोशी मार्ग
अपोलो मिल मैदान, महालक्ष्मी, मुम्बई

हस्ताक्षरित
(तनवीर कमर मोहम्मद)
निदेशक
(डीआईएन संख्या 08238554)
निवासी - बी-32, टाइप ५बी, निवेदिता कुंज, आर के पुरम
सेक्टर 10, दिल्ली 110022

हस्ताक्षरित
(अनंत नारायण नन्ड)
अध्यक्ष
(डीआईएन संख्या 07810425)
निवासी - सी1, ब्लॉक 6, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी के सह गल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार - एफआरएन संख्या 011519N

हस्ताक्षरित
(अनुज माहे शरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या- 096530

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को परम्परागत लागत आधार पर बनाया गया है तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जब तक कि अन्यथा न कहा जाये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), लागू व्यापक संविधिक प्रावधानों, विनियामक मानदंडों, परिपत्रों तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, लेखांकन मानकों (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रवृत्तियों को अनुसार है।

वित्तीय विवरणों को कार्यशील संस्था के आधार पर उपचय अवधारणा के साथ बनाया और लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है तथा जब तक कहा न जाये, अनवरत उनका पालन करते हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि को रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशियों के अनुमान और अवधारणा लगाने तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय एवं व्यय की आवश्यकता होती है।

लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन मौजूदा और भविष्य की अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव के रूप में मान्य है, जब तक कि अन्यथा न कहा जाये।

3. राजस्व निर्धारण

आय एवं व्यय का लेखांकन निम्नानुसार किया जाता है

3.1. निवेशों पर आय का लेखांकन निम्नानुसार होता है

- ए). ट्रेजरी बिल पर ब्याज समय अनुपात के आधार पर आय के रूप में मान्य होता है।
- बी). निवेश विक्रय तिथि को निवेश विक्रय पर लाभ आय के रूप में मान्य होता है।

3.2. मीयादी जमा पर ब्याज समानुपातिक आधार पर लेखांकित होता है।

3.3. जब और जैसे कमीशन, विनिमय, ढलाली आय के रूप में तब मान्य होती है।

3.4. भर्ती सम्बंधित आय जब प्राप्त होने पर जैसे आय के रूप में मान्य होती है।

3.5. कर्मचारियों से वसूली तथा विविध आय जब और जैसे प्राप्त होने पर यह आय के रूप में मान्य होती है।

3.6. स्वीकृत जमाराशियों एवं उधारियों से सम्बंधित सभी ब्याज व्यय उपचय आधार पर मान्य होते हैं।

3.7. अन्य सभी परिचालन व्यय उपचय आधार पर मान्य होते हैं।



4. निवेश

- 4.1. बैंक निवेशों की खरीद एवं विक्री के लिए लेखांकन की व्यापार तिथि पद्धति का पालन करते हैं, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के सिवाय जहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान तिथि पद्धति का पालन किया जा रहा है।
- 4.2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म ए के अनुसार निवेशों को छः श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- 4.3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार निवेश को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- 4.4. निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारण करने में:-
 - ए. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बंध में भुगतान किये गए दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि को प्रारम्भिक राजस्व व्यय माना जाता है तथा लागत में शामिल नहीं होता है।
 - बी. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण / बिक्री की तिथि तक उपचित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि का ब्याज अधिग्रहण लागत/ बिक्री प्रतिफल से बाहर है तथा यह उपचित ब्याज परंतु देय नहीं में लिया गया है।
 - सी. सभी श्रेणियों के निवेश के लिए लागत का निर्धारण भारत औसत लागत पद्धति से किया गया है।
- 4.5. भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार निवेशों को मूल्यांकित किया गया है।
- 4.6. किसी श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है, परंतु, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि (करों एवं सांविधिक आरक्षित को अंतरित करने हेतु आवश्यक राशि का निवल) 'आरक्षित पूंजी खाता' में विनियोजित है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1. अचल आस्तियां परम्परागत लागत में से संचित मूल्यहास / परिशोधन जहां भी लागू हो, घटा कर वर्णित होती हैं।
- 5.2. सॉफ्टवेयर को अचल आस्ति अनुसूची में अमूर्त आस्तियों के तहत सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत तथा सम्मिलित किया गया है।
- 5.3. लागत में खरीद की लागत तथा अन्य सभी व्यय जैसे- साइट की तैयारी, स्थापना लागत एवं पूंजीकरण की तिथि तक आस्ति पर किए गए व्यवसायिक शुल्क सम्मिलित हैं। आस्तियों पर बाद में किए गये व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसी आस्तियों से भविष्य में लाभों अथवा इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

5.4. मूल्यहास

ए. चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अचल आस्तियों पर मूल्यहास की कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, इसीलिए आईपीपीबी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

आस्ति	कम्पनी अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुमानित उपयोग अवधि
स्वाधिकृत परिसर	60 वर्ष
कम्प्यूटर (मोबाइल फोन, बायोमीट्रिक डिवाइस तथा सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
सर्वर, स्टर, नेटवर्क तथा सम्बंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	15 वर्ष
इलेक्ट्रिकल उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	५ वर्ष
फनीचर तथा फिटिंग्स	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

बी. आस्ति की अनुमानित उपयोगी अवधि हेतु सीधी कटौती आधार पर समय हेतु मूल्यहास प्रभारित किया जा रहा है।

सी. आस्तियों के अधिग्रहण या निपटान के मामले में, वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग किये गये दिनों की संख्या के आधार पर समानुपातिक प्रभारित किया जायेगा।

डी. रु. 5,000/- तक लागत वाली आस्ति, पहचान के लिए रु. 1 का नाममात्र मूल्य रखकर पूर्ण रूप से हासित की जायेगी।

ई. पुनर्मूल्यांकित/क्षत आस्तियों के मामले में, संशोधित आस्ति मूल्यों के संदर्भ में आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर मूल्यहास प्रावधान किया जायेगा।

6. कर्मचारी लाभ

नियमित कर्मचारी सामूहिक मेडिकल बीमा, सामूहिक टर्म बीमा तथा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना द्वारा रक्षित हैं।

सेवांत लाभ

- भविष्य निधि: सभी प्राप्त कर्मचारी जो 30.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, वे सभी कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल हैं।
- नयी पेंशन योजना (एनपीएस): सभी प्राप्त कर्मचारी जिन्होंने 01.10.2018 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण किया है, वे

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत शामिल हैं। इन कर्मचारियों के सम्बंध में बैंक मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्तों का 10% योगदान करता है और यह व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा बैंक के पास इस खाते में योगदान के अलावा बैंक की अन्य कोई देयता नहीं होती।



iii). उपदान: बैंक सभी प्रात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। यह लाभ स्थिर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, मृत्यु, या सेवा समाप्ति किये जाने पर, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों की मूल वेतन के बराबर राशि, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार अधिकतम निर्दिष्ट के अधीन एकमुश्त भुगतान है। कोई कर्मचारी ५ वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही इसके लिए प्रात्र होता है।

7. आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा मौजूदा कर तथा उपगत आस्थगित कर व्यय की समग्र राशि है। मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा लेखांकन मानक 22 - आय पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में परिवर्तन सम्मिलित होता है। मौजूदा वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखांकन आय के मध्य समय के अंतर तथा आगे ले जाई गई हानियों के प्रभाव को देखते हुए, आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं का निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों एवं कर विधियों, जो तुलन पत्र की तिथि को अधिनियमित अथवा विधिवत अनियमित किये गये हों, का उपयोग करके मापित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों का प्रभाव लाभ एवं हानि खाते में मान्य होता है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण एवं पुनः आकलन, प्रबंधन के निर्णय कि क्या उनकी वसूली यथोचित/वास्तविक रूप से निश्चित मानी जाती है, के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार बैंक सभी प्रावधान निर्धारित करता है, जब अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है तथा जब दायित्व निर्वहन हेतु राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है, तब दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की संभवतः आवश्यकता होगी।

आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं होती हैं।

9. सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा एटीएम/माइक्रो एटीएम/पीओएस के प्रावधान द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से, तथा नकद निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उभरते प्रौद्योगिकी समाधान ग्रामीण डाकघरों में क्षमता निर्माण, ग्रामीण डाकघरों में नकद प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने और वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करने के लिए सरकार द्वारा अधिदेश के अनुसार, अनुदान स्वीकृत किया गया है। 17 जुलाई, 2017 के संकल्पों की शर्तों के अनुसार, अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों एवं प्रास्वों को अनुमोदित किया है। तदनुसार, प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है तथा इसे आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है। इस प्रकार बैंक सरकारी अनुदान के सम्बंध में एएस -12 के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति अपना रहा है। अनुदान का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।

अनुसूची- 18

लेखों पर टिप्पणियां

1. पूंजी:

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी*	7968897	7968897
ii	सामान्य इक्विटी टियर १ पूंजी अनुपात (%)	767.99	767.99
iii	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	767.99	767.99
iv	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	0.00	0.00
v	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	767.99	767.99
vi	बैंक में भारत सरकार की शेयर धारित का प्रतिशत	100.00%	100.00%
vii	वर्ष के दौरान जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	1250000	1250000
viii	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	शून्य	शून्य
	स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)	शून्य	शून्य
ix	जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से	शून्य	शून्य
	कर्ज पूंजी लिखत:	शून्य	शून्य
	अधिमान शेयर पूंजी लिखत: (शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	शून्य	शून्य

* बट्टे खाते में नहीं डाले गये निगमित व्यय की कटौती के पश्चात /आस्थगित कर आस्तियां तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

2. निवेश:

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(१)	निवेशों का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य	3112788	6437878
ए.	भारत में	3112788	6437878
बी.	भारत से बाहर	0	0
ii	मूल्यहास के लिए प्रावधान	0	0
ए.	भारत में	0	0
बी.	भारत से बाहर	0	0



iii	निवेशों का निवल मूल्य	3112788	6437878
ए.	भारत में	3112788	6437878
बी.	भारत से बाहर	0	0
(2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
ख	प्रारम्भिक राशि	0	0
ii	जोड़े: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0	0
iii	घटायें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन /प्रतिलेखन (निवल)	0	0
iv	अंतिम शेष	0	0

3. रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य दृष्टि से)

बैंक द्वारा इस क्षेत्र में कोई भी संव्यवहार नहीं किया गया है, इसीलिए इस सम्बंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

4. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

ए). गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का गैर-एसएलआर श्रेणी में कोई संव्यवहार नहीं है। अतः किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

बी). अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

31 मार्च, 2019 को बैंक के पास कोई भी गैर-एसएलआर निवेश नहीं है और इसीलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

5. एचटीएम श्रेणी से/को विक्रय तथा अंतरण

वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी को/से निवेश का कोई भी अंतरण नहीं था तथा एचटीएम श्रेणी से निवेश का कोई विक्रय भी नहीं था।

6. व्युत्पन्नी

ए. वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली

बी. विनिमय व्यापारित ब्याजदर व्युत्पन्नी

सी. व्युत्पन्नी में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

बैंक द्वारा व्युत्पन्नी में कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है, अतः इस क्षेत्र में रिपोर्ट हेतु कुछ भी नहीं है।

7. आस्ति गुणवत्ता:

ए. अनर्जक आस्तियां

बी. पुनर्चित खातों का विवरण

सी. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कम्पनी (एससी/आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण।

डी. अन्य बैंक से/को खरीदी/बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ई. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

एफ. चल प्रावधानों का विश्लेषण

बैंक 'पेमेन्ट बैंकों' की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। अतः अनर्जक अग्रिमों, पुनर्चना, मानक आस्तियों, तथा चल प्रावधानों सहित आस्ति गुणवत्ता सम्बंधित आवश्यक प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होता है।

8. कारोबार अनुपात

विवरण		31.03.2018	31.03.2019
i)	कार्यशील निधि की प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	5.47%	5.35%
ii)	कार्यशील निधि की प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.22%	0.04%
iii)	कार्यशील निधि की प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	-26.28%	0.15%
iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-19.46%	-0.13%
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा एवं ऋण) (रु. लाख में)	4.30	0.11
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	(7.49)	(0.09)

9. आस्ति देयता प्रबंधन:

(राशि ₹ में)

परिपक्वता का स्वरूप	जमा राशियां	अग्रिम	निवेश	उधारियां	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयताएं
अगले दिन	6827	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2 से 7 दिन	(86)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8 से 14 दिन	40963	शून्य	499065 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
15 से 30 दिन	(516)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31 दिनों से 2 माह तक	47790	शून्य	3996890 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
2 माह से अधिक 3 माह	शून्य	शून्य	शून्य (1236195)	शून्य	शून्य	शून्य
3 माह से अधिक 6 माह	शून्य	शून्य	शून्य (705728)	शून्य	शून्य	शून्य
6 माह से अधिक 1 वर्ष	शून्य	शून्य	3112788 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष	852011 (10839)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	947592 (12043)	शून्य	3112788 (6437878)	शून्य	शून्य	शून्य

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से सम्बंधित हैं।

10. एक्सपोजर:

- ए. भूसंपदा क्षेत्र में एक्सपोजर
- बी. पूंजी बाजार में एक्सपोजर
- सी. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर
- डी. बैंक द्वारा पार की गई एकल ऋणी सीमा तथा समूह ऋण के विवरण
- ई. गैर जमानती अग्रिम

बैंक 'पेमेन्ट बैंकों' की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, एक्सपोजर से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

11. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये अर्थदंडों का प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया है।

लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण

12. एस-6: मूल्यहास लेखांकन:

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्यहास का अलग-अलग विवरण

(राशि रु. में)

आस्तियों का वर्ग	31.03.2019	31.03.2018
अन्य अचल आस्तियां	1885	159
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7771	1687
योग	9657	1846

13. एस -9: राजस्व निर्धारण:

आय और व्यय निम्नानुसार लेखांकित हैं:

ए. निवेशों पर आय निम्नानुसार लेखांकित हैं:

ए) ट्रेजरी बिल पर ब्याज समयानुपातिक आधार पर आय के स्तर में निर्धारित किया जाता है।

बी) निवेशों की बिक्री पर लाभ निवेशों की बिक्री की तिथि को आय के स्तर में निर्धारित किया जाता है।

बी. मीयादी जमा राशियों पर ब्याज समयानुपातिक अनुपात के आधार पर लेखांकित हैं।

सी. कमीशन, विनिमय एवं ढलाली को, जैसे तथा जब अंतर्निहित लेन-देन निष्पादित होते हैं, तब आय के स्तर में निर्धारित किया जाता है।

डी. भर्ती सम्बंधित आय को प्राप्ति पर आय के स्तर में निर्धारित किया जाता है।

ई. कर्मचारियों से वसूली तथा विविध आय को जैसे और जब यह प्राप्त होती है, तब निर्धारित किये जाते हैं।

एफ. स्वीकृत जमा राशियों और उधारियों से सम्बंधित सभी ब्याज व्यय उपचय आधार पर निर्धारित हैं।

जी. अन्य सभी परिचालन व्यय उपचय आधार पर लेखांकित हैं।

14. एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन: बैंक ने कोई भी लेन-देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया है। इसलिए, इस क्षेत्र में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया है।

15. एएस-12: सरकारी अनुदानों का उपयोग

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदानों का उपयोग निम्नलिखित हैं;

(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
प्रारम्भिक शेष	3987514	237514
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	3750000
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	3605986	शून्य
अंतिम शेष	381528	3987514

16. एएस-15: कर्मचारी लाभ:

ए) उपदान:

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर रु. ७.02 करोड़ की वार्षिकी खरीदी है। यह राशि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते से डेबिट की गई है।

बी) अवकाश नकदीकरण:

वर्ष के दौरान, बैंक ने कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु, सवीतम अनुमान के आधार पर रु. ५ करोड़ का प्रावधान किया है। यह राशि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते से डेबिट की गई है।

17. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए खंड रिपोर्टिंग:

(राशि रु. में)

भाग अ: कारोबार खंड

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
i.	राजस्व खंड		
	अ) ट्रेजरी	464586	395266
	ब) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	स) खुदरा बैंकिंग	4113	2787
	द) अन्य बैंकिंग परिचालन	14103	शून्य
	योग	482802	398053
ii.	खंड परिणाम		
	अ) ट्रेजरी	87966	32964



	ब) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	स) खुदरा बैंकिंग	-2318283	-21615
	द) अन्य बैंकिंग परिचालन	530	शून्य
	योग	-2229787	11349
iii.	अनाबंटित व्यय	शून्य	शून्य
iv.	परिचालन लाभ	-2229787	11349
v.	कर के लिए प्रावधान	-578779	1125
vi.	असाधारण मर्दे (पूर्वावधि व्यय)	शून्य	19978
vii.	निवल लाभ	-1651007	-9754
अन्य सूचना:			
viii.	आस्ति खंड		
	अ) ट्रेजरी	4630825	7338951
	ब) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	स) खुदरा बैंकिंग	4239167	779537
	द) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उप योग	8869992	8118488
	य) अनाबंटित आस्तियां	शून्य	शून्य
	कुल आस्तियां	8869992	8118488
ix.	देयता खंड		
	अ) ट्रेजरी	3493000	7242707
	ब) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	स) खुदरा बैंकिंग	5376992	875781
	द) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उपयोग	8869992	8118488
	य) अनाबंटित देयताएं	शून्य	शून्य
	कुल देयताएं	8869992	8118488

भाग ब. भौगोलिक खंड:

चूंकि बैंक केवल भारत में ही परिचालित है, अतः भौगोलिक खंड सम्बंधित रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

18. आईसीएआई द्वारा जारी एएस- 18 के अनुसार सम्बंधित पार्टियों का प्रकटीकरण: शून्य

19. पत्रों का लेखांकन - एएस-19: बैंक ने पट्टे पर कोई भी परिसर/आस्ति नहीं ली है। इसलिए, पट्टे से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

20. प्रति शेयर अर्जन - एएस-20

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
ए	ईपीएस- मूल/डाइल्यूटेड (रु. में)	-3.41	-0.03
बी	अंश, लाभ / (हानि) (कर के बाद) के रूप में प्रयुक्त राशि	(1651007)	(9754)
सी	शेयर का अंकित मूल्य	रु. 10 प्रति शेयर	रु. 10 प्रति शेयर
डी	विभाजक के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	483835616	369863014

21. आय पर कर के लिए लेखांकन - एएस 22:

बैंक लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयता निर्धारित की हैं। जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:
(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
आस्थगित कर आस्तियां		
अगले लाभ से घाटा-पूर्ति	650061	4249
उपदान	18389	शून्य
अवकाश नकदीकरण	13000	शून्य
योग	681450	4249
आस्थगित कर देयताएं	3335	4026
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	101757	3335
योग	101757	3335
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	शून्य	शून्य
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	579693	914

22. समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन (एएस-23)

बैंक के पास कोई भी गौण /सहायक संस्थाएं नहीं हैं और इसीलिए इस क्षेत्र खंड के अंतर्गत किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

23. आस्तियों की क्षति (एएस-28)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आस्तियों को कोई क्षति नहीं हुई है।

24. लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाये गये (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं) का विश्लेषण निम्नलिखित हैं:
(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान (निवल)	शून्य	शून्य
एनपीए के लिए प्रावधान (निवल)	शून्य	शून्य
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
आयकर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान	-578779	1125
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	शून्य	शून्य
योग	-578779	1125



27. आरक्षित निधियों में से आहरण द्वारा कमी:

प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है और पूंजीकृत आरक्षित पूंजी में जमा किया गया। अनुदान का उपयोग निम्नानुसार किया गया है:

क्र. सं.	अनुदानों का उपयोग	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदानों का वास्तविक उपयोग राशि (रु. करोड़ में)
1.	एटीएम/माइक्रो एटीएम/ पीओएस का प्रावधान	188.12
2.	i. नकद निकासी सुविधाओं के लिए नई प्रौद्योगिकी (क्यूआर कार्ड)	७.31
	ii. ग्रामीण डाकघरों में क्षमता निर्माण हेतु (प्रशिक्षण)	९.94
	iii. ग्रामीण डाकघरों में नकद प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने हेतु (बीमा)	0.48 58.75
	iv. वित्तीय साक्षरता	72.48
	प्रौद्योगिकी लागत	100
	योग	360.06

28. एटीएम से सम्बंधित ग्राहक शिकायतों सहित शिकायतों एवं बैंकिंग लोकपाल के कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों का प्रकटीकरण:

ए. ग्राहक शिकायतें

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
ए)	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या	9	शून्य
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	26719	75
सी)	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	25376	66
डी)	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित शिकायतों की संख्या	1352	9

बी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
ए)	वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
सी)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
डी)	वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य



27. बैंक द्वारा प्रारम्भ किए गए बीमा कारोबार के सम्बंध में प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में बैंक द्वारा कोई बीमा कारोबार नहीं किया गया।

28. जमा राशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का संकेन्द्रण:

अ). जमा राशियों संकेन्द्रण

(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	2000	1828
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों की, बैंक की कुल जमा राशियों में प्रतिशतता	0.21%	15.18%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण	बैंक 'पेमेन्ट बैंकों' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, अग्रिमों, एक्सपोजर/एनपीए के संकेन्द्रण तथा प्रावधान कवरेज अनुपात से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
सी. एक्सपोजर का संकेन्द्रण	
डी. एनपीए का संकेन्द्रण	
ई. प्रावधान कवरेज अनुपात	

II. क्षेत्रवार अग्रिम	बैंक 'पेमेन्ट बैंकों' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, क्षेत्रवार अग्रिम, एनपीए को संचलन सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।
III. एनपीए का संचलन	
IV. विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व	

29. क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड के पुरस्कार अंक

बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड जारी नहीं किया है। अतः डेबिट/क्रेडिट कार्ड से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

30. प्रतिभूतिकरण से सम्बंधित प्रकटीकरण

बैंक 'पेमेन्ट बैंकों' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण से सम्बंधित कोई लेन-देन नहीं किया गया है।

31. ऋण चूक स्वेप (सीडीएस)

बैंक 'पेमेन्ट बैंकों' की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक ने ऋण चूक स्वेप से सम्बंधित कोई लेन-देन नहीं किया है।

32. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)

बैंक अपने परिचालन की प्रारम्भिक अवस्था में है। यहां परिपक्व हो चुकी तथा 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया कोई गैर-द्रावाकृत जमा राशि नहीं है। इसलिए, वर्ष के दौरान जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में कोई भी राशि अंतरित नहीं की गई।

33. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने इस अवधि के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा लेन-देन नहीं किया है तथा इसके पास कोई अरक्षित एक्सपोजर नहीं है। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं है।



34. अंतः समूह एक्सपोजर

बैंक 'पेमेंट बैंकों' की श्रेणी के अंतर्गत हैं और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसीलिए इस खंड में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अन्य टिप्पणियां:

35. आईपीपीबी शाखाओं तथा एक्सेस प्वाइंटों के सज्जा / ब्रैंडिंग के लिए डाक विभाग के अंचल कार्यालयों को दी गई धनराशि:

आईपीपीबी/डाक विभाग ने (आईपीपीबी निधियों से) वित्तीय वर्ष 2017-18 में डाक विभाग के 23 अंचलों को 650 आईपीपीबी शाखाओं (रु. 16.81 करोड़) की सज्जा एवं डाक विभाग को सभी एक्सेस प्वाइंट जैसे- एच.ओ., एस.ओ. एवं बी.ओ. (रु. 49.47 करोड़) पर प्रचार-प्रसार के लिए रु. 66.28 करोड़ राशि प्रेषित की थी। १ सितम्बर, 2018 से आईपीपीबी की सभी शाखाएं सक्रिय हो चुकी हैं। इसलिए, आईपीपीबी शाखाओं की सज्जा के लिए प्रदान की गई सम्पूर्ण राशि रु. 16.81 करोड़ 01 सितम्बर, 2018 को पूंजीकृत की गई। 31.03.2019 तक बैंक को रु. ६.25 करोड़ के बिल प्राप्त हुए हैं।

उसी प्रकार, 31 मार्च, 2019 तक अनुमानित १,54,480 डाक विभाग एक्सेस प्वाइंट के मुकाबले १,12,923 एक्सेस प्वाइंट सक्रिय हो चुके हैं। सक्रिय एक्सेस प्वाइंटों की प्रतिशतता 73.10% थी। तदनुसार बैंक ने प्रचार-प्रसार के लिए अग्रिम दिए गए रु. 49.47 करोड़ का 73.10% भाग 31 मार्च, 2019 तक व्यय के स्तर में विनियोजित किया है। शेष राशि रु. 13.31 करोड़ को डाक विभाग (पूंजीगत प्रतिबद्धता) के स्तर में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2019 तक बैंक ने रु. ४.98 करोड़ राशि के बिल प्राप्त किए हैं।

आईपीपीबी ने 01 सितम्बर 2018 को 650 आईपीपीबी शाखाओं एवं 3250 एक्सेस प्वाइंटों पर एक साथ लोकार्पण समारोह आयोजित करने के लिए डाक विभाग के 23 अंचलों को रु. १.10 करोड़ राशि प्रेषित की थी। आज की तिथि तक, रु. 10.11 करोड़ राशि के बिल प्राप्त हुए हैं। यह मानते हुए कि लोकार्पण समारोह का आयोजन 01 सितम्बर, 2018 को हो गया है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में समग्र राशि रु. 10.11 करोड़ व्यय हो चुकी है।

चूंकि सज्जा, प्रचार-प्रसार तथा लोकार्पण समारोह के प्रबंधन सम्बंधित कार्य डाक विभाग द्वारा करवाया गया था, इसीलिए कुछ विक्रेताओं ने डाक विभाग के नाम पर बिल प्रस्तुत किये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईपीपीबी डाक विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आईपीपीबी ने डाक विभाग के नाम से उक्त बिलों को अपना समझ कर स्वीकार किया है और अपनी खाता बहियों में इनको लेखांकित किया है।

36. एसआई लागत:

आईपीपीबी ने अपने समर्पित एवं आवश्यकतानुसार तैयार प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन के लिए रु. 801 करोड़ (जीएसटी सहित) राशि की संविदा दी है। संविदा का कार्यकाल ५ वर्ष है, जो 14 अगस्त, 2017 से प्रभावी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने विक्रेता को रु. 229.91 करोड़ (माइलस्टोन उपलब्धि के आधार पर) राशि का भुगतान किया है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एएमसी शुल्क, कार्यान्वयन तथा आवश्यकतानुसार तैयार करने आदि के लिए भुगतान सम्मिलित है।

आईपीपीबी ने (सक्रिय होने की तिथि तक) खरीदे गए हार्डवेयर की सम्पूर्ण राशि रु. 106.32 को पूंजीकृत किया है, जिसके मुकाबले रु. 96.84 करोड़ के बिल प्राप्त हुए हैं। (सक्रिय होने की तिथि तक) खरीदे गए सॉफ्टवेयर की सम्पूर्ण राशि रु. 240.46 करोड़ को भी पूंजीकृत किया गया है, जिसके मुकाबले रु. 173.64 करोड़ के बिल प्राप्त हुए।

विक्रेता द्वारा हार्डवेयर के लिए बीमा पॉलिसी को आईपीपीबी के नाम पर अंतरित किया जाना शेष है। विक्रेता ने उसे 15 जून, 2019 तक बैंक के नाम पर अंतरित करने हेतु आश्वासन दिया है।

37. आईपीपीबी के प्रायोगिक लोकार्पण का पूर्ण रूप से मूल्यहासः

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक ने जनवरी 2017 में प्रायोगिक लोकार्पण को सुविधाजनक बनाने तथा परिचालित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक सहमति ज्ञापन किया था। आईपीपीबी का राष्ट्रीय स्तर पर लोकार्पण कार्यक्रम 01.09.2018 को आयोजित हुआ तथा पीएनबी सिस्टम से डाटा को स्थानांतरित कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर का अवलिखित मूल्य रु. २.93 करोड़ को पूर्ण रूप से हासित किया गया है।

हस्ताक्षरित
(प्रियंका भटनागर)
कम्पनी सचिव
(पैन संख्या AQKPB7572L)
निवासी - सी-8 प्लैट सं. 9, चंदर नगर
गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश

हस्ताक्षरित
(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन संख्या AHSPS3813Q)
ई-75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021

हस्ताक्षरित
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन संख्या 06426040)
निवासी - सी/901, लोधा बेल्लिसिमो, एन एम जोशी मार्ग
अपोलो मिल मैदान, महालक्ष्मी, मुम्बई

हस्ताक्षरित
(तनवीर कमर मोहम्मद)
निदेशक
(डीआईएन संख्या 08238554)
निवासी- बी-32, टाइप ५बी, निवेदिता कुंज, आर के पुरम
सेक्टर 10, दिल्ली 110022

हस्ताक्षरित
(अनंत नारायण नन्द)
अध्यक्ष
(डीआईएन संख्या 07810425)
निवासी - सी९, ब्लॉक 6, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सहगल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार - एफआरएन संख्या 011519छ

हस्ताक्षरित
(अनुज माहेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या- 096530

दिनांक: 27/05/2019
स्थान: नई दिल्ली



कमांक रिप-पीएसयू-लेखा/एफ-223 /आई.पी.पी.बी./2018-19/264

कार्यालय
महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक व दूरसंचार
शाम नाथ मार्ग, (पुराने सचिवालय के समीप), दिल्ली - 110054
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, POST & TELECOMMUNICATIONS
SHAM NATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI - 110054

दिनांक: 21.08.2019

उद्देश:

सेवा में,

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
डाकघर, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग
मार्केट रोड
नई दिल्ली - 110001

विषय: 31 मार्च, 2019 वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी) के खातों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं एतद्वारा सूचना तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी)** के वार्षिक खातों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत 'शून्य टिप्पणी' प्रमाणपत्र प्रेषित करता हूँ।

कृपया पत्र की पावती भेजे।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय

हस्ताक्षरित
(सौरभ नारायण)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(डाक एवं दूरसंचार)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी) के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी) के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी हैं। यह पूर्व में उनकी दी गई 27 मई, 2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेने वाली 7 अगस्त, 2019 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों के कारण के बिना स्वतंत्र रूप से निष्पादित किया गया है तथा मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा लेखांकन रिकार्डों में से कुछ की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किये गए संशोधन (नों) की दृष्टि से, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा विचारों को प्रभावी करने हेतु, मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (६) (बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अनुपूर्ति करने हेतु अथवा उस पर, और कोई टिप्पणी नहीं है।

**कृते एवं भारत के नियंत्रक व
महालेखापरीक्षक की तरफ से**

स्थान: नई दिल्ली

**हस्ताक्षरित
(सौरभ नारायण)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(डाक एवं दूरसंचार)**



अनुबंध - एफ

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
01	कम्पनी द्वारा 05 दिसम्बर, 2018 को भारत के राष्ट्रपति को सचिव, डाक विभाग के माध्यम से राइट इश्यू के आधार पर 30,00,00,000 शेयर आवंटित किये गये हैं, इस सम्बंध में यहां शेयर जारी करने एवं आवंटन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।	<p>कम्पनी अधिनियम, की धारा 42 के साथ पठित धारा 62 के प्रावधान के अनुसार, आवेदन राशि की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर शेयरों को आबंटित कर दिया जाना चाहिए।</p> <p>आईपीपीबी एक सरकारी कम्पनी है तथा सरकार के आदेशों के आधार पर शेयरों का आबंटन किया जाता है।</p> <p>अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पत्र स्वीकारने के पश्चात शेयरधारकों द्वारा शेयर हेतु आवेदन की धनराशि को अंतरित किया जाता है। परंतु हमारे मामले में धनराशि बैंक खाते में जमा कर दी गई तत्पश्चात आबंटन की पूरी प्रक्रिया प्रारम्भ की गई और इसीलिए हम 60 दिनों के अंदर शेयर आबंटित नहीं कर सके।</p> <p>हम इसके पश्चात शेयरों के आबंटन हेतु निर्धारित समय सीमा के पालन का आश्वासन देते हैं।</p>
02	कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में फार्म एओसी-4 एक्सबीआरएल में आरओसी की प्रस्तुत फार्म एमजीटी -9 (वार्षिक रिपोर्ट के निष्कर्ष) में प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन को रिकार्ड नहीं किया गया है।	<p>शेयरधारिता में परिवर्तन को एमजीटी ७ में अंकित किया गया था परंतु अनजाने में एमजीटी ९ में अंकित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त मौजूदा शेयरधारकों का विवरण एमजीटी ९ में अंकित किया गया था।</p> <p>फिर भी, मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस विचार को कार्यान्वित किया जायेगा।</p>
03	सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली के लिए यह सुझाव दिया गया है कि साचिविक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों हेतु कम्पनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में स्पष्टीकरण/ टिप्पणियों को सम्मिलित करना चाहिए।	भविष्य में दिशानिर्देश हेतु विचार को नोट कर लिया गया है।
04	कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वेबसाइट के प्रकटीकरणों की अपेक्षाओं के अनुपालन के सम्बंध में कुछ अनुपालन नहीं किया गया है।	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क.सं.	लेखापरीक्षक की सापेक्षता	प्रबंधन के उत्तर
01	आईपीपीबी/डाक विभाग ने (आईपीपीबी निधियों से) वित्तीय वर्ष 2017-18 में 23 डाक विभाग अंचलों को 650 आईपीपीबी शाखाओं (रु. 16.81 करोड़) की सज्जा एवं डाक विभाग की सभी एक्सेस प्वाइंट जैसे - एच.ओ., एस.ओ. एवं बी.ओ. (रु. 49.47 करोड़) के प्रचार-प्रसार के लिए रु. 66.28 करोड़ राशि प्रेषित की थी। 01 सितम्बर, 2018 से आईपीपीबी की सभी शाखाएं सक्रिय हो चुकी हैं। इसलिए आईपीपीबी शाखाओं की सज्जा के लिए प्रदान की गई सम्पूर्ण राशि रु. 16.81 करोड़ 01 सितम्बर, 2018 तक पूंजीकृत थी। हालांकि रु. 16.81 करोड़ व्यय के मुकाबले 31.03.2019 तक बैंक को केवल रु. 6.25 करोड़ के बिल प्राप्त हुए हैं। समुचित बीजकों के अभाव में हम फनीचर एवं फिक्सचर्स के उपर्युक्त पूंजीकरण पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार, ऐसी पूंजीकृत राशि पर लगाया गया मूल्यहास प्रभार भी बिलों के सत्यापन के अधीन हैं।	क.सं. 1, 2 एवं 4: फनीचर एवं प्रचार-प्रसार: आईपीपीबी की सभी शाखाओं/डाक विभाग एक्सेस प्वाइंटों के प्रचार-प्रसार हेतु कुल अग्रिम राशि रु. 49.47 करोड़ के मुकाबले हमने डाक विभाग के विभिन्न अंचलों से रु. 16.19 करोड़ के बिल प्राप्त किये हैं। आईपीपीबी की 650 शाखाओं को तैयार करने हेतु अग्रिम राशि रु. 16.81 करोड़ के मुकाबले अब तक रु. 9.69 करोड़ के बिल प्राप्त हुए हैं। बैंक के साचिविक लेखापरीक्षकों की सलाह पर, 650 शाखाओं की तैयारी के लिए सम्पूर्ण अग्रिम राशि रु. 16.81 करोड़ को पूंजीकृत किया गया है। इसी प्रकार, प्रचार-प्रसार हेतु अग्रिम राशि रु. 49.47 करोड़ में से रु. 36.16 करोड़ अनुदान हेतु विनियोजित किया गया है और शेष राशि रु. 13.31 करोड़ को पूंजीकृत किया गया है तथा इसे डाक विभाग पूंजी प्रतिबद्धता (अन्य आस्तियों के अंतर्गत) के रूप में दर्शाया गया है।
02	बैंक ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक रु. 54,480 डाक विभाग एक्सेस प्वाइंट खोलने की परिकल्पना की थी। 31 मार्च, 2019 तक रु. 54,480 डाक विभाग एक्सेस प्वाइंट में से रु. 12,923 एक्सेस प्वाइंट सक्रिय हो चुके हैं। सक्रिय एक्सेस प्वाइंटों का प्रतिशत 73.10% थी। तदनुसार, बैंक ने अनुमानित आधार पर प्रचार-प्रसार के लिए व्यय के रूप में 31 मार्च, 2019 तक रु. 49.47 करोड़ का 73.10% भाग विनियोजित किया है। शेष राशि रु. 13.31 करोड़ को डाक विभाग (पूंजीगत प्रतिबद्धता) के रूप में दर्शाया गया है। व्यय के लिए विनियोजित राशि रु. 36.16 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2019 तक बैंक को केवल रु. 8.98 करोड़ राशि के बिल प्राप्त हुए हैं। समुचित बीजकों के अभाव में हम बैंक के लाभ व हानि खाते से डेबिट किए गए उपर्युक्त व्यय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं।	चूंकि उचित खाता डेबिट करके धनराशि का भुगतान किया गया था, विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा एसए की सलाह के आधार पर आईपीपीबी इसे उचित खाते के अंतर्गत नहीं रख सकता था और इसीलिए इसे पूंजीकृत किया गया। कैंगे द्वारा भी इन सभी मुद्दों को उठाया गया था और इस सम्बंध में हमने उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदान किया था। खातों के लिए नोट के अंतर्गत इसका भी बैंक द्वारा पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण किया गया था क्योंकि हि तधारकों को यह सूचित करना आवश्यक है। पूर्व में भी सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसका भी वर्णन किया गया था और अब यह केवल उसकी पुनरावृत्ति है। हम शेष बिलों प्राप्तियों को प्रस्तुत करने हेतु नियमित रूप से डाक विभाग से सम्पर्क कर रहे हैं।
03	चूंकि सज्जा, प्रचार-प्रसार तथा लोकार्पण समारोह के प्रबंधन सम्बंधित पूरा कार्य डाक विभाग द्वारा किया गया था, इसीलिए कुछ विक्रेताओं ने डाक विभाग के नाम में बिल प्रस्तुत किये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईपीपीबी डाक विभाग के अंतर्गत आईपीपीबी आता है, इसलिए आईपीपीबी ने डाक विभाग के नाम से उक्त बिलों को अपना मानकर अपनी खाता बहियों में लेखांकित किया है।	यह कह सकते हैं कि 27 मई, 2019 को आयोजित एसीबी/बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त मुद्दों पर चर्चा की गई थी। 24 जुलाई, 2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक के निदेशानुसार, हमने पहले ही अनुमोदित प्रारूप में मदवार सभी सूचनाओं को शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु डाक विभाग प्राधिकारियों से सम्पर्क किया है। प्राधिकृत बिलों/प्राप्तियों के साथ निर्धारित प्रारूप में सूचना को डाक विभाग के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्राधिकृत रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मामले पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।



04	<p>आईपीपीबी ने 01 सितम्बर, 2018 को 650 आईपीपीबी शाखाओं एवं 3250 एक्सेस प्वाइंटों पर एक साथ लोकार्पण समारोह आयोजित करने के लिए डाक विभाग के 23 अंचलों को रु. 9.10 करोड़ राशि प्रेषित की थी। आज की तिथि तक रु. 10.11 करोड़ राशि के बिल प्राप्त हुए हैं। यह मानते हुए कि लोकार्पण समारोह 01 सितम्बर, 2018 को हो चुका है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 10.11 करोड़ की समग्र राशि व्यय हो चुकी है।</p>	<p>डाक विभाग प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के पश्चात 31 अगस्त, 2019 तक हमें रु. 2.59 करोड़ के नये बिल प्राप्त हुए हैं (फनीचर हेतु रु. 0.84 करोड़ और प्रचार-प्रसार हेतु रु. 1.75 करोड़) अभी भी रु. 38.17 करोड़ के बिल /प्राप्तियां प्रस्तुत करना शेष हैं।</p> <p>हमने विवेकपूर्ण लेखांकन नीति तथा एसए की सलाह के अनुसार सम्पूर्ण व्यय को खर्च कर दिया है।</p> <p>इस मामले में सही टिप्पणी की गई है कि रु. 10.11 करोड़ के बिल प्राप्त हुए हैं। हमारे प्राप्तियों रिकार्ड के लिए सत्यापन एवं प्रमाणीकरण हेतु सभी बिलों को आईपीपीबी की अंचल कार्यालयों को वापस भेजा गया था।</p>
05	<p>आईपीपीबी ने अपने समर्पित एवं आवश्यकतानुसार तैयार प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन के लिए रु. 801 करोड़ (जीएसटी सहित) राशि का संविदा दी है। संविदा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो 14 अगस्त, 2017 से प्रभावी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने विक्रेता को रु. 229.91 करोड़ (माइलस्टोन उपलब्धि के आधार पर) राशि का भुगतान किया है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एएमसी शुल्क, कार्यान्वयन तथा आवश्यकतानुसार तैयार करने आदि के लिए भुगतान सम्मिलित है।</p> <p>आईपीपीबी ने (सकिय होने की तिथि) तक खरीदे गये हार्डवेयर की सम्पूर्ण राशि रु. 106.32 करोड़ को पूंजीकृत किया है, जिसके मुकाबले रु. 96.84 करोड़ के बिल प्राप्त हुए थे, इसने खरीदे गये सॉफ्टवेयर (सकिय होने की तिथि तक) की पूर्ण राशि को पूंजीकृत किया है, जिसके मुकाबले रु. 173.64 करोड़ के बिल प्राप्त हुए थे।</p> <p>विक्रेता द्वारा हार्डवेयर के लिए बीमा पॉलिसी को आईपीपीबी के नाम पर अंतरित किया जाना शेष है। विक्रेता ने उसे 15 जून, 2019 तक बैंक के नाम पर अंतरित करने हेतु आश्वासन दिया है।</p> <p>समुचित बीजकों के अभाव में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के उपर्युक्त पूंजीकरण पर हम प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार, इस पूंजीकृत राशि पर लगाया गया मूल्यहास प्रभार भी बिलों के सत्यापन के अधीन है।</p>	<p>क.सं. 5 - 8 : कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर:</p> <p>हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधानों के लिए बैंक द्वारा सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के साथ रु. 800 करोड़ का करार किया गया था। करार के अनुसार, धनराशि का भुगतान 5 वर्ष की अवधि के दौरान करार में उल्लिखित माइलस्टोन आधार पर होगा, जबकि प्रोजेक्ट को चरणों में कार्यान्वित करने हेतु निर्धारित किया गया है।</p> <p>आईपीपीबी द्वारा सभी 650 शाखाओं का लोकार्पण कर दिया गया है तथा लगभग 80% एक्सेस प्वाइंट सक्रिय हो गए हैं। आरपीएफ के अनुसार एसआई द्वारा प्रदान किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है।</p> <p>जब और जैसे भुगतान देय हो जाता है तब विक्रेता आईपीपीबी के नाम पर बीजकों को बनाता है तथा बीजक की राशि उस समय देय राशि की सीमा तक सीमित हो जाती है।</p> <p>बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की सलाह पर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान (सकिय होने तक) हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का मूल्य पूंजीकृत किया गया तथा विवेकपूर्ण लेखांकन नीति के रूप में मूल्यहास को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया। विक्रेता को देय राशि को यहां अन्य देयता जैसे 'विक्रेताओं को देय' के अंतर्गत दर्शाया गया था। भविष्य के भुगतान, विक्रेता द्वारा आरएफपी के अनुसार प्राप्त माइलस्टोन के अनुरूप, तैयार किये गये नये बीजकों के आधार पर इस खाते को नामे कर किए जाएंगे।</p> <p>यह मानक उद्योग प्रथाओं के अनुसार किया गया है।</p> <p>हार्डवेयर की बीमा पालिसी आईपीपीबी के नाम पर अंतरित कर हमें प्रदान करने हेतु हम एसआई के साथ लगातार सम्पर्क में हैं।</p>

“Our Government introduced millions of households to banking through Jan-Dhan and today with this initiative IPPB would usher in economic transformation by bringing bank to the doorsteps of the villagers and the poor. Aapka bank aapke dwaar is not just a mere slogan, it is our pledge and commitment”

- Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi
(Sep 1st 18 - IPPB National Launch)



इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक | IndiaPost Payments Bank

Aapka bank, aapke dwaar

This anniversary we are changing the way INDIA TRANSACTS

Access your account with **ANY BANK** using your fingerprint for **Cash Withdrawal & Balance enquiry** through

136,000+ Post offices | **195,000+** Postmen and Gramin Dak Sevaks **AT YOUR DOORSTEP**



Farmers Pensioners Homemakers/ SHG members Migrant workers

1st ANNIVERSARY CELEBRATING THE TRUST OF 1 CRORE CUSTOMERS

Powered by: **APS**

ENJOY SERVICES AT YOUR DOORSTEP

- Cash Deposits
- Cash Withdrawals
- Money Transfers
- Direct Benefit Transfers
- Merchant Payments
- Bill Payments

Contact Us (Toll Free: 155299 / 18001807980) | Please visit www.ipbonline.com for more details | Available at:  

Follow us on:  @ipbonline  @ipbonline  @ipbonline  India Post Payments Bank  India Post Payments Bank



